लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On 30-12-85
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18—शुक्रवार, 11 मार्च, 1966/20 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 18—Friday, March 11, 1966/Phalguna 20, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
475	रोक लिये गये जहाजों तथा माल की अदला-बदली	Exchange of Impounded Ships and Cargo	4455–57
476	इंडिया युनाइटिड मिल्स, बम्बई	India United Mills, Bombay	4558–60
478	चैकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग	Collaboration with Czechoslovakia	4560–62
479	ईदगाह और पाथौली स्टेशनों के बीच रेलवे पुल	Railway Bridge between Idgah and Patholi Stations	4562–65
480	कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material	4565–70
481	युरोपीय साझा बाजार	European Common Market	4570–72
482	कोयला विशेषज्ञों का रूसी दल	Soviet Team of Coal Experts	4573–74

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTIONS

अ० सू० प्र० संख्या S.N.Q.No.			
7	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	4575–79

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.			
477	आदिम जाति क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता	Indebtedness in Tribal Areas	4579–80
483	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	4580
484	खेत्री ताम्बा खानें	Khetri Copper Mines	4580
485	बिहार के लिए रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commission for Bihar	4580–81
486	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	4581
487	सुन्दरबन में अखबारी कागज का उत्पादन	Newsprint production in Sunderbans	4581–82
489	रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Railway Servants	4582
490	मैसूर में ऐल्यूमिनियम का कारखाना	Aluminium Plant in Mysore	4582
491	प्रव्रजकों की बेदखली	Eviction of Migrants	4582–83
492	अफ्रिकी-एशियाई देशों के लिये भारतीय पुस्तकें	Indian Books for Afro-Asian Countries	4583

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
493	दूसरी तार फैक्टरी	Second Cable Factory . .	4584
494	निर्यात किये गये माल का बकाया भगतान	Arrears of Export Earnings .	4584
495	आरक्षित सीटें रद्द करवाने पर जुर्माना	Penalty on Cancellation of Berths	4584–85
496	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म फैक्टरी	Hindustan Photo Film Factory .	4585
497	केरल में रेलवे सम्पत्ति की हानि	Loss of Railway Property in Kerala	4586
499	सेफ्टी रेजर ब्लेडोंके मूल्य	Prices of Safety Razor Blades .	4586
500	चेंगाइल रेलवे स्टेशन को दूसरे स्थान पर ले जाना	Shifting of Changail Railway Station	4586
501	कागज के कारखाने	Paper Mills	4587
502	घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Watches . .	4587–88
503	चाय का निर्यात	Export of Tea	4588–89
504	दूर्लभ कच्चे माल का आयात	Import of Scarce Raw Materials .	4589
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1917	छोटे पैमाने पर चाय उगाने वाले लोग	Small Tea Growers . . .	4590
1918	झाझा (पूर्व रेलवे) के निकट उपर का पुल	Over Bridge near Jhajha (Eastern Railway)	4590
1919	हावड़ा जाने वाली डाऊन एक्स-प्रेस रेलगाड़ी	Down Howrah Bound Express Train	4591
1920	सिमुलतला स्टेशन पर तीसरी श्रेणी का प्रतिक्षालय	Third Class Waiting Room at Simultala	4591
1921	एर्णाकुलम् (केरल) में टाइटेनियम डायोक्साइड कारखाना	Titanium Dioxide Factory in Ernakulam (Kerala) . .	4591–92
1923	केरल में हथकरघा से निर्मित माल का जमा हो जाना	Accumulation of Stocks of Hand-loom Products in Kerala .	4592–93
1924	काजू उद्योग	Cashew Industry . . .	4593
1925	मद्रास में कपड़ा मिल तथा इंजीनियरी के कारखाने	Textile Mills and Engineering Factories in Madras . .	4593
1926	खादी	Khadi	4594
1927	लूनकरनसर स्टेशन के निकट रेलवे फाटक	Railway Crossing Near Lunkaran-sar Station	4594
1928	त्रिकोणीय वातानुकूलित रेलवे सेवा	Triangular A.C. Railway Service .	4594
1929	दिल्ली जाने वाली तूफान एक्स प्रेस रेलगाड़ी के एक डिब्बे में आग लगना	Fire in a Bogie of the Delhi bound Toofan Express . . .	4595
1930	राष्ट्रीय आयोजन तथा विकास में बच्चों तथा युवकों सम्बन्धी एशि-याई सम्मेलन	Asian Conference on Children and Youths in National Planning and Development . . .	4595

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1932	रेलवे विद्युत् कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Railway Electrification Workers . .	4595
1933	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बेकार पड़ी मशीनें	N.C.D.C. Machines lying idle .	4596
1934	बेबी फूड	Baby Food	4596
1936	भारत-अफगानिस्तान व्यापार	Indo-Afghan Trade . . .	4596–97
1937	निर्यात	Exports	4597
1938	मेवों का आयात	Import of Dry Fruits . .	4597–98
1939	मेवों का आयात	Import of Dry Fruits . .	4598
1940	रेलगाड़ियों की 'जांच'	Examination of Trains . .	4598–99
1941	बच्चों के बारे में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि का प्रतिवेदन	U.N.I.C.E.F. Report on Children	4599–4600
1942	विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञों का बुलाया जाना	Import of Technical Know-how .	4600
1943	प्रसंकर (हाइब्रिड) चाय का गोरगियाई पौधा	Gorgian Plant of Hybrid Tea .	4600
1944	तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco . . .	4601
1945	उत्तर प्रदेश में कताई मिलें	Spinning Mills in U. P. . .	4601
1946	रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग के कर्मचारी	Employees in the Railway Catering Departments . . .	4601–02
1947	जम्मू और काश्मीर में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Jammu and Kashmir . . .	4602
1948	आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र	Prototype Production and Training Centres	4603–04
1949	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	4604
1950	रेलवे के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons .	4604–05
1951	इथोपिया को चाय का निर्यात	Export of Tea to Ethopia . .	4605
1952	बीड़ियों का निर्यात	Export of Bidis	4605–06
1953	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi. . . .	4606
1954	तकनीकी विकास महानिदेशालय	Directorate-General of Technical Development . . .	4606
1955	केरल में स्टार्च फैक्टरी	Starch Factory in Kerala . .	4607
1956	इंजीनियरी के हल्के सामान की सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on Light Engineering Co-operatives	4607
1957	बुलन्दशहर-राजघाट नरौरा रेलवे लाइन	Bulandshahr-Rajghat Narrora Railway Line . . .	4607
1958	विदेशी फिल्मों के लिये विदशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Foreign Films	4608

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1959	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कोयले का सम्भरण	Supply of Coal to Madhya Pradesh Electricity Board . . .	4608
1960	आन्ध्र प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey in Andhra Pradesh	4609
1961	मद्रास तथा देहरादून घाटी में सीमेन्ट के कारखाने	Cement Plants in Madras and Dehra Dun Valley . .	4609–10
1962	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कृषकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes Agriculturists in U. P. . .	4610
1963	सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	Scindia Steam Navigation Co. .	4610
1964	केरल में सूक्ष्म माप यंत्र बनाने का कारखाना	Precision Instruments Factory, Kerala	4611
1965	बड़ौदा में फ्लुओरस्पार के निक्षेप	Fluorspar Deposits in Baroda	4611
1966	कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन	Kovilpatti Railway Station .	4611
1967	उत्तर रेलवे के रौपड़-नंगल बांध सेक्शन के कर्मचारी	Employees on Rupar-Nangal Dam Section of Northern Railway .	4612
1968	उत्तर रेलवे पर कैंटीनों का आगे किराये पर दिया जाना	Sub-letting of Canteens on Northern Railway . .	4612
1969	पंजाब के लिये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences for Punjab .	4612
1970	किरतपुर साहिब स्टेशन में रेलवे गोदाम	Railway Godown at Kiratpur Sahib Station . . .	4613
1971	पंजाब में अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes in Punjab	4613
1972	बर्तनों का निर्माण	Manufacture of Utensils . .	4613–14
1973	गोरखपुर-मोतीहारी रेल लाइन	Gorakhpur-Motihari Rail Link .	4614
1974	नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे इंजिन के साथ टक्कर के परिणामस्वरूप मृत्यु	Death due to collision with Railway Engine at New Delhi Station	4614
1975	जलपाइगूड़ी-जोगीघोपा नई रेलवे लाइन	New Jalpaiguri-Jogighopa Railway Line	4615
1976	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के लिए विशेष इस्पात	Special Steel for HMT .	4615
1977	विदेशी व्यापार	Foreign Trade	4616
1978	मूँगफली के तेल के सम्बन्ध में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी (डिलीवरी) ठेके के लिये क्रेताओं तथा विक्रेताओं की तालिकाएं	Buyers' and Sellers' Panels for non-transferable specific delivery contract for Groundnut Oil	4616
1979	नारियल जटा की चटाइयों का निर्यात	Export of Coir Mats . .	4616–17
1980	नई दिल्ली स्टेशन पर पार्सल साइडिंग पर शेड	Covered Shed in Parcel Siding at New Delhi Station . . .	4617

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1981	दिल्ली मुख्य स्टेशन पर पार्सल कार्यालय	Parcel Office at Delhi Main Station	4617
1982	तिरुर रेलवे स्टेशन से बुक किये गये पान	Betel Leaves booked from Tirur Railway Station	4617–18
1983	रूरकेला और भिलाई के लिए माल डिब्बों की कमी	Lack of Wagons for Rourkela and Bhilai	4618
1984	उड़ीसा में सीमेन्ट के कारखाने	Cement Factories in Orissa	4618
1985	उड़ीसा में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Orissa	4618–19
1986	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Units in Orissa	4619
1987	उड़ीसा में आदिम जाति खण्ड	Tribal Blocks in Orissa	4620
1988	राजस्थान में दस्तकारी उद्योग	Handicrafts Industries in Rajasthan	4620
1989	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान	S. C. and S. T. Agriculturists in Rajasthan	4620–21
1990	संभरण विभाग द्वारा की गई खरीद	Purchases made by the Department of Supply	4621
1991	घड़ियों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Watch Components	4621
1992	छोटे आविष्कार विकास बोर्ड	Small Scale Inventions Development Board	4621–22
1993	केरल में औद्योगिक उत्पादन केन्द्र	Industrial Production Centres in Kerala	4622–23
1994	व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों सम्बन्धी भारतीय परिषद्	Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions	4623
1995	उद्योग की तकनीकी समस्याएं	Technical Problems of Industry	4623
1996	मध्य रेलवे में माल डिब्बों का संभरण	Wagon Supply on Central Railway	4623–24
1997	विदेशी सहयोग	Foreign Collaborations	4624
1998	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा रेलवे को सहयोग	Cooperation of Council of Scientific and Industrial Research to Railways	4624–25
1999	भोपाल में जौ की शराब बनाना	Manufacture of Beer in Bhopal	4625
2000	टेलीविजन सेटों का आयात	Import of T. V. Sets	4625
2001	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	4626
2002	आदिवासी	Adivasis	4626
2003	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries in the Public Sector	4626
2004	बोकारो कारखानों के लिए बिजली	Electricity for Bokaro Plant	4627
2005	रेलवे सांख्यकीय प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Railway Statistical Reports in Hindi	4627

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2006	कोयला खानों के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Collieries .	4628
2007	खंड रेकों तथा खंडशः कोयले की ढुलाई	Movement of Coal in Block Rakes and Piecemeal . . .	4628–29
2008	रेलवे यात्री-डिब्बों तथा माल डिब्बों का वर्कशाप	Railway Carriage and Wagon Workshop	4629
2009	डाल्ली-राजहारा-दांतेवाड़ा रेलवे लाइन	Dalli-Rajhara-Dantewara Railway Line	4629
2010	भारतीय संवेष्टन (पैकिंग) संस्था	Indian Institute of Packing	4630
2011	बाल कल्याण	Child Welfare	4630
2012	हरिजन कल्याण समिति, दिल्ली	Harijans Welfare Committee, Delhi	4630
2013	अखबारी कागज बनाने वाले कारखाने	Newsprint Factories . . .	4631
2014	मैसूर में सरकारी क्षेत्र का थोक औद्योगिक सार्थ	Wholesale Public Sector Industrial concern in Mysore . .	4631
2015	नमक का निर्यात	Export of Salt	4631–32
2016	द्विभाषिक रूप में प्रकाशित रेलवे संहितायें और नियम तथा विनियम	Railway Codes and Rules and Regulations published in Diglot Form	4632
2017	रेलवे बोर्ड द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी टाइपराइटरों की खरीद	Purchase of Hindi and English typewriters by Railway Board .	4632–33
2018	रेलवे प्रशासन द्वारा हिन्दी में पत्र-व्यवहार	Correspondence by the Railway Administration in Hindi . .	4633
2020	कपास का मूल्य	Price of Cotton	4633–34
2021	ननचर्ला स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर रेलवे वैगन का लूटा जाना	Looting of Railway Wagon at Nancherla Station, Southern Railway	4634
2022	तिलहर (उत्तर रेलवे) में रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Tihar (Northern Railway)	4634–35
2023	हंगेरी के साथ व्यापार	Trade Agreement with Hungary .	4635
2024	जापान द्वारा भेजा गया इस्पात	Steel Supplied by Japan .	4635
2025	केरल में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in Kerala .	4636
2026	लक्कादीव द्वीप समूह के लोगों का कल्याण	Welfare of the People of Laccadives	4636
2028	छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars .	4636–37
2029	रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला भोजन	Meal served on Railway Stations .	4637
2030	रेलवे कर्मचारियों को रात में काम करने के लिये भत्ता	Night Duty Allowance to Railway Employees	4637

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में--	Re : Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—	
पश्चिम बंगाल की स्थिति	Situation in West Bengal	4637–43
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	4643–44
पैरोल पर सदस्य की रिहाई (श्री आनन्द नम्बियार)	Release of Member on Parole (Shri Ananda Nambiar)	4644
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति-- कार्यवाही सारांश	Committee on Public Undertakings— Minutes . . .	4644
सभा का कार्य	Business of the House . . .	4644–45
1966–67 में गन्ने के न्युनतम मुल्य के निर्धारण के बारे में वक्तव्य--	Statement re :fixation of Minimum Price of Sugarcane during 1966-67 —	
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon . .	4645–46
सामान्य आयव्ययक, 1966–67--सामान्य चर्चा	General Budget, 1966-67—General Discussion—	
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	4646–47
श्री भागवत झा आज़ाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	4647–50
श्री ईश्वर रेड्डी	Shri Easware Reddy . .	4650–51
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . .	4652–53
श्रीमती सावित्री निगम	Shrimati Savitri Nigam .	4653–54
श्री ह० च० सोय	Shri H. C. Soy .	4654–55
श्री हो० वी० कौजलगी	Shri H. V. Koujalgi . .	4655
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
अस्सीवां प्रतिवेदन	Eightieth Report .	4656
प्रशासनिक सुधार सन्बन्धी संकल्प--स्वीकृत-	Resolution re : Administrative Reforms—adopted—	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibuti Mishra .	4656,4664–65
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	4657
श्री पे० बकटसूब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah .	4657–58
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	4658
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . . .	4659
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh . .	4659–60
श्री वारियर	Shri Warior . . .	4660
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	4660
श्री म० रं० कृष्ण	Shri M. R. Krishna . .	4660–61
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan . .	4661–62
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh . .	4662

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . . .	4662
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	4662–63
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	4663
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	4663–64
देश में खाद्यान्नों के निर्बाध रुप से लाने ले जाने के बारे में संकल्प	Resolution re : Free Movement of Foodgrains in the country—	
श्री तन सिंह	Shri Tan Singh . . .	4665–66
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	4666–67
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy . .	4667

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 11 मार्च, 1966/20 फाल्गुन, 1887 (शक)
Friday, March 11, 1966/Phalguna 20, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रोक लिये गये जहाजों तथा माल की अदला-बदली

+

*475. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री केप्पन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोक लिये गये जहाजों तथा माल की अदला-बदली के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ यदि कोई करार हो गया है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस करार के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि पिछले भारत-पाकिस्तान मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने रोक लिये गये जहाज़ों तथा माल के बारे में विचार करने से तब तक के लिये इन्कार कर दिया जब तक काश्मीर का संतोषजनक हल न निकल आवे? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस मामले में पाकिस्तान के मंत्री के अनुसार उनका देश भारत के मुकाबले अच्छी दिशा में है?

श्री मनुभाई शाह : सदस्य महोदय ने ठीक कहा है कि पाकिस्तानी सदस्य इस मामले पर काश्मीर के प्रश्न के साथ बातचीत करना चाहते थे।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने बहुत सा सामान जैसे चाय आदि को नीलाम कर दिया है? यदि हां तो यह मामला कैसे सुलझाया जावेगा?

श्री मनुभाई शाह : हमने तो अपनी बात विस्तार से वहां कही। यह समझौता हुआ था कि जो भी विदेशी माल मिलता है उसे एक दूसरे को दे दिया जावे और जहां बेच दिया गया है उसके लिये आवश्यक मुआवज़ा दिया जावे।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether we too have disposed of the Pakistani Cargo captured by us and if not why not and how much Pakistani Cargo we have in our possession?

Shri Manubhai Shah : According to present estimates Pakistan has in its possession our Cargo worth Rs. 8,12,04,900 whereas the amount of Pakistani Cargo in our possession as its issued value is Rs. 1,69,99,000. We did not dispose it off as we too did not want Pakistan to dispose of our Cargo in their possession and that they had agreed to also.

श्री भागवत झा आज़ाद : कोई समझौता इस दिशा में न होने के कारण ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई समझौता हो जावे फिर सरकार क्या उपाय कर रही है कि उस माल की उपयोगिता समाप्त न हो जावे? हम क्या उपाय कर रहे हैं कि अपने माल का मुआवज़ा ले सकें? क्या सरकार का विचार यह है कि उनके माल को बेच कर कुछ मुआवज़ा प्राप्त किया जा सके?

श्री मनुभाई शाह : जो इलाज सदस्य महोदय ने बताया है वह उपयोगी नहीं होगा। हम इस पर राजनयिक स्तर पर बातचीत करते रहना चाहते हैं क्योंकि यह केवल दो देशों का माल नहीं अपितु अन्य राष्ट्रों का माल भी उसमें है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि कुछ ऐसे जहाजों को जिन में पाकिस्तान का कोई माल नहीं था, जबर्दस्ती पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया था?

श्री मनुभाई शाह : हां। तीन जहाज भी थे---अली हसन, इल्यास बक्श और ओशन इन्टरप्राईज।

श्री सुबोध हंसदा : पाकिस्तानी प्राइज़ कोर्ट ने जो माल जब्त कर लिया है उसका वास्तविक मूल्य कितना है?

श्री मनुभाई शाह : मैं मूल्य पहले ही बता चुका हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister had given an assurance in this House last week that the Indian Delegation visiting Pakistan would make negotiations in regard to this Cargo. May I know the reply of Pakistan in those talks and in view of the failure of the negotiations, what are the steps being taken by us to recover our Cargo ?

Shri Manubhai Shah : I have already answered it.

Shri Yashpal Singh : It is not clear as to how long we would wait for their Cargo lying with us. So far how long it would remain with us while they are not returning our Cargo?

Shri Manubhai Shah: We hope some solution would be found out in course of the action being taken under the Tashkent Declaration.

Shri Vishwanath Pandey : May I know whether the item of intruded ships and the transfer of Cargo was included in the agenda for the negotiations at Ministerial level at Rawalpindi ?

Shri Manubhai Shah : It included other things besides the item of Cargo, such as properties of Indian and Pakistani nationals, ships, ordnance and defence equipment etc. These would be taken up separately in the future conferences with Pakistan at diplomatic channel.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान रावलपिंडी में भारत-पाकिस्तान वार्ता के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री श्री भुट्टो के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि रोके गये माल और अन्य सम्पत्ति के प्रश्न पर कश्मीर पर चर्चा के दौरान एक साथ बहस की जाये और यदि हां तो पाकिस्तानी हठधर्मिता के कारण उत्पन्न इस गतिरोध को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : रावलपिंडी में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। हमारे विदेश मंत्री का मूल वक्तव्य सदन में रखा जा चुका है। उससे पाकिस्तान सरकार का रवैया स्पष्ट हो जाता है। उसी विज्ञप्ति में यह आशा भी व्यक्त की गई है कि हम फिर मिलेंगे। रावलपिंडी में हमारे बातचीत के दौरान उन्होंने इन विषयों पर आगे कोई प्रगति नहीं होने दी लेकिन राजनयिक मार्गों तथा पत्र व्यवहार से यह सारे मामले निबटाये जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : इसमें सन्देह नहीं कि वह विज्ञप्ति में है किन्तु श्री भुट्टो ने यह शर्त रखी है कि इस समस्या पर कश्मीर पर चर्चा के दौरान एक साथ चर्चा की जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस गतिरोध को दूर करने के लिये क्या कार्यप्रणाली अपनाई गई है ?

श्री मनुभाई शाह : मेरा यह सुझाव है कि व्यक्तिगत मंत्रियों के वक्तव्य से संदर्भ से भरे जो संक्षिप्त रूप में प्रकाशित होते हैं, दोनों सरकारों द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति खंडित नहीं समझी जानी चाहिये। हमने अपनी बातचीत में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमें ऐसा वातावरण नहीं मिला जिसमें वे या हम किसी प्रगति की इच्छा करते। अतः हमें आशा है कि भविष्य में हम सामान्य राजनयिक अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों से कोई हल ढूंढ निकाल सकेंगे।

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी : क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिये अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को समूचा प्रश्न सौंपने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने की संभावना पर विचार किया है ?

श्री मनुभाई शाह : वह स्थिति अभी नहीं आयी है।

श्री पे० वेन्कटासुब्बय्या : इस बात को देखते हुए कि पन बिजली और सिंचाई परियोजनाओं जैसी विकास योजनाओं के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण मशीनें इस माल में रोक ली गई हैं। क्या सरकार उन देशों से जहां से यह माल आयात किया गया है, और दूसरी मशीनें भेजने के लिये कहने का विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : रावलपिंडी जाने से पहले ही यह प्रश्न उठाया जा चुका था। हम ने उन देशों को यह माल छुड़वाने के लिये लिखा है।

इंडिया युनाइटिड मिल्स, बम्बई

+

*476. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री कर्णी सिंहजी :

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डिया युनाइटिड मिल्स, बम्बई के कार्य संचालन को स्थिर बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है तथा अब तक उनका क्या फल हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है।

विवरण

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मैसर्स इंडिया युनाइटेड मिल्स लि० को अधिकार में लेकर एवं प्राधिकृत नियन्त्रक के प्रबन्ध में रख दिया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा मिल को 212 लाख रु० की धनराशि दी जा चुकी है। इन ऋणों से प्राधिकृत नियंत्रक (1) कारीगरों तथा कर्मचारियों को वेतन की बकाया धनराशि भुगतान करने, (2) रुई तथा भण्डारों की लागत के पिछले दायित्वों के अंशत: भुगतान करने, (3) एक महीने की आवश्यकताओं के लिये रुई तथा भण्डार की अन्य वस्तुओं को खरीदने, और (4) मिल द्वारा उत्पादित कपड़े की बिक्री को संगठित करने में समर्थ हो गया है।

इसके परिणामस्वरूप कपड़े की लगभग 25 हजार गाठें व्यापारियों को दी जा चुकी है तथा अग्रिम बिक्री के लिये कपड़ा बनाने तथा सूत के आर्डर प्राप्त हो चुके हैं। जनवरी, 1966 के अन्त तक मिल में कार्य की परिस्थितियों तथा रंगाई के कार्यों में काफी सुधार हो चुका था। कुल 6145 करघों में से केवल 375 करघे बेकार थे और कोई बचा हुआ माल भी नहीं था। आशा है कि शीघ्र ही पूर्णत: सामान्य रूप से काम होने लगेगा। इस थोड़ी सी अवधि में इस मिल के कार्य-चालन में काफी सुधार हो चुका है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस कम्पनी के मामलों की जांच समय से पहले ही बन्द कर दी कई है और जांच समिति बनाये जाने से पहले उस व्यक्ति से जिसे जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, नियुक्ति से पहले पूछा भी नहीं गया था ?

श्री शफी कुरेशी : स्थिति यह है कि सरकार को अभ्यावेदन दिये गये थे कि इस मिल का प्रबंध ठीक नहीं है, और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जांच-पड़ताल समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के बाद, धारा 18 के अधीन एक अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था। यह ग़लत है कि जांच-पड़ताल समिति की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि समिति को काम नहीं करने दिया गया और उसे अपनी जांच बंद कर देनी पड़ी और क्या अध्यक्ष की नियुक्ति से पूर्व उससे पूछा भी नहीं गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : समिति बनाये जाने से पहले प्रत्येक से टेलीफोन या तार द्वारा पूछ लिया गया। सदस्यों की सहमति के बिना कोई समिति नियुक्त नहीं की जाती। रिपोर्ट बहुत व्यापक है और मिल लाभ पर चले इसके लिये एक अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिये तुरन्त कार्रवाई की गई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखते हुए पहले की कुप्रबंध के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का सरकार का विचार है और क्या ऐसे मामलों के लिये एक सी नीति अपनाई जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह समवाय विधि प्रशासन का कार्य है क्योंकि यह समिति दैनंदिन के लेखे अथवा प्रबंध विषयक कदाचार की जांच नहीं करती। हम केवल इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या यह कारखाना चलाना सार्वजनिक हित में है ताकि इस उद्योग में रोजगार और उत्पादन जारी रहे। मैं मान्य सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा अथवा अन्य जांच के फलस्वरूप यदि कोई दोष पाया जाता है तो किसी को भी नहीं छोड़ा जावेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्योंकि मान्य मंत्री ने यह बताया है कि इस मिल में काम ठीक से आरम्भ हो गया है क्या उस मिल को उसके पिछले मालिक को वापस दे देने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : जी नहीं। मैं इस सभा को सूचित कर दूं कि हम ऐसे विधेयक के बारे में विचार कर रहे हैं जो बहुत शीघ्र ही सभा के सामने आवेगा और जिस से सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन और आवश्यक हुआ तो समवाय अधिनियम में संशोधन करके ऐसे कारखानों पर जिन्हें सरकार अपने हाथ में ले लेने योग्य समझती है, नियंत्रण रखेगी बजाय इसके कि वह कारखाना प्रबंधक को वापस लौटा दिया जावे ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस मिल को अपने हाथ में लेने के बाद क्या कोई छंटनी की गई है या किन्हीं मजदूरों को अतिरिक्त घोषित किया गया है ?

श्री शफी कुरैशी : अब इस मिल को ले लिया गया था तब 850 कर्घे बेकार पड़े हुए थे। अपने केवल 375 कर्घे बेकार पड़े हैं। हमें आशा है कि एक महिने में यह मिल काम करने लगेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या कोई छंटनी की गई थी या कोई मजदूरों को अतिरिक्त घोषित किया गया था ?

श्री शफी कुरैशी : जी नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में जिसके अधीन यह मिल अपने हाथ में ले ली गई है, मिल ठीक करने के लिये ऋण दिये जाने और फिर प्रबंधकों को फिर सौंप देने की व्यवस्था है या अधिनियम में ऐसी भी व्यवस्था है कि प्रबंधकों की पुरानी गलतियों की जांच की जानी चाहिये, जिससे सम्बंधित कर्मचारियों को बहुत कष्ट हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सदन को पता है हमने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का पिछले सत्र में संशोधन किया था और अब सरकार इन मिलों को 15 वर्ष तक अपने पास रख सकती है। 15 वर्ष के बाद सरकार उन्हें अपने पास नहीं रख सकती। इसी कारण हम एक संशोधन ला रहे हैं ताकि ऐसी सम्पत्ति के नियंत्रण के अधिकार सरकार के पास हों जो कि वह अंशदारों के बहुमत के रूप में रखे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What compensation has been given by the Government to the workers who have suffered as a result of their lay off by the Government ?

Shri Manubhai Shah : Question of compensation comes when people are retrenched. They were eighteen thousand people and they took a lightning step. So the question of compensation does not arise.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the workers and labourers have been paid salary at proper time after the government's taking over the management of these Companies. If not how much balance remains to be paid and when will it be paid and what effect it had on the strike ?

Shri Shafi Qureshi : They had been paid salary for the months of October, November and December 1965. The salary for the month of January was paid on 10th February and they have been paid salary for the month of February too. Strike had little effect on it.

श्री दाजी : क्या जांच के द्वारा पता चला है कि पिछले प्रबंधक के विरुद्ध आप्राधिक अप्रबन्ध था। यदि हां तो प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का इरादा है ?

श्री मनुभाई शाह : हमने नागपुर में मोहन मिल्स प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। ऐसे ही दो अन्य मिल वालों के विरुद्ध कारवाई की है। किसी को भी छोड़ा नहीं जावेगा । इसकी जांच अभी आरंभ की है और जारी है। जांच पड़ताल कम्पनी लॉ बोर्ड में हो रही है। यदि हमें पता चला कि ग़बन है तो कार्यवाही की जावेगी।

चैकोस्लोवाकिया के साथ सहयोग

+

*478. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चेकोस्लोवाकिया के विदेश व्यापार उपमंत्री के 19 दिसम्बर, 1965 को रांची में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चेकोस्लोवाकिया भारत के साथ दो और मशीनी औजार कारखाने, एक ट्रेक्टर कारखाना, दो बड़े विशेष ढलाई घर तथा 110 मेगावाट क्षमता का एक भाप बिजली घर स्थापित करने के हेतु सहयोग करने के लिये तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव का लाभ उठाने के लिये कोई बातचीत चल रही है; और

(ग) किये गये प्रस्ताव की शर्तें क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) चकोस्लोवाकिया के उप विदेशव्यापार मंत्री के बयान में उन प्रायोजनाओं का उल्लेख है जिनके लिए चकोस्लोवाकिया के साथ अस्थायी करार किया जा चुका है। यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है बल्कि चेकोस्लोवाकिया द्वारा मई, 1964 में भारत सरकार को दिए गए ऋण के उपयोग की व्याख्या मात्र है।

ऋण करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों और चैक तकनीकी विशेषज्ञों के दल की बैठकें हुई हैं।

कुछ प्रायोजनाओं के बारे में अधिकांश अध्ययन और पत्रव्यवहार लगभग पूरा हो गया है तथा अन्य प्रायोजनाओं का अभी अध्ययन किया जा रहा है और इस बारे में और पत्र व्यवहार होना अभी आवश्यक है।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह कोई नया करार नहीं है जिसके बारे में चैक उप विदेश व्यापार मंत्री ने कहा है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी परियोजनायें भी हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है और उसके नमूने और अन्य चीज़े पूरी की जा रही है। उन्होंने तीन चार कारखानों के नाम दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन परियोजनाओं का मेरे प्रश्न में उल्लेख है क्या उन सब के करारों पर हस्ताक्षर हो गये हैं और इस संबंध में क्या स्थिति है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : भारी मशीन टूल संयंत्र के संबंध में परियोजना रिपोर्ट अभी अभी प्राप्त हुई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। भावनगर भारी मशीन टूल के संबंध में परियोजना रिपोर्ट विस्तार से 1966 के अन्त तक प्राप्त होगी। सविस्तार परियोजना रिपोर्ट के लिये हमने करार कर लिया है परन्तु अभी पूरी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई केवल अजमेर संयंत्र की रिपोर्ट मिली है।

श्री भागवत झा आजाद : अजमेर परियोजना क्या है ? जिसकी कि पूरी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसमें हम जो पूंजी लगा रहे हैं उसकी राशि क्या है और चैक सहयोग के रूप में क्या उपलब्ध होगा।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : भावनगर और अजमेर स्थित दो परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय मोटे तौर पर 12 करोड़ रुपये है और उन्होंने चार करोड़ रुपया की पेशकश दोनों परियोजनाओं के लिए की है।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether some decision has been taken regarding the places where the projects will be established with Czech Collaboration and the basis on which the decision has been taken ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह मामला विशषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्रयोग के लिये कुछ स्थानों का सुझाव दिया गया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : कब तक ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मेरा कहना है कुछ मामलों का फैसला 1966 के अन्त तक हो जावेगा।

श्री स० चं० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन उपक्रमों का उल्लेख माननीय मंत्री ने कहा है उस सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह सारी परियोजनायें सरकारी क्षेत्र की हैं।

श्री सुबोध हंसदा : कारखाने की इमारत बनाने के बारे में सरकार क्या पग उठा रही है ताकि शीघ्र अति शीघ्र उसका निर्माण होना संभव हो सके ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हमने उनके साथ संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं और अब वे शीघ्र ही परियोजना रिपोर्ट भेजेंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : चेकोस्लोवाकिया ने भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों तथा सामग्री का अधिकतम उपयोग करने के लिय क्या आश्वासन दिया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसका पता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आने पर लगेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह परियोजना रिपोर्ट भारतीय तकनीशनों द्वारा तयार की जा रही हैं या केवल चेकोस्लोवाकिया के तकनीशनों द्वारा ? क्या इनमें से एक परियोजना उत्तर प्रदेश को जहां भारी उद्योगों की पहले से कमी है दी जायेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : परियोजना रिपोर्ट पर चेकोस्लोवाकिया के तकनीशनों द्वारा कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर जैसा कि मैं ने कहा है, यह है कि जब तक अन्तिम परियोजना रिपोर्ट नहीं आ जाती अवस्थापन के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता।

Shri Kashi Ram Gupta : Mention has also been made of 110 megawatt steam Power plant in this answer. Will the decision regarding this steam plant also be made upon the advice of the expert or Government will take an independent decision in the Matter ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह अवश्य ही विशेषज्ञों से भी परामर्श करने के बाद किया जायेगा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ़ : यह ठीक है कि परियोजना रिपोर्ट चेकोस्लोवाकिया के तकनीशनों द्वारा तैयार की जायेगी । परन्तु जहां तक रूपांकन (डिज़ाइन) का प्रश्न है क्या वह भारतीय इन्जिनियरों द्वारा किया जायेगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इन सब मामलों में वे हमारे तकनीशनों का भी परामर्श लेते रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या भारी मशीनरी औज़ार संयंत्रों की वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है या मौजूद संयंत्रों की कुछ क्षमता बेकार भी है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कच्चा माल न मिलने तथा अन्य कारणों से बेकार क्षमता भी है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अजमेर के संयन्त्र की संस्थापित क्षमता, उत्पादन का लक्ष्य, रोजगार की क्षमता तथा पूंजी व्यय क्या होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): पूंजी विनियोजन करीब 5 करोड़ रुपये का है, उत्पादन क्षमता 3000 टन प्रति वर्ष है और रोजगार क्षमता के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : ट्रैक्टर कारखाने के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के उपयोग के लिये कम अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टरों के निर्माण पर ज़ोर दिया जा रहा है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है। ट्रैक्टर कारखाने के संबंध में उनका कहना है कि वह एक मिश्रित कार्यक्रम होगा। उसमें 12,000 ट्रैक्टर तथा 15,000 औजार होंगे।

ईदगाह और पाथौली स्टेशनों के बीच रेलवे पुल

\+

*479. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर ईदगाह और पाथौली स्टेशनों के बीच का रेलवे पुल 15 दिसम्बर, 1965 को, प्रतिरक्षा सामान से लदी हुई एक शंट की जा रही रेलगाड़ी के पुल के गर्डरों से टकरा जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 6,250 रुपये की क्षति का अनुमान है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना रेल-कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

Shri Rameshwar Tantia : Since this accident took place owing to the girders, had the Railway Inspectors not been inspecting the girders from time to time to see whether they were in good order or not ?

Shri Sham Nath : It is not the question whether the girders were in good order or not. This accident took place because the wagon was loaded with over dimensional consignment and this consignment collided with the girder of the fly-over bridge.

Shri Rameshwar Tantia : Is the number of railway accidents this year more or less than what it was during the last year ?

Shri Sham Nath : They are less this year.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : They are more now.

Shri M. L. Dwivedi : Did the consignment which collided with the girders of the bridge contained imported defence equipment, the damage to which it is not possible to make up ? What has been the total loss ?

Shri Sham Nath : The damage has been done by the fly over bridge .. ..

Shri M. L. Dwivedi : Whether the defence equipment was an imported material, has not been answered.

Mr. Speaker : You are putting up questions while he is replying, first please let him finish his answer.

Shri Sham Nath : Only the Ministry of Defence can give details of the consignment that was loaded on the wagon.

श्री अ० प्र० शर्मा : अभी अभी उपमंत्री महोदय ने कहा है कि यह सब रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हुआ है । रेल कर्मचारियों की विशेष ग़लती क्या थी क्योंकि उन्होंने अभी अभी कहा है कि ल्फाई ओवर पुल को क्षति पहुंची है ।

श्री शाम नाथ : स्पष्ट ग़लती तो यह थी कि उन्होंने ओवर-डाइमेंशनल कन्साइनमेंट को ले जाने दिया ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि गाड़ी की एन्जिन की अवधि समाप्त हो चुकी थी ।

श्री शाम नाथ : इस का मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : Since the consignment containing defence equipment was of bigger dimensions and the bridge was not so wide, and both the consignment and the bridge were damaged owing to collision, is there any action being taken against the employee who wrote off without checking up the things ? Is he still in Service ?

Shri Sham Nath : Departmental proceedings are in progress.

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, क्या आप की गर्दन की मांसपेशियों में कठोरता आ गई है जिस के कारण आप बाई ओर शायद ही कभी देखते हैं ? चार प्रश्नों के दौरान मैंने बोलने के लिये बुलाये जाने की कोशिश की परन्तु सफ़ल नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है ऐसा ही हो।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यह अप्रिय शब्द हैं और मैं चहाता हूं कि माननीय सदस्य इन्हें वापस लें।

श्री कपूर सिंह : मैंने कोई ग़लती नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा कहा जा रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी डाक्टर को दिखाऊंगा।

श्रीमती सावित्री निगम : इस प्रकार की घटनायें.....

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती सावित्री निगम को बोलने के लिये बुलाया है।

श्रीमती सावित्री निगम : ऐसी घटनायें रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नहीं बल्कि उनके अधिक उत्साह के कारण समय-समय पर होती रहती हैं। क्या इन गाड़ियों पर माल लादने के तरीके तथा अुसकी मात्रा के संबंध में कोई विशेष विनियम बनाये गये हैं ?

..श्री शाम नाथ : अधिक उत्साहित होना भी कभी कभी एक भूल होती है। जहां तक इस घटना का संबंध है, जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह दुर्घटना केवल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही हुई है।

श्री अ० प्र० शर्मा : कृपया मझे अपना व्यवस्था का प्रश्न रखने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी हाल माननीय उपमंत्री ने कहा था कि मामले पर विभागीय जांच की जा रही है। अभी इस मामले की जांच की जा रही है और संबंधित व्यक्ति का दोष अभी तक स्थापित नहीं किया गया है परन्तु मंत्री महोदय ने निर्णय दे दिया है कि कर्मचारियों का दोष है ? क्या इस तरह जांच समिति का निर्णय पक्षपातपूर्ण नहीं हो जायेगा ?

श्री शाम नाथ : अधिकारियों की समिति की जिसने इस दुर्घटना के बारे में जांच की है यह स्पष्ट राय है कि दुघटना कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई थी। अब संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कायवाही चल रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : If the number of accidents this year has been more than what it was during the preceding year, then should it be inferred that all the work is being done in a negligent manner and the accidents have increased due to that reason ?

Mr. Speaker : He has not admitted that the number of accidents has increased.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The number of accidents has increased.

Mr. Speaker : You are saying again and again that the number of accidents has increased but he says that the number has not increased.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What steps are Government going to take to reduce the numberr of accidents in future ?

Shri Sham Nath : The number of accidents has not gone up.

Shortage of Raw Material

+

*480. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwary :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri P. C. Borooah :
Shri Shree Narayan Das :
Dr. P. Srinivasan :
Shri Parmasivan :
Shri D. J. Naik :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Indrajit Gupta :
Shri D. C. Sharma :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. K. Deo :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many industries are at a stand still or are partially closed for want of imported raw material;

(b) what has been the impact of raw material shortage and foreign exchange difficulties on industrial production in the second half of 1965; and

(c) the steps taken by Government to provide necessary foreign exchange for such industries as are mostly dependent on imported raw materials ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibhudhendra Misra) : (a) A few factories were reported to have closed down for short periods for want of imported raw materials.

(b) The shortages of imported raw materials did not aflect industrial production in the second half of 1965 to any great extent, mainly because most of the industries had stocks of raw materials and continued to import materials on their past licences.

(c) Government have made additional releases of foreign exchange to priority industries in January 1966. Further allocations from credits becoming available are also being made. The National Defence Remittance Scheme has also helped in some of the industries to import their essential raw materials, components, spares, etc.

Shri M. L. Dwivedi : Have suitable steps been taken by Government towards making up the shortage of imported raw materials required by large-scale and small-scale industries during 1966-67 ? How much shortage, if any will still be there and what steps Government propose to take to make up for this further shortage?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : हमने आवश्यक वस्तुओं का 50 प्रतिशत आयात करने की आज्ञा दे दी है। इस के अतिरिक्त जैसा कि मेरे साथी ने कहा है, जिन उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है जैसे ट्रक, बसों इत्यादि के उद्योग उन उद्योगों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा 10 करोड़ डालर के ऋण की व्यवस्था की गई है।

Shri M. L. Dwivedi : Last year the import policy was declared late by six or eight months with the result that almost all the industries suffered heavily. Will the import policy be declared on the 1st of April next or not ? If not, why?

Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : It will be declared on the 1st of April. Last year, the delay was not by eight months but by three months.

श्री भागवत झा आज़ाद : कौन कौनसा कच्चा माल और किन देशों से उसे आयात किया गया था ? क्या यह तथ्य है कि जिस कच्चे माल के न मिलने के कारण हमारें उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था वह राष्ट्रमण्डल में हमारे वरिष्ठ साथी ब्रिटेन से आता था जिसने उस माल को आयात किये जाने को पाकिस्तान से होने वाले संघर्ष के कारण बंद कर दिया था ?

श्री संजीवैया : यह सत्य है कि कुछ समय के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण सहायता बंद कर दी गई थी। परन्तु अभी हाल में जब सर नौरमेन किपिंग हमारे देश में पधारे थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सहायता पुनः आरम्भ कर दी जायेगी और जारी रखी जायेगी और में आशा करता हूं कि इसी के साथ साथ अमरीका से भी वहां के उप-राष्ट्रपति की घोषणा के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त कुछ और सहायता आयेगी।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह तथ्य है कि कारखानों को इसलिये काम बन्द करना पड़ा या उनका काम इसलिये ठप हो गया था कि आयातित कच्चे माल, विशेषत : अलोहीय धातु का असमान वितरण हुआ था ?

श्री मनुभाई शाह : यह धारणा ग़लत है कि पिछले वर्ष आयात पर नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाये गय थे हालांकि हमारी नीति बहुत कड़ी थी। पिछले वर्ष 788 करोड़ रुपये का कच्चे माल का आयात किया गया था और हम ने मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कुछ आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में निर्माण करने के कारण आयात पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 करोड़ रूपये कम था। अत : वास्तव में उद्योगों को पिछले वर्ष में उससे पहले वाले वर्ष की अपेक्षा कम माल नहीं मिला था।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि बड़े उद्योग कच्चे माल का स्टाक रखते हैं परन्तु लघु उद्योग ऐसा नहीं कर सकते ? इस को देखते हुये क्या सरकार लघु उद्योगों के लिये कुछ कच्चा माल स्टाक में नहीं रखेगी ?

श्री संजीवैया : जी, हां। ऐसा प्रस्ताव है कि लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का एक डिपो बनाया जाये।

श्रीमती सावित्री निगम : यह देखते हुये कि कच्चे माल की कमी है और चूंकि उसपर ढीला नियंत्रण है तथा उसका वितरण ठीक नहीं है, वह चोरबाज़ारी में बिकता है, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है जिस से लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की कमी के कारण कोई हानि न पहुंचे ?

श्री संजीवैया : जहां तक वर्तमान व्यवस्था का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्या से सहमत नहीं हूं क्योंकि स्थिति उनके कथन के अनुसार नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : वह चोरबाज़ार में बिक रहा है।

श्री संजीवैया : भारत सरकार विभिन्न राज्यों के लिये कच्चे माल का आवंटन लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के द्वारा करती है और यह उन राज्यों का कार्य है कि वे उस कच्चे माल को विभिन्न लघु उद्योगों में वितरित करें। मैं नहीं कह सकता कि जैसा माननीय सदस्या ने कहा है वैसा राज्यों के स्तर पर हो रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The small scale industries in the private sector do not get sufficint raw-materials and whatever is allotted to them by Government does not fully meet their requirement and therefore, they buy the rest of their requirements in the black-market. What steps are Government taking to ensure adequate supply of raw materials to these small-scale industries ?

श्री संजीवैया : जी हां, यह सत्य है कि लघु उद्योगों को उतना कच्चा माल नहीं मिल पाता जितने की उन्हें आवश्यकता होती है । अत : हम लघु उद्योगों को यह सुझाव देते है कि वे स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करें। हम अपने वैज्ञानिकों से भी यह अनुरोध कर रहे है कि वे आयात किये जाने वाले माल के स्थान पर उपयोग किये जाने योग्य माल का पता लगायें ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या विश्व बैंक ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह औद्योगिक कच्चे माल के आयात-निर्यात पर लगे नियंत्रण को हटाये ? यदि ऐसा है तो, सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : हम ने कल एक विधेयक पारित कर के आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की अवधि पांच वर्ष और बढ़ा दी है । वह यथार्थत: उसका विनियमन करने के लिये किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री उत्तर देते समय मेरी ओर दृष्टि रखें तो वे सब को सुनाई देंगे ।

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that owing to shortage of raw materials during the last four or five months, nearly ten thousand workers in metal and engineering industries in Bombay and Calcutta had to face unemployment? If so, what steps have Government taken during the preceding one and a half months to supply those industries with raw-materials and to relieve unemployment there ?

श्री संजीवैया : जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हम आयात किये जाने वाले माल के स्थान पर उपयोग किये जाने योग्य माल का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं । साथ-साथ हमने इंजिनियरी उद्योगों से कहा है कि यदि संभव हो तो, वे हम से लाइसेंस मांगे बिना दूसरी वस्तुओं का उत्पादन करें।

Shri Madhu Limaye : The first part of the question has not been answered. I had asked whether some ten thousand people had to face unemployment. The honourable Minister should give some figures or at least say something in this regard.

श्री संजीवैया : हमारे पास कोई सूचना नहीं है। वास्तव में, मुख्य उत्तर में ही मेरे साथी ने कहा था कि कुछ कारखाने बन्द हो गय होंगे ।.....

Shri Madhu Limaye : What does 'might have been' mean ?

हम यह नहीं कह सकते कि बेरोज़गारी का विशेष कारण कच्चे माल का न मिलना था ; वह बिजली में कटौती, ऋण संकुचन अथवा स्टाक के इकठ्ठा होने के कारण हो सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब श्री म० ला० द्विवेदी, जो मेरे पीछे बैठते हैं, बोलते हैं तो वह हर वाक्य के समाप्त होने पर अपना हाथ मारते हैं जो प्राय मेरे सर पर लगता है .....

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के नेता से कहूंगा कि वह श्री म० ला० द्विवेदी को दूसरा स्थान दे दें और उनका स्थान किसी और सदस्य को दे दें।

श्री दी० चं० शर्मा : आप ऐसा न करें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Please send him to me.

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे पता नहीं था कि कभी कभी पंजाब के सदस्य झूठ भी बोलते हैं।

श्री हेम बरुआ : यह बहुत गम्भीर आरोप है कि पंजाब के सदस्य प्राय झूठ: बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल भी मुझे कहना पड़ा था कि माननीय सदस्य ऐसा न कहा करें कि अमुक सदस्य झूठ बोलते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : झूठ बोलना अब फ़ैशन हो गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि सर नौरमेन किपिंग के आश्वासन के बावजूद जब कभी हम कठिनाई में होंगे, ब्रिटेन तथा अमरीका जसे अन्य लोकतंत्रों का रवैया अपूर्वदृष्ट होगा। यदि ऐसा है तो क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच कर रहे हैं कि रूस तथा पूर्वी योरोप के देशों अथवा अन्य देशों से कच्चा माल मिल सकता है और कठिनाई के समय यह देश हमें धोखा नहीं देंगे ?

श्री संजीवैया : हम अन्य मित्र देशों से कच्चा माल मांगने के लिये झिझकते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह अपने स्थान में नहीं हैं। यह प्रथम अवसर है कि जब वह अपने स्थान में नहीं हैं। स्वामीजी।

Shri Rameshwaranand : Raw materials are imported from foreign countries and frequently in times of emergency the supplies are not stopped and a crisis results. Is it possible to produce in our own country the raw-material which is imported from foreign countries so that we can ward off times of crisis? Are any efforts being made in this behalf?

श्री संजीवैया : जी, हां। मैंने पहले ही कहा है कि हम ऐसे उद्योग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं .....

श्री संजीवैया : हम कुछ ऐसे उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे है जो ऐसा माल तैयार करें जिसकी कुछ अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में आवश्यकता है।

श्री दाजी : क्या सरकार को विदित है कि बहुत से उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कच्चे माल को केवल सैनिक कार्यों के लिये सुरक्षित रख दिया गया है और उन्हें सैनिक क्रयादेश भी नहीं मिल रहे हैं तथा अन्य क्रयादेशों को वे पूरा नहीं कर सकते है? सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : यह सही नहीं है। हम ने अपनी संक्षेप आवश्यकतायें उद्योग मंत्रालय को बता दी हैं तथा उसी सीमा तक माल को सुरक्षित किया गया है। हम ने सारा माल सुरक्षित नहीं किया है।

श्री रंगा : क्या ताशकंद समझौते के बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है?

श्री अ० म० थामस : जी, हां।

श्री हेम बरुआ : 3 मार्च को उद्योग मंत्री ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विदेशी मुद्रा के आवंटन में अत्याधिक कटौती की जायेगी। चूंकि अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयात किये गये कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है, इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सामान्यतया उद्योगों पर होने वाले इस निर्णय के संभावित परिणाम की जांच की है?

श्री संजीवैया : यह सच है। वास्तव में हिन्दुस्तान मशीन टूल कारखाने का घड़ी विभाग 50% क्षमता से कार्य कर रहा है और यही कारण है कि हम इसके कछ तैयार माल का निर्यात करने का विचार कर रहे है, ताकि विदेशी मुद्रा कमाई जा सके।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि 3 मार्च को माननीय उद्योग मंत्री ने कहा था कि कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विदेशी मुद्रा के आवंटन में अत्याधिक कटौती की जायेगी। प्रश्न यह है कि चूंकि देश के अधिकतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिये सरकार के इस निर्णय का कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में कमी की जाये देश के उद्योगों पर कुप्रभाव पड़गा। इसलिये मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने यह निर्णय करने से पहले इस बात की जांच की थी।

श्री संजीवैया : सरकार ने स्थिति की जांच की है। वास्तव में कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऐसे है जिन्हें कुछ विदेशी देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है और उन्होंने उन उपक्रमों को चलाने के लिये अपेक्षित कच्चा माल तथा पुर्जे देने का वचन दिया है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन्हें या तो काली सूची में रख दिया गया है अथवा उन के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं उन्हें कच्चा माल सप्लाई करने के सम्बन्ध में क्या नीति है।

श्री संजीवैय्या : मैं समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हें काली सूची में रखा गया है। वह जानना चाहते हैं कि सरकार की उन उद्योगों के संबंध में क्या नीति है, क्या उन्हें कच्चा माल सप्लाई किया जायगा।

श्री संजीवैया : यदि कुछ उद्योगों ने वास्तव में ऐसा अपराध किया है जैसा कि उन्हें दिये गये कच्चे माल को काले बाजार में बेचना आदि तो अवश्य ही उन्हें कच्चा माल नहीं दिया जायेगा।

यूरोपीय साझा बाजार

+

***481. श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूरोपीय साझा बाजार की नवम्बर, 1965 में हुई बैठक में इसके सदस्यों द्वारा भारत की आवश्यकताओं के प्रति दिखलाई गई अधिक सहानुभूति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने यूरोपीय साझा बाजार के साथ द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ करने के लिये कोई पहल की है, ताकि उन्हें भारत से अधिक सामान का आयात करने के लिये प्रेरित किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। 23 नवम्बर, 1965 को यूरोपीय संसद ने मंत्रियोंकी परिषद् में एक संकल्प स्वीकार किया जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग को भारत सरकार के प्रतिनिधियों से सम्पर्कों को घनिष्ठ करने के लिये आमंत्रित किया गया। इसका उद्देश्य भारत तथा समुदाय के देशों के मध्य व्यापार सम्बन्धों का विस्तार करने के लिये द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने की तैयारी करना था।

(ख) तथा (ग) : ब्रसेल्स स्थित भारतीय आर्थिक मिशन, अन्य ऐशियाई देशों की सरकारें, यूरोपीय संसद के संकल्प तथा अधिनियमों में दिये गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। इस प्रारम्भिक बातचीत के परिणामों का अभी प्राक्कलन नहीं किया जा सकता। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 5753/66]

Shri Madhu Limaye : There are 17 items in the list and almost all of them are spices except tea. I would like to know the commodities exported under these concessions during 1964 and 1965 to West European Countries and the targets fixed for this year.

Shri Manubhai Shah : Our exports of these 17 commodities have gone up by Rs 3.5 crores due to these concessions. No targets have been fixed for the next year, but we hope our exports would increase.

Shri Madhu Limaye : The foreign trade of these West European Countries is quite progressive. May I know whether a special envoy will be appointed to look after our trade interests and to strengthen our relations with those Countries or whether this task has been entrusted to our Missions abroad. I think it would be more profitable if a permanent envoy is appointed for this purpose.

Shri Manubhai Shah : As the hon. Member has stated these six countries and other European countries are very rich but their trade policy is very restrictive. They have fixed quotas and imposed tariffs and their is no facility for undeveloped Countries in the name of free enterprise to sell their goods. Therefore we have been persuading them since last twenty or twenty five years to liberalise their policy. We cannot leave it to the Mission and the Mission does not do the trading. It is the hundreds and thousands of exporters on both sides that are doing the trade.

Shri Madhu Limaye : Their trade policy is not favourable for our exports and for the exports of other under devleoped countires. So I wanted to know whether Government proposed to appoint a special envoy having wide irnformation regarding export trade.

Shri Manubhai Shah : This work does not fall under the jurisdiction of a Mission.

Shri Madhu Limaye : May I know whether a special envoy will be appointed in order to improve our relations with European Economic Market ?

श्री मनुभाई शाह : हमारा वहां पहले ही असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री है, जो किस अन्य देश का नहीं है। हमें वहां और अधिक मिशनों की आवश्यकता नहीं है। यह काफी शक्तिशाली है ।

Shri M. L. Dwivedi : From the statement placed on the Table of the House it appears that the exports of Cashew Kernels have been reduced from 5 % to 2½% and that of tea has been reduced from 23% to 5%, which means that these concessions have adversely effected our exports. Therefore, I fail to understand what concessions have been granted, I would like to know them.

Shri Manubhai Shah : The hon. Member has misunderstood the point. In the statement it has beeen stated that tariff has been reduced from 5% to 2½ per cent on Cashew Kernels, from 20% to Nil on edible materials and from 25% to Nil on Cardamoms and so on. The hon. Member may see that tariff has been reduced or concessions have been granted on the 17 commodities listed in the said statement.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि यूरोपीय साझा बाजार के साथ भारत का जो व्यापार होता है उस में प्रमुख वस्तु चाय है और यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में निर्यात की जाने वाली चाय पर उत्पादन शुल्क वापस करने की व्यवस्था न करने पर यूरोपीय साझा बाजार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक यूरोपीय साझा बाजार का संबंध है, हम उनके अभारी हैं कि उन्होंने खुली चाय के निर्यात पर प्रशुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया है, तथा पैक्टों में भेजी जाने वाली चाय पर इसे 23 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण रियायत है। परन्तु निर्यात को बढ़ाने के लिये केवल शुल्क का हटाया जाना ही पर्याप्त नहीं है, इस के लिये कई अन्य बातों की भी आवश्यकता है, जिस में प्रमुख उन देशों की सरकारों की सहायता से वहां विक्रय को बढ़ावा देना है ।

श्री भागवत झा आजाद : मद 7 तथा हाऊस आफ कामन्स के विरोधी नेता श्री हीथ के इस वक्तव्य कि ब्रिटेन यथाशीघ्र संभव यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बनने का प्रयत्न करेगा, की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि इन रियायतों से भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा जब कि हमारा अधिकतर व्यापार ब्रिटेन के साथ है और वह राष्ट्रमंडल में हमारा वरिष्ठ सहयोगी है।

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सभा को ज्ञात है पिछले राष्ट्रमंडलीय मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई थी कि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बनेगा, भले ही उसे तथा राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के कुछ रियायतों का परित्याग करना पड़े तथापि वह उन पारस्परिक रियायतों को तब तक नहीं हटायेगा जब तक की एफटा तथा रोम संधि वाले देशों में राष्ट्रमंडल कि व्यासोन्मुख देशों द्वारा किये गये निर्यात पर समान रियायतें प्राप्त न हो जायें।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह वक्तव्य भारत-पाक सशस्त्र संघर्ष से पहले दिया गया था अथवा उस के बाद में।

श्री मनुभाई शाह : यह वक्तव्य संघर्ष के दौरान दिया गया था।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से यह पता चलता है कि ये रियायतें केवल कृषि उत्पादों के बारे में प्राप्त की गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गर-कृषि उत्पादों जैसा कि तैयार माल आदि के बारे में भी कोई रियायत प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है।

श्री मनुभाई शाह : केवल कुछ मुख्य उत्पादों तथा कुछ तैयार की गई वस्तुओं पर हम रियायतें प्राप्त कर सके हैं। निर्मित माल पर अभी कोई रियायत प्राप्त नहीं हो सकी है। इस के लिये वार्ता जारी है।

श्री स० चं० सामन्त : ब्रिटेन तथा यूरोपीय साझा बाजार के करार के अन्तर्गत चाय तथा गर्म देशों में बनाये जाने वाले लोहे के सामान पर दिसम्बर, 1965 तक या तो शुल्क कम कर दी गई थी या इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस करार का भी नवीनीकरण किया गया है?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मुख्य उत्तर में मैंने कहा है ब्रुसेल्स स्थित हमारे राजदूत श्री लाल इस करार को दो अथवा तीन वर्ष की अवधि तक और बढ़वाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कन्डप्पन : क्या यूरोपीय साझा बाजार में हमारे हथकरघा कपड़े के निर्यात की कोई गुंजाइश एवं सम्भावना है?

श्री मनुभाई शाह : हथकरघा कपड़े पर प्रशुल्क लागू नहीं है। यह हथकरघा उत्पादों पर लागू नहीं है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जब कि मैं प्रशुल्क की दरों में की गई कमी की सरहाना करता हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में की जाने वाली आयात के अनुपात में ही निर्यात किया जा रहा है या नहीं।

श्री मनुभाई शाह : हम इस बात के लिये हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं तथापि पश्चिमी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध इतने मैत्रीपूर्ण है कि हम केवल प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं करना चाहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है और जब कभी भारत तथा पाकिस्तान के बीच प्रतियोग्यता होती है, तो पास्कितान को प्राथमिकता दी जाती है, मैं जानना चाहता हूं कि इन करारों के लिये कितनी बार पाकिस्तान को प्राथमिकता दी गई है।

श्री मनुभाई शाह : मुझे एक भी ऐसी घटना याद नहीं है जब दोनों देशों में भेदभाव किया गया हो। हाल ही में हमारा ब्रिटेन के साथ कपड़े के बारे में एक करार हुआ है जिस में ब्रिटेन ने हमारा 21 करोड़ गज कपड़ा लेना स्वीकार कर के उदारता का परिचय दिया है, जबकि पाकिस्तान से केवल 4 करोड़ कपड़ा लिया जायेगा।

कोयला विशेषज्ञों का रूसी दल

+

*482. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खान तथा धातु मंत्री 3 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विशेषज्ञों के रूसी दल ने दिसम्बर, 1965 में पश्चिमी बंगाल और बिहार में कोककर कोयले वाले सभी क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) क्या देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में उनके साथ कोई बातचीत हुई थी;

(ग) क्या उनका विचार भी देश में कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने स्थापित किये जाने वाले कोयला धोने के कारखानों की कोई विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सैं० अ० मेहदी): (क) और (ख): रूसी दल ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोकिंग कोयला परियोजना के स्थलों का निरीक्षण किया जिन्हें रूसी सहायता से विकसित किये जाने का प्रस्ताव है तथा उनके साथ वार्तालाप हुए जिनका सम्बन्ध इन परियोजनाओं के विकास से था ।

(ग) नहीं, महोदय ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया है कि रूसी दल ने बिहार तथा बंगाल में उन सरकारी कोयला खानों का दौरा किया था जिन का प्रबन्ध राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उन कोयला खानों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट थे ?

श्री सैं० अ० मेहदी : रूसी दल ने केवल इन आठ स्थानों का यह जानने के लिये दौरा किया था कि वे क्या सहायता दे सकते हैं। वे सब कोयला खानों में नहीं गये।

श्री सुबोध हंसदा : क्या ये विशेषज्ञ हमारे उन कोयला धोने के कारखानों में भी गये थे जिन में घाटा हो रहा है तथा जिन का उत्पादन क्षमता से कम है और यदि हां, तो क्या उन्होंने सुधार के कुछ सुझाव दिये हैं ?

श्री सैं० अ० मेहदी : इस योजना का कोयले धोने के कारखानों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या वह दल भारत सरकार के निमंत्रण पर आया था, और यदि हां तो क्या उस का खर्च भारत सरकार ने उठाया था ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : वे हमारे निमंत्रण पर आये थे।

श्री स० चं० सामन्त : मैं व्यय के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सु० कु० डे : अभी आंकड़े नहीं बताये जा सकते। मेरे विचार में अन्ततः हमें जो सहायता प्राप्त होने की आशा है, यह व्यय भी उसी में सम्मिलित होगा।

श्री भागवत झा आजाद : योजना के अन्तर्गत हम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये निर्धारित कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों में भी कमी कर रहे हैं, हलांकि यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। मैं जानना चाहता हूं कि रूसी विशेषज्ञों की सहायता उत्पादन बढ़ाने लिये है अथवा उत्पादन घटाने के लिये।

श्री सु० कु० डे : यह कोकिंग कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये है, जिस की बहुत मांग है तथा जिस की देश में कमी है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether we do not have such coal export in our country and that is why we have to invite Russians experts and if we have such experts, the reasons for inviting Russian experts and the special benefits derived out of their visit ?

श्री सु० कु० डे : यह रूसी विशेषज्ञों का हमारी कोयला खानों का निरीक्षण करने का प्रश्न नहीं है। इस का उद्देश्य उन उपकरणों की आयात के लिये सहायता प्राप्त करना है, जिन की यहां कमी है।

श्री प्र० चं० बरुआ : आसाम में ऐसे कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं, जिस में काफी प्रतिशत गंधक पाया जाता है। यदि इस कोयले को धोया जाय तो हमें कोयला और गंधक दोनों प्राप्त हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों के कारण इन रूसी विशेषज्ञों को आसाम के कोयले के खेत नहीं दिखाये गये।

श्री सैं० अ० मेहदी : ये रूसी विशेषज्ञ यह जांच करने आये थे कि क्या इन आठ परियोजनाओं को सहायता दी जानी चाहिये और इन परियोजनाओं की आवश्यकतायें क्या हैं। आसाम की कोयला खानें इन परियोजनाओं के अन्तर्गत नहीं हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : As the hon. Minister has stated that the team of these Soviet experts visited all coal fields in Assam and West Bengal, may I know whether these experts have submitted an interim report to Government in order of increase coal production ?

श्री सैं० अ० मेहदी : इन रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रा० बरुआ : रुमानिया के साथ हमने पहले ही सहयोग प्राप्त किया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान प्रबन्ध के कारण पहले किये गये प्रबन्धों में किस प्रकार सुधार किया जायेगा ?

श्री सैं० अ० मेहदी : मुझे रुमानिया से प्राप्त किसी सहायता की जानकारी नहीं है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मध्य प्रदेश में कोयला विद्यमान होने की बहुत अधिक सम्भाव्यता को देखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दल को मध्य प्रदेश का दौरा करने का निमंत्रण दिया गया है और यदि नहीं, तो इस के कारण ?

श्री सैं० अ० मेहदी : जैसाकि मैंने पहले कहा है यह दल विशेषतयः 8 परियोजनाओं का दौरा करने के लिये आया है और आशा है कि वह इस बारे में कि क्या सहायता दी जा सकती है अपना प्रतिवेदन देंगे।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

Question Hour Over.

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न को लेंगे। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, इससे पहले कि आप अल्प सूचना प्रश्न को लें, मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि कल हम ने भूख हड़ताल के बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न आपके निर्णय के लिये रखा था।

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी : कल आप ने कहा था कि या तो मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे अथवा.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस प्रकार बीच में नहीं टोका जाना चाहिये। हम पहले इस अल्प सूचना प्रश्न को लेंगे।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

अ० सू० प्र० 7. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मौर्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरी निगम, रांची में 28 फरवरी, 1966 को फिर आग लगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां; मोल्टन मेटल केबल, एक छोटे मोटर तथा एक बाल बेयरिंग आदि में लीकेज हो जाने के कारण फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट में आग लग जाने से लगभग 20,000 रु० का नुकसान हो गया था।

(ख) इस दुर्घटना के कारणों और वास्तविक नुकसान की जांच-पड़ताल करने के लिये एक जांच-न्यायालय नियुक्त कर दिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसी प्रकार का जो एक अग्निकांड पहले हुआ था उस के बारे में न्यायाधीश पी० मुकर्जी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार किया गया था और क्या यह पता लगा था कि दो प्रतिद्विन्द्वी मजदूर संगठनों के बीच लड़ाई के कारण यह दुर्घटना हुयी थी, जिससे निगम को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस संयंत्र को और अधिक नुकसान न पहुंचाया जाय, उस-प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री संजीवैया : उस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि 3 अक्तूबर, 1964 को सभा-पटल पर रखी गई थी। उस पर यह कार्यवाही की गई है कि निगम के प्रधान श्री नागाराजन के स्थान पर श्री टी० आर० गुप्ता को प्रधान नियुक्त किया गया है। श्री शान्डिलम, वित्त निदेशक तथा मेजर हबीउल्ला, श्रम तथा सुरक्षा निदेशक ने भी निगम की नौकरी छोड़ दी है। दुर्घटना के समय के सचिव श्री आर० पी० सिन्हा को पुनः बिहार सरकार की नौकरी में वापस भेज दिया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें वापस नहीं भेजा गया है अपितु बिहार सरकारने उन्हें वापस बुला लिया है ।

श्री संजीवैया : कई अन्य कार्यवाहियां भी की गई थीं ।

Shri Madhu Limaye : Crores of rupees have been spent on the Corporation. More salaries of the employees mount upto 25 Lakhs of rupees. About six weeks back I went there and was told that there is a deep behind in incidents of fire etc. I want to know that keeping in view the importance of this factory, will the Government ask the Central Intelligence Bureau to conduct the enquiry into this affair and find out what is wrong there?

श्री संजीवैया : केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की सहायता से बिहार सरकार का गुप्तचर विभाग इसकी जांच कर रहा है। वास्तव में पहली आग दुघटना के सम्बन्ध में 20 व्यक्तियों पर संदेह किया गया था, जिन में से 19 गिरफ्तार कर लिये गये ह । जांच पूरी होनेवाली है तथा दोषारोपों की सूचियां दी जायेंगी ।

श्री दाजी : न्यायाधीश मुकर्जी के प्रतिवेदन में प्रबन्धकारियों द्वारा अत्यन्त असावधानी का उल्लेख किया गया है । इस बात के होते हुए भी क्या यह सच नहीं है कि प्रबन्धकारियों में से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति पदोन्नति पर बाहर भेजा गया है ? वह जैनरल मैनेजर अब योजन आयोग के सदस्य हैं। क्या इसी प्रकार से न्यायाधीश मुकर्जी के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

श्री संजीवैया : मेरे विचार में वह योजना आयोग के सदस्य नहीं हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वह योजना आयोग में एक सलाहकार है।

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें और अधिक वेतन मिल रहा है ।

श्री संजीवैया : यह कहना ठीक नहीं है कि वह योजना आयोग का सदस्य बन कर गये थे, हो सकता है वह योजना आयोग में कार्य कर रहे हों ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें यहां वहां से अधिक वेतन मिल रहा है ?

श्री संजीवैया : मुझे इस की जानकारी नहीं है । (**अन्तर्बाधायें**) मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिये । न्यायाधीश मुकर्जी का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद हम ने उन्हें नोटिस दिया था तथा उसका स्पष्टीकरण मांगा था । उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है । हम उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। हमने और आगे स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है । ज्योंही यह स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो जायेगा, हम इसकी जांच करेंगे तथा उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : पहली आग दुर्घटना के जिम्मेदार ठहराये गये अधिकारियों में से कितनों को नौकरी से हटाया गया, कितनो को मोआत्तिल किया गया तथा कितनों की पदोन्नति की गई ?

श्री संजीवैया : अभी तक किसी को मोआत्तिल नहीं किया गया है । जांच अभी जारी है । जांच पूरी हो जाने के बाद ही हमारे लिये आगे कार्यवाही करना संभव होगा ।

श्री रंगा : एक जांच पूरी हो चुकी है तथा सिफारिशें की गई हैं, वे कोई आगे कार्यवाही करने के लिये दूसरी जांच के परिणामों की प्रतीक्षा क्यों कर रहे है ?

श्री संजीवैया : जैसा कि मैंने कहा है केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की सहायता से बिहार सरकार का गुप्तचर विभाग इस की और आगे विस्तार के साथ जांच कर रहा है । जब हमें उन का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा तो हमारे लिये आगे कार्यवाही करना संभव होगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि जब तक उस अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं की जाती, उसे सामान्य तरीकों से पदोन्नति मिल सकती है ?

श्री संजीवैया : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी पदोन्नति हुई है अथवा नहीं। भारी इंजीनियरी निगम से उन का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मुझे मान लेना चाहिये कि न्यायाधीश द्वारा जांच के समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया था ? न्यायाधीश के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि इस विशेष अधिकारी के आचरण पर आक्षेप किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस प्रतिवेदन की क्रियान्विति में विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्री रंगा : इस बीच में इन लोगों की पदोन्नति की जा रही है।

श्री संजीवैया : यह सच है कि न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष दे दिये हैं, परन्तु हम यह जानना चाहते थे कि उन निष्कर्षों के बारे में सम्बन्धित अधिकारी क्या कहना चाहते हैं। इसलिये हम ने उन से पूछा है कि .....

श्री रंगा : क्या इन अधिकारियों को न्यायाधीश के समक्ष अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया गया था ? क्या उन्होंने इन सब बातों पर विचार कर के ही अपने निष्कर्ष निकाले हैं ? सरकार और आगे जांच क्यों करना चाहती है तथा एक अन्य समिति क्यों नियुक्त की गई है ?

श्री संजीवैया : न्यायाधीश के निष्कर्ष सरकार के पास हैं। इस से पहले कि उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाये जिसके विरुद्ध दोष लगाये गये हैं, हम ने उसे एक अवसर दिया है.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि न्यायाधीश ने जांच करते समय उस व्यक्ति को, जिस के विरुद्ध दोष लगाये गये थे, अवश्य ही अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया होगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति ने अपनी सफ़ाई पेश की होगी। न्यायाधीश ने उस स्पष्टीकरण की जांच की होगी तथा उस के बाद ही उन्होंने अपना निर्णय दिया होगा। क्या फिर भी यह आवश्यक है कि इस बात की जांच करने के लिये कि इन निष्कर्षों में सचाई है अथवा नहीं एक अन्य जांच करवाई जाये ?

श्री संजीवैया : न्यायाधीश के निष्कर्षों का पूर्ण सम्मान हुये सरकार ने यह सोचा कि किसी के विरुद्ध अन्तिम कार्यवाही करने से पहले—चाहे यह पद से बर्खास्त करना हो, अथवा मोआत्तिल करना अथवा उन के पद को घटाना—उन्हें अपनी सफाई पेश करने का अन्तिम अवसर दिया जाय।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्य बैठ जायें। क्या जांच के नियमों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारमंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी होती है तो अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत हमें उसे नोटिस देना पड़ता है तथा उसका स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है तथा उस के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के बाद ही जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है हम कार्यवाही कर सकते हैं। जांच चाहे किसी प्रकार से की गई हो और यदि न्यायाधिकरण ने यह निणय लिया हो कि इस मामले में कुछ दोष सिद्ध होते है, तो भी हमें अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति का स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है, तथा उस के बाद ही हम कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री श०ना०चतुर्वेदी : मैं जानना चाहता हूं कि न्यायिक जांच पूरी होने के बाद तथा उस का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उस अधिकारी को मोआत्तिल करने में क्या बाधा थी ? जहां तक अनुच्छेद 311 का सम्बन्ध है यह सजा से सम्बन्धित है, मोआत्तिल करने से नहीं।

श्री सुब्रह्मण्यम : मोआत्तिल करना एक अलग बात है..... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह पूछा गया था कि दूसरे नोटिस की क्यों आवश्यकता हुई। (**अन्तर्बाधायें**) शांति, शांति। मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। परन्तु अब प्रश्न यह है कि जब न्यायिक जांच की गई थी और कुछ निष्कर्ष निकाले गये थे, तो क्या यह अधिक अच्छा नहीं होता कि पहले उस अधिकारी को मोआत्तिल किया जाता तथा उस के बाद उस के विरुद्ध जांच की जाती ?

श्री संजीवैया : जब कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, तो हमें यह भी देखना होता है कि निष्कर्ष किस प्रकार का है, सम्बन्धित अधिकारी ने किस प्रकार का अपराध किया है, अपराधी को किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिये, उसे मोआत्तिल किया जाना चाहिये अथवा नहीं और अन्तिम निर्णय किस प्रकारका किया जाना चाहिये। इस लिये अन्तिम निर्णय करने से पहले यह निर्णय किया गया था कि उसे मोआत्तिल न किया जाय।

श्री उ० म० त्रिवेदी : प्रश्न बहुत सरल है। मेरे विचार में माननीय मंत्री ने अनुच्छेद 311 के उपबन्धों को गलत समझा है। जब कथित व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है और रिपोर्ट बनाई जाती है और यदि वह रिपोर्ट उस के विरुद्ध है तो सरकार के लिय उसे मोआत्तिल करने के बाद यह नोटिस देना आवश्यक है कि उस के पद में कमी की जाये अथवा नहीं; उसे नौकरी से हटाया जाये अथवा नहीं और उसे बरखास्त किया जाये अथवा नहीं। उस के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकार के पास के वल तीन विकल्प रह जाते हैं। इसलिये उसे जो नोटिस दिया जाये वह उस का स्पष्टीकरण मांगने के लिये नहीं; बल्कि उसे दी जानी वाली सजा के स्पष्टीकरण के रूप में होना चाहिये। ऐसी परिस्थितियों में उसे मोआत्तिल न करने का कोई औचित्य नहीं था, अतः उसे मोआत्तिल किया जाना चाहिये था। उस से केवल यही स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये था कि उसे फलां प्रकार की सजा क्यों न दी जाय। अतः मैं जानना चाहूंगा कि यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री संजीवैया : महोदय, मैं आप के द्वारा सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सारे मामले की और जांच करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अनुच्छेद 311 का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि मामलो की आगे जांच की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न यह है कि वह लोगों को मोआत्तिल क्यों नहीं करते हैं ? अनुच्छेद 311 में दिया गया है :

> "जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी अधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा"

इस का मोआत्तिल करने से कोई संबंध नहीं है।

गत दो वर्षों से एक के बाद एक इन अधिकारियों की पदोन्नति की जा रही है, कुछ को योजना आयोग में लाया जा रहा है तथा इसी प्रकार कुछ को अन्य जगह पर लाया जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वर्ष 1960 की हड़ताल के दौरान 17,000 केन्द्रीय सरकार के कमचारियों को मोआत्तिल किया गया था। इस प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये। पहले 17,737 कर्मचारियों को

मोअत्तिल किया गया था, तथा बाद में उन्हें दोषारोपन सूचियां दी गई थी, और जब उन्होंने दोषारोपन सूचियों का उत्तर दे दिया तो उन्हें 'कारण बताओं' नोटिस दिये गये थे। अनुच्छेद 311 के अधीन असैनिक कर्मचारियों के लिये दोषारोपन सूचियां आवश्यक हैं तथा इस के बाद कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिये जैसा कि उस के पद में कमी क्यों नहीं कर दी जाये इत्यादि। खाद्य मंत्री ने खाद्य उत्पादन के बारे में सभा को भ्रम में डाल दिया है, तथा यहां भी वह सभा को भ्रम में डालना चाहते हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम : तथ्य स्पष्ट होने चाहियें। यह जांच उस अधिकारी के विरुद्ध नहीं थी। न्यायाधीश से कहा गया था कि वह उन कारणों की जांच करें जिन से दुर्घटना हुई है। संयोगवश उन्हें उस परियोजना के मुख्य अधिकारी के विरुद्ध असावधानी कर्तव्य पालन में लापरवाही आदि के आक्षेप किये हैं। उस में यह नहीं कहा गया है कि उन अपराधियों ने जानबूझकर कोई साज़िस की थी अथवा कोई अपराध किया था। मैंने इस मामले को जांच से पहले भी संव्यवहारित किया था—जांच के बाद नहीं। प्रश्न यह था कि क्या वह उस पद को धारण करने में सक्षम हैं। जांच से पहले ही, जब वह विभाग मेरे अधीन था, उन्हें पद से हटाया दिया गया था। अब वह योजना आयोग की सेवा में हैं। इस लिये यदि कोई कार्यवाही की जायेगी, तो वह योजना आयोग द्वारा की जायेगी (**अन्तर्बाधायें**).

जहां तक इस परियोजना का संबंध है (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, मेरा अनुमान है कि कई माननीय सदस्य बल्कि सारी सभा असंतुष्ट है। इसलिये यह अच्छा होगा कि इस मामले की आगे जांच की जाये और उस का विस्तृत ब्यौरा सभा को दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों को इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। (**अन्तर्बाधायें**) शांति, शांति। इस प्रश्न पर पहले ही 20 मिनिट लग चुके हैं। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री अ० प्र० शर्मा : गत दो वर्षों से इस पर चर्चा को टाला जा रहा है। श्रीमान, आपने सभा को विश्वास दिलाया था कि इस पर पूरी चर्चा की जायेगी। परन्तु उसे टाला गया है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा का अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि मैंने इस सम्बन्ध में कुछ अवश्य कहा था। मैं अब भी अपनी बात पर अडिग हूं। यदि इस सम्बन्ध में की प्रस्ताव लम्बित है तो उस पर चर्चा की जायेगी।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : यह चर्चा मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा समाप्त होने के बाद की जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आदिम जाति क्षेत्रों मे ऋणग्रस्तता

***477. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति अनुसन्धान संस्था, उदयपुर ने आदिम जाति क्षेत्रों में बढती हुई ऋणग्रस्तता के कारणों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आदिम जाति पंचायत समितियों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं से लोगों को अवगत कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और जसे ही यह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छोटी कार परियोजना

*483. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटी कार परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) पिछले सत्र के बाद यदि मंत्री महोदय ने इस विषय में कोई वक्तव्य दिया है, तो क्या ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) छोटी कार के निर्माण के लिए एक कार परियोजना स्थापित करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई भी सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया गया है।

खेत्री ताम्बा खानें

*484. **श्री कर्णी सिंहजी** : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तांबा उत्पादों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए मैसर्स वैनोत एण्ड कम्पनी के अधीन फ्रांसि कम्पनियों के सहयोग से खेत्री ताम्बा खानों का विकास करने के कार्य को क्या प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) इन कम्पनियों को इन खानों का विकास करने का कार्य किन शर्तों पर दिया गया है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय। परियोजना पूरी की जा रही है और उसे शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० तथा फ्रांसिसी कम्पनियों के दल ने जिसके मुखिया मैसर्स वैनोत एण्ड कम्पनी है, खेत्री तांबा खानों के विकास के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने सम्बन्धी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते की मुख्य शर्तों और दशाओं का विवरण सदन के सामने रखा जाता है।

(ग) इस परियोजना के सम्बन्ध में अभी तक जो प्रगति हुई है उसका विवरण भी सदन के सामने रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल०टी० 5754/66**।]

बिहार के लिए रेलवे सेवा आयोग

*485. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री घुलेश्वर मीना** :
श्री विभूति मिश्र : **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 928 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के लिये एक पृथक् रेलवे सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : इलाहाबाद और कलकत्ता रेल सेवा आयोगों को यह हिदायत देने का निर्णय किया गया है कि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र की सुविधा के लिये वे किसी सुविधाजनक स्थान पर एक कार्यालय स्थापित करें और मौखिक तथा लिखित परीक्षाएं लेने के लिये वहां हर साल किसी समय जाया करें।

हैवी इन्जीनयरिंग कारपोरेशन, रांची

*486. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अब उत्पादिता कितनी हो गई है ;

(ख) क्या हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, रांची से कहा जा रहा है कि वह सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से किन्हीं मशीनों के निर्माण के लिये, जिनकी उन्हें आवश्यकता हो, ऋयादेश प्राप्त करके अपनी विशाल इंजिनियरी क्षमता का उपयोग करे ; और

(ग) यदि हां, तो कारपोरेशन किस सीमा तक विदेशी मुद्रा की बचत तथा उसका अर्जन कर सकेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) हवी इंजिनियरिंग लि०, रांची के अधिकार में तीन प्रायोजनाएं हैं। जो इस प्रकार हैं : (i) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, (ii) फाउंड्री फोर्ज प्लांट, तथा (iii) हवी मशीन टूल्स प्लांट। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में जो मशीनें लगाई जा चुकी हैं उनम आंशिक तौर पर उत्पादन शुरू हो गया है। इस में 1966-67 तक सारे उपकरण लग जाने की आशा है। फाउंड्री फोर्ज लांट के भी कुछ भागों में उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्रायोजना के अगले दो तीन वर्षों म पूरा हो जाने पर धीरे धीरे अतिरिक्त क्षमता प्राप्त कर ली जायगी। हैवी मशीन टूल्स प्लांट अभी लगाया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी यह बता सकना कठिन है कि कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी या उसकी कितनी बचत होगी। रांची में बनने वाली अधिकतर वस्तुओं से विदेशी मुद्रा की बचत हो जायेगी क्योंकि इस प्रकार के उत्पादों का अभी आयात किया जा रहा है।

सुन्दरबन में अखबारी कागज का उत्पादन

*487. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा सुन्दरबन जंगलों की अखबारी कागज की उत्पादन क्षमता के बारे में दिसम्बर, 1965 में आयोजित की गई गोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किये गये मत की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने यह कहा है कि सुन्दरबन के जंगलों से अखबारी कागज बनाने के लिये 3 करोड़ टन कच्चा माल मिल सकता है ; और

(ग) क्या इस उत्पादन की संभावना का पता लगाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां। पश्चिमी बंगाल के वन विभाग ने इस गोष्ठी का आयोजन किया था।

(ख) और (ग) : जी, नही।

रेलवे कर्मचारियों को मंहेगाई भत्ता

*489. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल कर्मचारी संघ ने सरकार से वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करने के लिये आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नही।

(ख) सवाल नही उठता।

मैसूर में ऐल्यूमिनियम का कारखाना

*490. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बैलगाम जिले में गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐल्यूमिनियम का एक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐल्यूनिमियम का कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : (क) से (ग) : इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि०, कलकत्ता को 24 जुलाई, 1964 को मैसूर राज्य में 30,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष का एल्यूमिनियम प्रद्रावक स्थापित करने के लिये एक अभिप्राय पत्र जारी किया गया था। कम्पनी की परियोजना को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है जो कि अमेरिका के निर्यात आयात बैंक, तथा केनेडा की एक्स्पोर्ट क्रैडिटस एण्ड इंसोरेंस कारपोरेशन, तथा कम्पनी के कनेडियन सहयोगियों अर्थात् एल्युमिनियम लि०, मोनट्रियल, केनेडा की अतिरिक्त पूंजी की लागत से प्राप्त ऋण पर आधारित होगा। आशा है कि इसको कम्पनी अमेरिका के भारत को वित्तीय सहायता आरम्भ करने पर अन्तिम रूप देगी।

इसी बीच में कम्पनी ने बेलगांव नगर (मैसूर राज्य में) के समीप प्लाटों के लिये स्थान चुन लिया है और महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी कोल्हापुर क्षेत्र में स्फोदिज के निक्षेपों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। परियोजना के लिये शरावस्थी (मैसूर) हाइडल प्रोजेक्ट से विद्युत् शक्ति देने का ठेका राज्य के विद्युत् बोर्ड से पूरा किया जाने की आशा है।

1968-69 में परियोजना के पूरे होने की आशा है।

प्रव्रजकों की बेदखली

*491. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन शरणार्थी दुकानदारों ने गौहाटी रेलवे स्टेशन के निकट पूर्वोत्तर रेलवे की खाली भूमि में दुकानें बनाई थी उन्हें बेदखली के नोटिस दिये गये ह; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गौहाटी स्टेशन के निकट रेलवे क्षेत्र में जगह की बहुत तंगी है। गौहाटी स्टेशन पर यातायात बहुत बढ़ गया है और इसलिए स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन करना, अधिक विस्तृत परिचलन-क्षेत्र और पहुंच-मार्गों की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। चूंकि रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से बनायी गयी दुकानों के कारण इन कामों में बाधा पड़ रही है, इसलिए उन्हें वहां से हटाने के लिये कार्रवाई शुरू की गयी है।

अफ्रीकी-एशियाई देशों के लिये भारतीय पुस्तकें

*492. **श्री गोपाल दत्त मेंगी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी-एशियाई देशों में भारतीय पाठ्य पुस्तकों और प्रौद्योगिकीय प्रकाशनों की मांग है;

(ख) क्या इस मांग का लाभ उठाने के लिये भारतीय प्रकाशकों को प्रोत्साहन दिया गया है और यदि हां, तो पुस्तकों के संभावी प्रकाशकों को क्या सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। पुस्तकों के निर्यातकों को अपने निर्यात व्यापार का विकास करने के लिये विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं जो नीचे गिनाई गई है :

(1) छपी हुई पुस्तकों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये एक विशेष निर्यात संवर्द्धन योजना चल रही है।

(2) ब्राण्ड के आधार पर शुल्क की वापसी की जाती है।

(3) समस्त निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी कार्य के लिये रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादन निर्यात संवर्द्धन परिषद विपणन जानकारी प्रदान करके, बिक्री विषयक प्रासंगिक जानकारी देकर तथा विदेशों से मिले समस्त टेण्डरों का वितरण करके, आवश्यक सहायता देती है।

(4) उत्पा ों का विदेशों में प्रचार करने में जो लागत आती है उसमें रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद हिस्सा बटाती है।

(5) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद एक व्यक्ति के विक्रय-सह-अध्ययन दल बाहर भेजती है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न देशों को प्रतिनिधिमण्डल भी भेजती है तथा लागत में उपदान देती है।

(ग) छपी हुई पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं का निर्यात 1962–63 में जहां 64 लाख रुपये था वहां वह 1964-65 में बढकर 81 लाख रुपये हो गया है। पाठ्य पुस्तकों तथा प्रविधिक प्रकाशनों को अलग अलग श्रेणियों म प्रकट करने वाले व्यापारी आंकडे नहीं रखे जाते। फिर भी छपी हुई पुस्तक-पुस्तिकाओं के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों में 70 प्रतिशत को पाठ्य पुस्तकों तथा प्रविधिक प्रकाशनों के विषय में माना जा सकता है।

दूसरी तार फैक्टरी

*493. श्री रा० स० तिवारी :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री चांड़क :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री वाडीवा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के प्रबंध-निदेशक ने तकनीकी अध्ययन करके यह सिफारिश की है कि सरकारी क्षेत्र में दूसरी तार फैक्टरी स्थापित करने के लिये उज्जैन उपयुक्त स्थान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

निर्यात किये गये माल का बकाया भुगतान

*494. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान को नि तिकिये गये माल के बकाया भुगतान की राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : चूँकि पाकिस्तान के साथ होने वाला व्यापार अब भी रुका हुआ है इस लिये 21 मार्च 1960 को किये गये रुपया भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत भारत से पाकिस्तान को किये गये अधिक निर्यात की बकाया राशि वसूल करने के लिये अब तक कोई कदम नहीं उठाये जा सके हैं। पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर शुरू होते ही इस बकाया राशि को समाप्त करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

आरक्षित सीटें रद्द करवा ने पर जुर्माना

*495. श्री रामनाथन् चैट्टियार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों को मिले हुए कार्ड पास/प्रिविलेज पास/पी० टी० ओ० पर आरक्षित की गई प्रथम श्रेणी की ीटों को रद्द कराने पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाता जब कि आम जनता को इस प्रकार आरक्षित सीटे रद्द कराने पर बहुत अधिक जुर्माना देना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थान-आरक्षण के मामले में भी डाक गाड़ियों में रेलवे प्रिविलज पास वालों के मुकाबले में टिकट वालों को प्राथमिकता नहीं दी जाती ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे पी० टी० ओ० पास वालों के द्वारा इस प्रकार सीटें रद्द करवाए जाने को रोकने के लिय रेलवे बोर्ड का क्या कायवाही करने का विचार है, ताकि आम जनता को अधिक सीटें मिल सकें ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेशों के बदले लिये गये टिकटों पर यात्रा करने वालों से भी जुर्माना लिया जाता है।

(ख) और (ग) : रेलों में स्थान आरक्षित करने के सम्बध में पास पर यात्रा करने वालों को टिकट पर यात्रा करने वालों के समान समझा जाता है लेकिन जहां प्रस्थान स्टशन पर स्थान मिलने में कठिनाइ होती है, वहां उसी दर्जे के टिकट वाले यात्रियों को तरजीह दी जाती है। पास पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों द्वारा आरक्षण कराने के सम्बध मे निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जुर्माने लगाये जात हैं :—

(i) 450 रुपये प्रति मास (अधिकृत वेतन-मान में 525 रुपये) से कम वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को पहले दर्जे के जो सुविधा पास दिये जात हैं, वे यदि 800 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लिये न हों, तो उन्हें डाक गाड़ियों से यात्रा करने के लिये उपलब्ध नहीं किया जाता।

(ii) कुछ महत्त्वपूर्ण गाड़ियों मे पास पर यात्रा करने वालों के लिये शायिकाओं की संख्या निर्धारित रहती है और उनके लिए निर्धारित संख्या से अधिक शायिकाएं आरक्षित नहीं की जा सकती।

(iii) पास पर यात्रा करने वाले जो व्यक्ति गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से पहले 24 घंटे के भीतर अपना आरक्षण रद्द कराना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं, उनसे निम्न प्रभार लिया जाता है :—

पहले दर्जे के सुविधा पास पर प्रति पास 5 रुपये

दूसरे दर्जे के सुविधा पास पर प्रति पास 3 रुपये

तीसरे दर्जे के सुविधा पास पर प्रति पास 1 रुपया

आरक्षण रद्द करने के लिये जो प्रभार लिया जाता है, उसके प्रयोजन के लिये सुविधा टिकट आदेशों पर जारी किये गये टिकट साधारण टिकट के समान समझे जाते हैं।

2. यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर स्थान आरक्षित कराता है और समुचित रूप से उसे रद्द कराये बिना उसका उपयोग नहीं करता, तो उसके विरुद्ध भी यथावश्यक अनुशासन की कार्रवाई की जाती है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म फैक्टरी

*496. **श्रीमती अकम्मा देवी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म फैक्टरी, उदकमंडलम (निलगिरी) का निर्माण-कार्य फ्रान्सीसी सहयोगियों से लकर किन्हीं अन्य विदेशी सहयोगियों को सोंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है और इस लिये फैक्टरी को चालू करने में कितनी देरी हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में रेलवे सम्पत्ति की हानि

*497. **श्री काजरोलकर :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री पाराशर : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में हाल में हुए खाद्य आन्दोलन में विद्यार्थियों द्वारा किये गये उपद्रवों तथा गुण्डागर्दी के कारण रेलवे प्रशासन को कितनी हानि हुई ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 74,633 रुपये।

(ख) रलवे सुरक्षा दल की सहायता से पुलिस ने स्थिति पर काब पा लिया और आगे नुकसान होने से बचा लिया। पुलिस ने 31 मामले दज किय, जिनकी जांच की जा रही है। अब तक 44 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

सेफ्टी रेजर ब्लेडों के मूल्य

*499. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में पिछले एक महीने में सेफ्टी रेज़र ब्लेडों के मल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ब्लेडों के मूल्य घटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत न ों।मली है। देश में सेफ्टी रेज़र ब्लेडों का उत्पादन काफ़ी है।

चेंगाइल रेलवे स्टेशन को दूसरे स्थान पर ले जाना

*500. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेंगाइल रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) को हाल ही में अति अल्पावधि मे पुराने स्थान से हटा कर नय स्थान पर ले जाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप अनेक रेलवे यात्रियों को, जिनमें सीजन टिकट वाले यात्री भी शामिल हैं जो कलकत्ता जाते हैं तथा वहां से आते हैं, अत्यधिक असुविधा हो रही है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 20-1-66 से चेंगाइल स्टेशन को पुराने स्थान से हटा कर नये स्थान पर लाया गया। नय स्थान पर स्टेशन का नि ण एक वष से अधिक समय तक चलता रहा और रेल उपयोगकर्त्ता इस बात को अच्छी तरह जानते थ कि स्टेशन दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कागज के कारखाने

*501. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर 1965 को कलकत्ता में भारतीय कागज मिल संस्था द्वारा जारी किय गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि संयंत्रों तथा पुर्जों के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा नियत न किये जाने के कारण अधिकतर भारतीय कागज कारखाने अप्रैल, 1966 से उत्पादन जारी नहीं रख सकेंगे ;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के आधार पर यह विदेशी मुद्रा नियत की गई है ;

(ग) यह बात कहां तक सच है कि सरकार कागज तथा गत्ते के निर्यात के बदले में विदेशी मुद्रा मंजूर करने के लिये तैयार है ; और

(घ) स्वदेशी कागज तथा गत्ते की निर्माण लागत जापान, स्कैंडेनेविया के देशों तथा यूरोप के देशों में बनाए जाने वाले कागज तथा गत्त की निमाण लागत की तुलना में कैसी है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : जी, हां, देश के कागज उद्योग ने पिछले वर्ष कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे जिनमें उनकी मिलों को चलाते रहने के लिये तारों, पेपर मेकिंग फल्टों, आवश्यक फालतू पुर्जों का आयात करने के लिये तत्काल ही विदेशी मुद्रा नियत की जाने की प्रार्थना की गई थी। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन पर सरकार का वश नहीं था, इस आवश्यक कार्य के लिये भी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सकना संभव नहीं था। चूंकि अब स्थिति कुछ सुधर गई है इसलिये कागज उद्योग को कुछ विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवा दी गई है जिससे उनकी 30 प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो जायेगी। कागज उद्योग अभी तक अपने आवश्यक स्टोर के रिजर्व स्टाक से काम चलाता रहा है और 30 प्रतिशत विदेशी मुद्रा जारी कर देने से उसका स्टाक कुछ और बढ़ जायेगा। पिछले वर्ष की तुलना में कागज और गत्ते के वास्तविक उत्पादन में लगभग 50,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हो गई है। विदेशी मुद्रा जारी न किये जाने से कोई भी मिल अभी तक बंद नहीं हुई है यद्यपि उनमें से कुछ मिलें बड़ी सजग हो गई थीं और उन्होंने अपना उत्पादन धीमे करना शुरू कर दिया था। सरकार जितनी भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवा सकती है उसके अलावा कागज उद्योग को बता दिया गया है कि वह अपने लिये यथासम्भव विदेशी मुद्रा अपने उत्पादनों का निर्यात करके स्वयं कमाये जिससे सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार वह आयात करने को प्रोत्साहन देने के योग्य बन सके। कागज उद्योग ने ऐसा करना मंजूर कर लिया है और उसने इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिया है जिसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

(घ) इस देश में जापान और स्कैंडीनेविया के देशों के साथ-साथ कागज की उत्पादन लागत बता सकना कठिन है। फिर भी इस देश में निर्मित कागज का बिक्री मूल्य सामान्यतः उपर्युक्त देशों से आयात किये गये कागज के मल्य की तुलना में लागत, बीमा भाड़ा को मिलाकर औसतन 50 प्रतिशत के लगभग अधिक होता है।

घड़ियों का निर्माण

*502. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी में घड़ियों के निर्माण में हाल ही में कमी हो गयी है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिनाई के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के घड़ियों के कारखाने के लिये कच्चा माल तथा पुर्जे आयात करने की मांग पूरी कर सकना सम्भव नहीं है। अतः घड़ियों के उत्पादन में काफी कमी हुई है ।

(ग) विभिन्न मांगों की प्राथमिकता के साथ साथ कुल उपलब्धि को ध्यान में देखते हुए विदेशी मुद्रा के नियतन को बढ़ाने के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिये कम्पनी अपने उत्पादन के एक भाग का निर्यात करके उससे विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है।

चाय का निर्यात

*503. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री मं० ला० द्विवेदी : **डा० रानेन सेन :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारतीय चाय का निर्यात 2 करोड़ पौंड कम हो जाने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 1965 में चाय का निर्यात 1964 की तुलना में लगभग 110 लाख कि०ग्रा० या 240 लाख पौंड कम रहा।

(ख) 1965 में हमारे निर्यात में हुई कमी के प्रमुख कारण ये थे :—

(1) 1965 में विशेषतः उत्तर पूर्व भारत में फसल का कम होना, जहां उत्पादन लगभग 200 लाख पौंड कम हुआ और हाल में हुई लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा लगभग 30 लाख कि०ग्रा० चाय को अपने कब्जे में कर लेना ;

(2) देश में चाय की खपत से पड़ने वाले दबाव में तेजी से वृद्धि का होना ;

(3) ब्रिटेन द्वारा जो कि चाय के परम्परागत बाजारों में सब से अधिक महत्वपूर्ण है, भारतीय चाय के आयात में कमी किया जाना जिसका प्रमुख कारण लन्दन में चाय के अत्यधिक स्टाक का जमा हो जाना, ब्रिटेन में होने वाली नीलामियों की तुलना में भारत में चाय की आन्तरिक नीलामी की कीमतें अधिक रहना और ब्रिटेन में मुद्रा की तंग स्थिति रहना जिसके परिणामस्वरूप लन्दन की नीलामियों में चाय की खरीद के लिये कम मुद्रा उपलब्ध हुई।

(ग) विदेशों में पेय के रूप में चाय की खपत को प्रोत्साहित करने के लिये सामान्य आन्दोलन चलाने और भारतीय चाय का चित्र प्रस्तुत करने के लिये एकदेशीय प्रयत्नों के रूप में व्यापार बोर्ड के संवर्धनात्मक कार्यों को जारी रखा गया है और उन्हें गहन किया जा रहा है।

ब्रिटेन में चाय की खपत स्थिर रहने की प्रवृत्ति प्रकट हुई है इसलिये वहां चाय की खपत को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने लंका सरकार और ब्रिटेन के चाय के व्यापारियों के सहयोग से 'अधिक चाय पीजिये' नामक एक गहन आन्दोलन का आयोजन किया है जिस पर प्रति वर्ष 6,00,000 पौंड खर्च होंगे।

अन्य उत्पादक देशों और स्थानीय व्यापारियों से मिल कर सं० रा० अमेरीका, कनाडा, प० जर्मनी, फ्रांस और आस्ट्रेलिया में उन देशों में स्थित चाय परिषदों के माध्यम से सामान्य संवर्धन कार्य किया जाता है।

भारतीय चाय को प्रोत्साहित करने के लिये किये गये उपायों में ये शामिल हैं :—प्रदर्शनियों में भाग ले कर नमूना दिखाना, चाय गाड़ियों की यात्राएं, माल का प्रदर्शन, व्यापार, जन सम्पर्क तथा विज्ञापन।

चाय निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के रूप में भारी तादाद में खुली बिकने वाली चाय के निर्यात पर 2 प्र० श० और पैकट बन्द चाय के निर्यात पर 5 प्र०श० की दर से कर उधार प्रमाणपत्र दिये जाते हैं। हरी चाय के निर्यात पर भी ऊंची दरों पर कर उधार की सुविधा दी जाती है।

निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करने के दीर्घकालिक उपाय के रूप में उत्पादन के आधार को बढ़ाने की आवश्यकता मानते हुए सरकार ने चाय बागान उद्योग को विभिन्न रियायतें दी हैं, जैसे नये पौध तथा पुनः पौधे लगाने के लिये विकास भत्ता और चाय के कारखानों की मशीनों का नवीकरण।

दुर्लभ कच्चे माल का आयात

*504. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निश्चित वस्तु करारों के अन्तर्गत कुछ देशों से अत्यावश्यक दुर्लभ कच्चा माल मंगवाने के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : वस्तु विनिमय या विशिष्ट या सम्बद्ध सौदों के अन्तर्गत गंधक, पारा आदि जैसे कुछ आवश्यक दुर्लभ कच्चे माल के आयात के लिये सरकार को राज्य व्यापार निगम से समय समय पर प्रस्ताव मिलते रहे हैं। प्रत्येक प्रस्ताव की महत्ता के आधार पर जांच की जाती है तथा इन प्रस्तावों की जांच को ध्यान में रखते हुए सरकार का निर्णय सूचित कर दिया जाता है।

छोटे पैमाने पर चाय उगाने वाले लोग

1917. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह निर्धारित करने के लिये, कि छोटे पैमाने पर चाय उगाने वाले लोग कौन कौन हैं, क्या कसौटियां निश्चित की गई हैं; और

(ख) छोटे पैमाने पर चाय उगाने वाले लोगों को, उनके खेतों तथा कारखानों के विकास के लिये वर्ष 1965-66 में, राज्यवार, अलग अलग, कितना ऋण, अनुदान अथवा आर्थिक सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) छोटे पैमाने पर चाय उगाने वालों में विभेद करने वाली कोई पक्की कसौटी नहीं है परन्तु श्रेणीकरण की सुविधा के लिये, 20 एकड़ से कम क्षेत्र के चाय बागानों के मालिकों को सामान्यत: छोटे पमाने पर चाय उगाने वाला मान लिया जाता है।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

राज्य	क्षेत्र		कारखाने	
	ऋण	अनुदान/ उपदान	ऋण	अनुदान/ उपदान
	रु०	रु०	रु०	रु०
मद्रास . . .	8,80,000	..	4,00,000	..
केरल . . .	..	25,000	..	..
पंजाब . .	..	8,582	..	..
योग .	8,80,000	33,582	4,00,000	..

झाझा (पूर्व रेलवे) के निकट ऊपर का पुल

1918. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्व रेलवे के झाझा स्टेशन पर निरीक्षण के लिये खोदा गया परीक्षण गढ़ा यात्रियों के आने जाने के ऊपर के पुल के ठीक नीचे है और वहां पर खड़े हुए इंजन बहुत धुंआ छोड़ते हैं, जिस के कारण इस ऊपर के पुल का प्रयोग करने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो परीक्षण गढ़े को या ऊपर के पुल को किसी दूसरे सुविधाजनक स्थान पर हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राख का गड्ढा (न कि निरीक्षण गड्ढा), जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, यात्रियों के ऊपरी पुल के ठीक नीचे नहीं है। यह गड्ढा ऊपरी पुल के पास है और हो सकता है हवा चलने पर धुआं उड़कर परी पुल पर चला जाता हो।

(ख) राख के गड्ढे या ऊपरी पुल को वर्तमान स्थान से हटाने का कोई विचार नहीं है।

हावड़ा जाने वाली डाउन एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1919. श्री मधु लिमये : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हावड़ा जाने वाली सभी डाउन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को पीछे लगे इंजनों को हटाने के लिये सिमुलतलां में रुकना पड़ता है ;

(ख) क्या बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये सिमुलतलां को इन 'डाउन' रेलगाड़ियों के लिये एक ब्रीफ हाल्ट बनाने की व्यवहारिकता पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सिमुलतलां स्टेशन को 19 अप मिथिला एक्सप्रेस के लिये एक स्टाप बनाने का है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : भाप से चलने वाली जिन डाउन गाड़ियों में 12 से अधिक बोगियां लगायी जाती हैं, केवल वे ही सिमलतला स्टेशन पर बैंकिंग पायलट अलग करन के लिये ठहरती है। चूंकि सिमुलतला स्टेशन पर कुछ डाउन गाड़ियों का ठहरना केवल परिचालन सम्बन्धी कारणों से होता है और वह भी नियमित रूप से नहीं होता, इसलिये उस स्टशन से इन गाड़ियों द्वारा सार्वजनिक बुकिंग की अनुमति नहीं है। सिमुलतलां में तिकटों की जांच के लिये इस समय जो व्यवस्था है, वह बिना टिकट रेल यात्रा करने वालों की रोक-थाम के लिये पर्याप्त है। इस समय सिमुलतलां स्टेशन पर यातायात की मात्रा और उसके स्वरूप को देखते हुए वहां 19 अप मिथिला एक्सप्रस को ठहराने का औचित्य नहीं है। परिचालन सम्बन्धी काम के लिये भी यह गाड़ी सिमुलतला स्टेशन पर नहीं ठहरती क्योंकि अप दिशा में जाने वाली गाड़ियों में बैंकिंग पायलट की आवश्यकता नहीं होती।

सिमुलतला स्टेशन पर तीसरी श्रेणी का प्रतीक्षालय

1920. श्री मधु लिमये : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को सिमुलतलां रेलवे स्टेशन पर तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय की दशा के बारे में सिमुलतलां के नागरिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतीक्षालय को दोबारा बनाने अथवा अन्य प्रकार से तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये पर्याप्त आश्रय स्थान (शैल्टर), जल आदि की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जिन सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है, वे वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है और इसलिये फिलहाल उनका विस्तार करने का कोई विचार नहीं है।

एर्णाकुलम् (केरल) में टाइटेनियम डायोक्साइड कारखाना

1921. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के एर्णाकुलम जिले में टाइटेनियम डायोक्साइड कारखाना स्थापित करने की संभावना का पत्ता लगाने के लिये जापान के कुछ विशेषज्ञों ने एर्णाकुलम का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरी कर ली है ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने जिन चार स्थानों का दौरा किया था उन में से कारखाना स्थापित करने के लिये इडयार सर्वोत्तम स्थान पाया गया है ; और

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक होने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : टाइटेनियम डाइ-आक्साइड बनाने वाली जापान की मेसर्स इशिहारा सांग्यो कैशा नामक फर्म के प्रतिनिधियों ने केरल में टाइटेनियम डाइ-आक्साइड के एक कारखाने की स्थापना करने की दृष्टि से जांच-पड़ताल करने के लिये वहां का दौरा किया था। सरकार को उनकी जांच-पड़ताल का ब्यौरा बताने वाला आगे और कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

केरल में हथकरघा से निर्मित माल का जमा हो जाना

1923. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष होने के पश्चात् केरल के कन्नानूर जिले में हथकरघा से निर्मित माल का स्टाक जमा हो जाने के परिणामस्वरूप उद्योग को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार जमा हुए माल की अनुमानित लागत क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल 25 से 30 प्रतिशत तक करघे काम कर रहे हैं; और

(घ) उद्योग को फिर से जमाने तथा उसका वैज्ञानिकन करने और उसके लिये ऋण तथा विपणन की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वा. ज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 30 लाख रुपये। केरल सरकार ने केरल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के लिये 36 लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था की है।

(ग) अभी कार्यरत करघों का ठीक प्रतिशत भाग तत्काल निश्चित नहीं किया जा सकता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल में हथकरघा उद्योग को पुन:स्थापित तथा सुस्थिर करने के लिये किये गये उपाय निम्नलिखित हैं :

(क) 27 फरवरी से 6 मार्च, 1966 तक 12 वें अखिल भारतीय हथकरघा सप्ताह आयोजन की अवधि में हथकरघा वस्त्रों की खदरा बिक्री में एक रुपये पर पांच पैसे की अतिरिक्त छूट दी गई ;

(ख) राज्य के विभिन्न केन्द्रों में केरल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति द्वारा खुले सहायता बिक्री डिपो प्रारम्भ किए गये हैं ;

(ग) कन्नानोर जिल में एक नई औद्योगिक बुनकर सहकारी समिति गठित की जा रही है; और

(घ) केरल सरकार ने ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था के लिये स्टेट बक आफ इण्डिया तथा स्टेट बक आफ ट्रावनकोर को स्थायी गारण्टी हेतु एक योजना स्वीकार की है।

काजू उद्योग

1924. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत काजू उद्योग आता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या एक काजू व्यापार निगम स्थापित करने का सरकार का विचार है, जो इस उद्योग का विकास करेगा ;

(घ) क्या यह सच है कि केरल प्रशासन ने काजू उद्योग को वर्ष भर (नान-सीजनल) चलने वाला उद्योग घोषित किया है ; और

(ङ) क्या इसमें अब परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) काजू उद्योग प्रधानत: निर्यात करने वाला उद्योग है तथा इस के एककों को अधिक से अधिक काम करने के लिये आयातित गिरी उपलब्ध कराने के लिये सभी सम्भव सहायता दी जाती है। विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया तकनीकों में सुधार भी विकास का एक अंग ही है, जिसकी ओर उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तगत स्थापित खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योग की विकास परिषद् विशेष ध्यान दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) : आवश्यक जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गई है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

मद्रास में कपड़ा मिल तथा इंजीनियरी के कारखाने

1925. श्री अ० क० गोपालन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में मद्रास राज्य में कपड़ा मिलों तथा इंजीनियरी कारखानों को 4 दिन के लिये बन्द करने का आदेश दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण था ;

(ग) उनके बान्द होने से अनुमानत: कितनी हानि हुई ; और

(घ) कितने कार्य-दिनों की हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : मद्रास राज्य सरकार से ज्ञात हुआ है कि कुण्डा प्रायोजना की कुछ नई सुरंगें चालू करने के लिये राज्य के बिजली बोर्ड ने कोयम्बटूर क्षत्र में दिसम्बर, 1965 में कुछ दिनों के लिये औद्योगिक कारखाने बन्द करने का प्रस्ताव किया था। परन्तु यह प्रस्ताव अमल में नहीं लाया गया था और इस लिये वास्तव में कोई कारखाना बन्द नहीं हुआ था।

खादी

1926. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी के सम्बन्ध में संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम तयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीश फी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : खादी तथा ग्राम उद्योगों की नीतियां और कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से और बाद की योजनाओं में तैयार किये गये हैं। ये सामान्य उत्पादन कार्यक्रमों और खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के अन्य विभिन्न सिद्धान्तों पर आधारित हैं। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है और जसे ही तथा जब आयोग द्वारा नये कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं, उन पर सरकार तथा योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया जाता है और सहमति से निर्णय कर लिये जाते हैं।

लूनकरनसर स्टेशन के निकट रेलवे फाटक

1927. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लनकरनसर से सुरताना गांव को जाते समय रेलवे लाइन को आसानी से पार किये जाने की दृष्टि से लूनकरनसर रेलवे स्टशन (जिला बीकानेर) के निकट एक रेलवे फाटक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। लूनकरनसर में 'सी' श्रेणी के तीन समपार पहले ही मौजूद हैं। ये समपार क्रमश: कि० मी० 243/5-6, 244/1-2 और 244/-4/5 पर स्थित है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

त्रिकोणीय वातानुकूलित रेलवे सेवा

1928. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, आगरा और जयपुर के बीच पर्यटकों की सुविधा के लिये एक त्रिकोणीय वातानुकलित रेलवे सेवा चालू करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : 1-2-1966 से आगरा फोर्ट और जयपुर के बीच 5/6 आगरा फोर्ट-अहमदाबाद एक्सप्रस गाड़ियों के साथ एक अंशत : वातानुकूल सीधा डिब्बा चलाया गया है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप पर्यटकों को नयी दिल्ली और आगरा कट के बीच 79/80 ताज एक्सप्रेस, आगरा फ़ोर्ट और जयपुर के बीच 5/6 एक्सप्रेस तथा जयपुर और दिल्ली के बीच 1/2 ड़ाक गाड़ियों के रूप में नयी दिल्ली, आगरा और जयपुर इन तीनों स्थानों के बीच वातानुकूल सेवा सुलभ हो गयी है।

दिल्ली जाने वाली तूफान एक्सप्रैस रेलगाड़ी के एक डिब्बे में आग लगाना

1929. श्री राम हरख यादव :

श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1966 को दिल्ली जाने वाली तूफान एक्सप्रेस रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे में आग लग गई जब वह गाड़ी उत्तर रेलवे के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ; और

(ग) यदि जान और माल की कोई हानि हुई है, तो कितनी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 26-1-66 को हुई ।

(ख) जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार आग बिजली के तारों की शार्ट-सर्किटिंग के कारण लगी ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई । ऐसा बताया गया है कि **रेल**-सम्पत्ति को जो क्षति हुई, वह नगण्य है ।

राष्ट्रीय आयोजन तथा विकास में बच्चों तथा युवकों सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन

1930. श्री राम हरख यादव : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले मास बैंकाक में होने वाले "राष्ट्रीय आयोजन तथा विकास में बच्चों तथा युवकों" सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन में भाग लेने का भारत का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन की कार्य सूची क्या है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां । मार्च, 1966 में ।

(ख) अन्तिम कार्य-सूची की मदों का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5755/66 ।]**

रेलवे विद्युत् कर्मचारियों की छंटनी

1932. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण परियोजना कर्मचारियों ने सरकार से कर्मचारियों की छंटनी बन्द करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कितने कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : रेलवे बिजली योजना में अभी तक छंटनी जैसी कोई चीज नहीं हुई है । लेकिन इस प्रकार की कुछ शिकायतें हुई थी कि निर्दिष्ट कामों पर नियुक्त कुछ नैमित्तिक मज़दूरों को इसलिए सेवा-मुक्त कर दिया गया क्योंकि वे काम पूरा होने पर फालतू ठहरा दिये गये थे और उन्हें जो वैकल्पिक काम दिया गया, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बेकार पड़ी मशीनें

1933. डा० रानेन सेन : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नियन्त्रण में 'डम्पर,' 'शावल' और 'डोजर' आदि कितनी मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(ख) इस प्रकार बेकार पड़ी मशीनों का कुल मूल्य कितना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) दस डम्पर, पांच शावल तथा ग्यारह डोजर अपना प्रयोगपूर्ण जीवन बीत जाने पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास विक्रय के लिये पड़ है।

(ख) 37.73 लाख रु०।

Baby Food

1934. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 639 on the 3rd December, 1965 and state :

(a) the names of places where the work in regard to setting up of factories in accordance with the licences issued for the manufacture of baby food, has been started;

(b) the names of the firms which have not started the work; and

(c) the arrangements made to remove the scarcity of baby food?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) The following firms are at present engaged in the production of Milk Food for infants :

(i) M/s. Kaira District Co-operative Milk Producer's Union Ltd., Anand (Gujarat).

(ii) M/s. Glaxo Laboratories, Bombay (Factory at Aligarh, U.P.).

(iii) M/s. Hindustan Milk Food Manufacturers, Nabha (Punjab).

(iv) M/s. Food Specialities Ltd., Moga (Punjab).

(b) The following firms who have been approved for the manufacture of baby food are yet to start production.

(i) M/s. Mehsana District Co-operative Milk Producers' Union, Mehsana (Gujarat).

(ii) M/s. Hindustan Lever Ltd., Etah (U.P.).

(iii) U. P. Pradeshik Federation, Lucknow (Factory at Moradabad, U.P.).

(iv) Expansion of M/s. Kaira District Co-operative Milk Producers' Union Ltd., Anand (Gujarat). (Work nearing completion).

(c) The base for production of baby food is being enlarged.

भारत-अफगानिस्तान व्यापार

1936. श्री धर्मलिंगम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अफगानिस्तान व्यापार में नये निर्यातकों सम्बन्धी योजना लागू करने के क्या उद्देश्य है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने निर्यातकों ने आवेदन पत्र दिये और कितने निर्यातकों को रजिस्टर किया गया ; और

(ग) 1963, 1964 और 1965 में उनमें से प्रत्यक ने कितने मूल्य का निर्यात किया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अफगानिस्तान को निर्यात करने के लिये नये निर्यातकों की योजना 1959-60 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य उस देश के साथ होने वाले हमारे व्यापार को विविध प्रकार का करना तथा वहां के बाजार में अपराम्परागत वस्तुओं को चलाना है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 2136 पार्टियों ने पंजीकरण कराने के लिये आवेदन-पत्र भजे। इनमें से 1617 पार्टियों को वास्तव में पंजीकृत में कर दिया गया।

(ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की भेज पर शीघ्र ही रख दी जायगी।

निर्यात

1937. श्री धर्मलिंगम : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि पहले नये निर्यातकों द्वारा दिये गये वचन के अनुसार निर्यात किया जाना चाहिये और बाद में उन्हें उतना ही आयात करने की अनुमति दी जायेंगी ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी की है कि दिये गये वचन के अनुसार निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और अग्रिम आयात के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जायगी ; और

(ग) सरकार का विचार इन दो परस्पर विरोधी आदेशों में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : निर्यात से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा के बैंक प्रमाण पत्र के अनुसार आयात हकदारियों की नियमानुसार अनुमति दी जाती है। इस मामले में रिज़र्व बक आफ इंडिया ने कोई अन्य हिदायतें जारी नहीं की हैं।

मेवों का आयात

1938. श्री धर्मलिंगम : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेवों के आयात तथा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत इंजिनियरी के सामान के निर्यात को मिलाने वाली योजना के अन्तर्गत काम करने वाले निर्यातकों के लिये सभी श्रेणियों से निर्यात करना अनिवार्य है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन किन निर्यातकों को तथा कितने मूल्य के अग्रिम लाइसेंस दिये गये थ ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निर्यातकों का चयन किस आधार पर किया जाता है ;

(घ) अग्रिम आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत किन किन निर्यातकों ने निर्यात सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व पूरे किये ;

(ङ) क्या उत्तरदायित्व न निभा सकने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) इस योजना के स्थगित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) : विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के बदले मेवों तथा खजूरों के आयात लाइसेंसों के रूप में सहायता देने के लिय निर्यातक स्वीकृत किये गय थे। योजना के अन्तर्ग सहायता के लिये चुने गये निर्यातकों की स्वीकृति अधिकारियों की एक समिति ने गत वर्षों में हुये उनके निर्यात तथा योग्यता, क्षमता आदि अन्य बातों को देखते हुए दी थी। इस योजना के अधीन जिन निर्यातकों को आयात लाइसेंस दिय गये उनके नाम आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक बुलेटिन में दिय जाते है। थोड़े से निर्यातकों को छोड़ कर अन्य सभी निर्यातकों ने अपने निर्यात संबंधी दायित्व पूरे कर दिये हैं। उन थोड़े से मामलों की भी, जहां निर्यात का दायित्व पूरा किया जाना शेष है, देखभाल की जा रही है।

(च) 1 अगस्त, 1965 को अथवा उसके बाद हुये निर्यात के बारे में इस योजना को वापस ले लिया गया है।

मेवों का आयात

1939. श्री धर्मलिंगम : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेवों का आयात तथा इंजिनियरिंग माल के निर्यात को संयुक्त करने वाली निर्यात संवृद्धि योजना के अन्तर्गत मदों का कोई वर्गीकरण (ग्रुप्स) किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन मदों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रतिशतता निर्धारित की गई थी और उसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन मदों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। एक योजना के अन्तर्गत जो अब समाप्त कर दी गयी है।

(ख) से (घ) : इंजीनियरी उत्पादों के निर्यातकों को विशेष उत्पादों के निर्यात के बदले खजूर तथा मेवों के आयात लाइससों के रूप में सहायता के देनी स्वीकृत की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत सहायता लिये चुने गये निर्यातकों को अधिकारियों की एक समिति ने, पूर्व निर्यात तथा सामर्थ्य और क्षमता आदि अन्य बातों के आधार पर स्वीकृत किया था। विशेष निर्यात उत्पाद की, उसके निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता के अनुसार आयात हकदारी भी भिन्न भिन्न परिमाण की रही। इस प्रकार दिये गये आयात लाइसेंस, आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले साप्ताहिक बुलेटिन में दिये जाते है तथा विभिन्न पार्टियों के नाम उस बुलेटिन में उपलब्ध है।

रेलगाड़ियों की जांच

1940. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों की जांच और मरम्मत के लिए अपेक्षित समय, कर्मचारियों तथा औजारों के बारे में समान मापदंड नहीं हैं तथा यह एक यात्री गाड़ी के डिब्बे से दूसरी यात्री गाड़ी के डिब्बे, एक मालगाड़ी के डिब्बे से दूसरी मालगाड़ी के डिब्बे, एक डिपो से दूसरी डिपो और एक रेलवे से दूसरी रेलवे में भिन्न भिन्न हैं; और

(ख) क्या यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों की जांच और मरम्मत के लिये समान मापदंड लागू करने का रेलवे बोर्ड का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) परिचालन स्थिति, जांच के अपेक्षित स्तर और गाड़ी की किस्म (मालगाड़ी या सवारी गाड़ी) के अनुसार एक डिपो से दूसरे डिपों में जांच के ढंग में अन्तर होता है।

मालगाड़ियों की व्यापक जांच मार्शलिंग यार्डों में और "संचालन में निरापद" जांच मध्यवर्ती यार्डों में की जाती है। कुछ चुने हुए इन्टरचेंज स्टेशनों पर जहां न्यूट्रल कण्ट्रोल जांच की व्यवस्था है, माल गाड़ियों की जांच और अनुरक्षण का एक भिन्न मानक निर्धारित है।

जहां तक सवारी गाड़ियों का सम्बन्ध है, उनके रेक का प्राथमिक अनुरक्षण ऐसे निर्दिष्ट स्टेशनों पर किया जाता है जहां जांच के लिए अपेक्षित सुविधाएं दी गयी हैं। उनका गौण अनुरक्षण अन्य निर्धारित अन्तिम स्टेशनों पर और "संचालन में निरापद" जांच रास्ते के निर्दिष्ट स्टेशनों पर की जाती है।

इन बातों को ध्यान में रखकर मालगाड़ियों की जांच के लिए रेलें निर्दिष्ट समय-क्रम के अनुसार कार्य कर रही है। सवारी गाड़ियों की पूरी-पूरी जांच और देख-भाल प्रस्थान और अन्तिम स्टेशनों पर की जाती है जहां इस काम के लिए वापसी फेरे का समय पर्याप्त होता है। मध्यवर्ती स्टेशनों पर, जहां "संचालन में निरापद" जांच अपेक्षित है, इस काम के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है।

परिचालन-स्थिति और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, रेलों ने काफी समय लगाकर सवारी और मालडिब्बो के विभिन्न डिपुओं में अपने मरम्मत संगठनों को सुदृढ़ किया है। इस तरह के डिपो—छोटे, मंझले बडे और केन्द्रीय-चार वर्गों में विभाजित हैं और इनमें से हर वर्ग के लिए अपेक्षित उपस्करों के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

(ख) जांच-व्यवस्था को अधिक युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड ने अभी हाल में रेल प्रशासनों से कहा है कि हर यार्ड की स्थिति का पूरा-पूरा अध्ययन करने के बाद यार्ड में आने-जाने वाली मालगाड़ियों की जांच के लिए, हर गाड़ी के डिब्बों की संख्या को ध्यान में रखकर, न्यूनतम समय निर्धारित किया जाये। जहां तक सवारी गाड़ियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में आग और समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

बच्चों के बारे में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि का प्रतिवेदन

1941. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० दिववेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में प्रति मिनट कम से कम एक बच्चे की मृत्यु होती है तथा 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिलती और 12 वर्ष की आयु में ही वे काम करने लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के आकड़ों और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के अध्ययन के आंकड़ों में कहां तक समानता है?

(ग) इस अध्ययन द्वारा भारतीय बच्चों के बारे में किन अन्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) बच्चों के रहन-सहन की, स्वास्थ्य और शिक्षा की दशा में उन्नति करने तथा अन्य दृष्टियों से उन का विकास करने की दिशा में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चतुर्थ आयोजना में बच्चों के लिये विभिन्न योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Import of Technical Know-how

1942. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether work is being done in accordance with the rules published by Government some months ago for the import of technical know-how;

(b) whether industrialists in the private sector have opposed this; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be saved on this account?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) No rules on the subject have been published but instructions for the guidance of the officers concerned are issued from time to time.

(b) Does not arise.

(c) The scrutiny of applications for import of technial know-how has been in force for a long time. It is difficult to assess the foreign exchange saved on this account.

प्रसंकर (हाइब्रिड) चाय का गोरगियाई पौधा

1943. श्रीमती सावित्री निगम :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई पक्की सूचना मिली है कि गोरगियाई पौधा उत्पादकों ने प्रसंकर चाय की रूसी-भारतीय किस्में तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन किस्मों में से किसी किस्म की प्रसंकर चाय को भारत में उगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : जी, हां। गोरगिया में चाय अनुसन्धान की कार्यभारी अकादमीकन मा० के० ई० बक्ताज़े ने कुछ दशाओं में स्थानीय गोरगियाई किस्मों का तथा कुछ दशाओं में भारत से लाई गई मूल किस्मों का प्रसंकरन करके चाय की कई नई किस्मों का विकास किया है। परीक्षण के लिये दिये जाने वाले हमारी चाय के बीजों के बदले में रूस में पैदा की गई प्रसंकर चाय के बीजों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

तम्बाकू का निर्यात

1944. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 12 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न किस्मों के धूम्र शोधित वर्जीनिया तम्बाकू के न बिके शेष स्टाक को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अथवा सीधी बिक्री के द्वारा अथवा वस्तुविनिमय करार के आधार पर बेचने के लिये और कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रा० व्या० निगम द्वारा खरीदी गयी धुम्र शोधित वर्जीनिया तम्बाकू का परिमाण	सीधी बिक्री द्वारा बेचा गया परिमाण	स्टाक में अवशिष्ट परिमाण
37,958 गांठें	27,489 गांठें	10,469 गांठें*

उत्तर प्रदेश में कताई मिलें

1945. **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में कुछ कताई मिलें स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : दो सहकारी कताई मिलें खोलने के लिये **उद्योग** (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत 1964 के वर्ष में लाइसेंस जारी किये गये हैं। प्रत्येक मिल में 25,000 तकुवे होंगे। ये मिलें शाहगंज और बुलन्दशहर में खोली जायेंगी। बुलन्दशहर में मिल लगाने के लिये लाइसेंस प्राप्तकर्ता कारगर कदम उठा चुका है और आशा है कि यह मिल निकट भविष्य में ही स्थापित हो जायगी।

Employees in the Railway Catering Departments

1946. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees in the Railway Catering Departments, particularly on the North Eastern Railway have neither been paid travelling allowance nor annual increments; and

*इस परिमाण को वस्तु विनिमय करार के आधार पर बेचने के लिये अन्तिम रूप से प्रबन्ध किये जा चुके हैं।

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, except that on Northern, North Eastern, South Eastern and Western Railways, annual increments in certain cases and T. A. in a few cases on S. E. Railway have not been paid.

(b) The non-payment of annual increments and T. A. claims in these cases is due to the following causes:—

(i) refixation of pay in hand on account of revision of scales of pay;

(ii) incomplete service records and leave accounts;

(iii) non-receipt of personal files and leave records from other stations;

(iv) non-finalisation of seniority of some categories; and

(v) late and irregular submission of T. A. claims.

जम्मू और काश्मीर में छोटे पैमाने के उद्योग

1947. **श्री सं० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री भगवात झा आजाद :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिये उनके मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल में उस राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां के उद्योगपतियों को यह मंत्रणा दी गई थी कि वे प्रतिरक्षा सामान का उत्पादन करें; और

(ग) क्या केन्द्र उन के लिये तकनीकी मार्गदर्शन तथा कच्चे माल की व्यवस्था करेगा?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) उद्योग मंत्रालय के दो अधिकारियों ने 20 से 22 अक्तूबर, 1965 तक श्रीनगर का दौरा वहां लघु उद्योगों की कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए किया था।

(ख) स्थानीय लघु उद्योगपतियों को यह सुझाव दिया गया कि वे पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय तथा रक्षा विभाग से आर्डर प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित करें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता का अधिक लाभप्रद इस्तेमाल किया जा सके।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर में स्थानीय लघु उद्योग सेवा संस्थान छोटे कारखानों को तकनीकी परामर्श देते हैं। राज्य के उद्योग निदेशक राज्य के कोटे से अलग-अलग कारखानों को नियंत्रित कच्चे माल का नियतन करते हैं। जहां तक पूर्ति और निपटान महा निदेशालय द्वारा लघु एककों को दिये गये आर्डरों का संबंध है, पूर्ति और निपटान महा निदेशालय उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता करता है बशर्ते कि टेंडर को स्वीकार करने के लिये यह भी एक शर्त रखी गई हो।

आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र

1948. श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक केन्द्र ने क्या प्रगति की है ?

(ग) क्या इन केन्द्रों के बीच किसी प्रकार का समन्वय तथा सहयोग है ; और

(घ) इन केन्द्रों में किन श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। ये केन्द्र राजकोट, ओखला तथा हावड़ा में स्थित हैं।

(ख) ये तीनों ही केन्द्र भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों, कुछ मशीनों के आद्यरूपों का विकास करने त । सामान्य सुविधा सेवा देने के काम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। राजकोट केन्द्र ने स्पिंडिल मोल्डिंग मशीन, टबुलर वुड-वर्किंग खरादों, मल्टी-पर्पज बैंडर, बेन्ड नोचर जैसी अनेक मशीनों के डिजाइन तयार किये और उनमें सुधार किये तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करने के लिय वडवर्किंग खराद, बडसा, बल्ट और डिस्क सैण्डर, टम्बलिंग बैरेल आदि का निर्माण भी कर रहा है।

ओखला स्थित केन्द्र हाई प्रसिजन टूलरूम खराद, हाथ के लीवर से चलने वाली घिसाई मशीनें और प्रसिजन टल और कटर ग्रांइडर जसी तीन प्रमुख मशीनों के आद्यरूप का विकास कर रहा है, जिनके बारे में निर्माण अधिकार पश्चिम जर्मन सरकार द्वारा भेजे गये थे। इस केन्द्र ने एक कैप्सटन खराद तथा अनेक मशीनों के आद्यरूपों के डिजाइन तैयार किये और उनमें विकास किया है जिनमें सूराख करने की आड़ी मशीनें, खड़ी घिसाई मशीनें शामिल हैं। इनके अलावा अन्य वस्तुएं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस केन्द्र ने तीन प्रमुख मशीनी औजारों का निर्माण करने के लिये एक सुनियोजित उत्पादन कार्यक्रम भी शुरू किया है।

हावड़ा के केन्द्र को कोल्ड-चेम्बर डाई कास्टिंग मशीन तथा पी० वी० सी० एक्स्ट्रूडर का निर्माण करने के लिये जापान सरकार से उपहार लाइसेंस मिले हैं। केन्द्र ने ये दोनों मशीनें अलग-अलग पुर्जे जोड़ कर सफलतापूर्वक उन्हें तैयार किया है तथा केन्द्र में बनाये गये हिस्सों से प्लास्टिक एक्स्ट्रुडर के पहले आद्यरूप की सफलतापूर्वक जांच की है। केन्द्र ने इन दोनों मशीनो का उत्पादन कार्यक्रम भी बनाया है। इस केन्द्र ने स्विच बोर्ड बिजली मापक यंत्रों का डिजाइन बनाने और उनका विकास करने के काम में विशेष योग्यता प्राप्त की है।

इन केन्द्रों में प्रशिक्षण देने के मामले में की गइ प्रगति नीचे दिखाई गई है :–

केन्द्र	अब तक उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों की संख्या	31-12-65 को प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या
पी० टी० सी०, राजकोट	443	103
पी० टी० सी०, ओखला	1342	318
पी० टी० सी०, हावड़ा	422	166

(ग) जी, हां। इस काम के लिये दिल्ली में एक डिवीजन बना दिया गया है जो इस समय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष के सीध नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

(घ) निम्नलिखित व्यवसायों और कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अनेक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं :–

(1) लघु औद्योगिक एककों में काम करने वाले तकनीकियों को उच्च प्रशिक्षण मिलता है ;

(2) आई० टी० आई० में उत्तीर्ण टेक्नीशियनों को संयंत्र के अन्दर का प्रशिक्षण मिलता है ;

(3) विज्ञान तथा ड्राइंग में मैट्रिक्युलेशन पास लोगों को विभिन्न व्यवसायों में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(4) व्यवसाय में प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तियों को चार्ज हैंड प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है;

(5) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को सुपरवाइजर प्रशिक्षणार्थियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है ;

(6) इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को ग्रेजुएट अप्रेंटिस का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है ;

(7) गर्मियों की छुट्टियों में इंजीनियरिंग के छात्रों के लिये तदर्थ प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

Use of Hindi

1949. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Jagdev Singh Siddhanti: Shri Hukum Chand Kachhavaiya: Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the use of Hindi in the Ministry and attached offices since the 26th January, 1965;

(b) whether the work is proceeding in a planned manner in this direction; and

(c) if so, the progress expected during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Based on Governments' general policy, steps have been taken for gradual introduction of Hindi in Railway offices. While it is not possible to indicate precisely, the percentage of increase in the use of Hindi in the Ministry of Railways and its attached offices, the number of sections where Hindi is being used in noting on files has increased from 19 in January, 1965 to 28 at present.

रेलवे के माल डिब्बों का निर्यात

1950. श्री लिंग रेड्डी : क्या **रेलवे** मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के फालतू माल डिब्बों और यंत्रचालित संकेतक उपकरणों (मैकेनिकल सिगनलिंग इक्विपमेंट) तथा सवारी डिब्बों जैसी अन्य वस्तुओं का निर्यात करने के काम में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के विकासोन्मुख देशों के साथ कोई ठेका किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) एक भारतीय निर्माता को मीटर लाइन के 33 सवारी डिब्बों के निर्यात का आर्डर प्राप्त करने में सफलता मिली है। इनकी कीमत लगभग 59.33 लाख रुपये है। सवारी और मालडिब्बों के निर्यात के लिए और आर्डर पाने की कोशिश जारी है। 1964-65 में लगभग 41 लाख रुपये के रेलवे के अन्य उपस्कर, जसे रेल-पथ के सामान, चल-स्टाक के पुर्जों, सवारी डिब्बों के पंखों आदि का निर्यात हुआ।

(ख) बर्मा से मीटर लाइन के 33 सवारी डिब्बों का आर्डर प्राप्त किया गया है। पूर्वी अफ्रीका से 480 मालडिब्बों का आर्डर मिला जिनकी कीमत 1.57 करोड़ रुपये हैं।

इथोपिया को चाय का निर्यात

1951. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथोपिया में भारतीय चाय को रूस से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) 1963, 1964 और 1965 में उस देश को कितनी चाय निर्यात की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी): (क) तथा (ख) : इथोपिया चाय का एक छोटा उपभोक्ता है और अपना अधिकतर आयात लंका से करता है। ज्ञात हुआ है कि 1964 में पहली बार रूस ने थोड़े परिमाण में अर्थात् लगभग 13 मी० टन चाय इथोपिया को भजी। इस से यह नहीं कहा जा सकता कि इथोपिया के चाय बाजार में रूस भारत का एक गम्भीर प्रतियोगी बनकर आ रहा है।

(ग) भारत से इथोपिया को 1963, 1964 और 1965 (नवम्बर, 1965 तक) में हुए भारतीय चाय के निर्यात का योग क्रमशः 33 मी० टन, 34 मी० टन और 20 मी० टन रहा है।

बीड़ियों का निर्यात

1952. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ियों का किन्हीं देशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों को; और

(ग) क्या यह निर्यात गैर-सरकारी संगठन अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां।

(ख) अदन, अफगानिस्तान, बहरीन, कुवैत, मलयेशिया, सिंगापुर, नैपाल, कत्तार और सन्धिवर्ती ओमन तथा सऊदी अरब।

(ग) निजी पार्टियों द्वारा निर्यात किया जाता है।

हैवी इजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

1953. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में आग लगाने के बार-बार किये जाने वाले प्रयत्नों के क्या कारण हैं जब कि कहा जाता है कि वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है ;

(ख) इस बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की सहायता से की गई जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) उसके फलस्वरूप इस प्रकार की घटनाओं को पुन : न होने देने के लिये और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : 1964 में आग लगाने की तीन घटनाएं हुई थी जिनमें पहली जनवरी में, दूसरी सितम्बर में तथा तीसरी दिसम्बर में हुई। पहले मामले में कोई सुराग नहीं लग सका तथा दूसरे और तीसरे मामले में बीस अपराधियों के खिलाफ जांच की जा रही है। इनमें से 17 व्यक्ति जेल की हिरासत में हैं, दो जमानत पर हैं तथा एक आदमी भाग गया है। इन मामलों की जांच राज्य का खुफिया विभाग केन्द्रीय खुफिया विभाग के परमर्श से कर रहा है। जांच-पड़ताल लगभग पूरी हो चुकी है तथा शीघ्र ही आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ग) सुरक्षा प्रबन्ध में सख्ती कर दी गई है और संदेह होने पर कर्मचारियों के चरित्र आदि की फिर से जांच की जा रही है।

तकनीकी विकास महानिदेशालय

1954. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **संभरण** तथा **तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्य और प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्थापित किये गये अध्ययन दल की सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने का क्या प्रभाव हुआ है; और

(ख) अध्ययन दल द्वारा सुझाई गई 'ड्रिल' क्रिया को अपनाने से आयात के प्रार्थना-पत्रों को निपटाना कहां तक संभव हुआ है ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोटा रघुरामैया) : (क) और (ख) : कुछ सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए सरकार का संकल्प नवम्बर, 1965 में प्रकाशित किया गया था जबकी बाकी सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं। क्योंकि अप्रैल, 1965—मार्च, 1966 की लाइसेन्सावधि लगभग समाप्ति पर है इस लिए संशोधित प्रक्रिया को अगली लाइसेन्सावधि अर्थात् अप्रैल, 1966—मार्च, 1967 में ही क्रियान्वित करना सभव हो सकेगा। अध्ययन दल की सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने का प्रभाव तभी निर्धारित किया जा सकता है जबकि अगली लाइसेन्सावधि में संशोधित प्रक्रिया कुछ समय के लिए लागू हो चुकी हो। फिर भी, जहां सम्भव है, अध्ययन दल द्वारा सिफारिश की गई संशोधित 'ड्रिल' के कुछ पहलुओं को चालू लाइसेन्सावधि में ही लागू किया जा चुका है।

केरल में स्टार्च फैक्टरी

1955. **श्रीमती मैमुना सुल्तान :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी फर्म, अलायन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन एक स्टार्च फैक्टरी की स्थापना के लिये, जो कृषि के अवशिष्ट उत्पादों को उद्योगों में काम आने योग्य बनायेगी, भारत को सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने की क्षमता कितनी होगी तथा सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने टेपिओका से स्टार्च तैयार करने के लिये केरल में एक कारखाने की स्थापना करने के लिये मंजूरी दे दी है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 18,000 मीट्रिक टन होगी । इस कारखाने में प्रतिवर्ष 7,200 मीट्रिक टन डेक्सट्रोज बनाने के लिये भी मंजूरी दे दी गई है ।

इंजीनियरी के हल्के सामान की सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी गोष्ठी

1956. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वाधान में इंजीनियरी के हल्के सामानकी सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी एक गोष्ठी हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में क्या क्या मुख्य विचार व्यक्त किये गये तथा सुझाव दिये गये ; और

(ग) सरकार की उन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) हल्के इंजीनियरींग उद्योगों/सामान्य सुविधा वर्कशापों की औद्योगिक सहकारी समितियों के संबंध में अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशों की एक प्रति अंग्रेजी में उत्तर के साथ में नत्थी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5756/66 ।**]

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

Bulandshahr-Rajghat Narora Railway Line

1957. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether there is any scheme to lay a new Railway line from Bulandhshahr to Rajghat Narora or to some other station in Moradabad Division *via* Jehangirabad, Anupshahr in Bulandhshahr district of Uttar Pradesh and, if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : No.

Foreign Exchange Spent on Foreign Films

1958. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Mohammed Koya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange spent on foreign films during the year 1965;

(b) whether Government have any proposal to ban or reduce drastically the import of foreign films with a view to save foreign exchange; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) The value of imports of cinematographic films (exposed) during 1965 is Rs. 20·33 lakhs.

(b) & (c). During current period, import quota for Established Importers for cinematographic films (exposed) has already been reduced to 'NIL' in view of foreign exchange stringencies. Import of films is, however, allowed under special arrangements made by the Government of India with Motion Picture Export Corporation of America and Messers Rank Film Distributors of India Ltd. Imports of films are also allowed from rupee payment countries under Trade Plan provisions.

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कोयले का सम्भरण

1959. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उडके :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री रा० सा० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाड़ीवा :
श्री पाराशर :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार अथवा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने किसी समय यह अभ्यावेदन दिया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उनसे कोयले की जो कीमत लेता है वह बहुत अधिक होती है और उन्हें मध्य प्रदेश में अपनी तापीय बिजली घरों के साथ लगने वाली कोयला खानों से स्वयंही कोयला निकालने की अनुमति मिलनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) कोयले के दोहरे हस्तन पर होने वाले व्यय विद्युत् केन्द्र की आवश्यकता से असम्बद्ध उत्पादन तथा दो स्वतन्त्र संस्थाओं पर होने वाले उपरिव्यय को बचाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने यह प्रार्थना की थी कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोरबा कोयला क्षेत्र में विकसित की जाने वाली मानकिपुर खान राज्य विद्युत् मण्डल को दे दी जाय ।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल में इस विषय में कि कोरबा कोयले के लिये क्या मूल्य देना होगा तथा इन दोनों संस्थाओं में घना समन्वय स्थापित कराने के लिये समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण

1960. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश में अग्निमूंडाला में तांबा-पट्टी के निक्षेपों के बारे में विस्तृत खोज का अपना प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो खोज के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) उन निक्षेपों में कितने प्रतिशत तांबा, सीसा तथा अन्य खनिज पाये गये हैं ;

(घ) निक्षेपों का क्या वाणिज्यिक प्रयोग संभव है ; और

(ङ) क्या निक्षेपों को खोजने के लिये राष्ट्रीय धातु विकास निगम ने तैयारी की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय। अभी काम चालू है।

(ख) और (ग) : अभी तक प्राप्त सूचना से पता चलता है कि धुकमेंडा और नालाकोंडा खण्डों में मुख्य रूप से तांबा खनिज और बाडलमोटू खण्ड में सीसा खनिज है। निक्षेपों में ताँबे की औसत 1.5 से 2 प्रतिशत है और सीसे की मात्रा 7 से 8 प्रतिशत के स्तर की है।

(घ) और (ङ) : इन निक्षेपों के व्यापारिक विदोहन के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस विषय में भौमिकी अन्वेषणों तथा दूसरे अन्वेषणों के परिणामों की जो अभी प्रगति पर हैं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस कारण से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अथवा और किसी अन्य संस्था द्वारा इन निक्षेपों को निकालने के लिये प्रारम्भिक कार्रवाई करने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता।

मद्रास तथा देहरादून घाटी में सीमेन्ट के कारखाने

1961. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री काजरोलकर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास तथा देहरादून घाटी में सीमेंट बनाने के कारखाने स्थापित करने की योजनाएं मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : मद्रास राज्य और देहरादून घाटी में सीमेंट बनाने के लिये निम्नलिखित नये कारखानों का विस्तार करने की योजनाओं के लिये लाइसेंस की स्वीकृति दे दी गयी है :—

पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता (मी० टन)	नया कारखाना/ पर्याप्त विस्तार
मद्रास राज्य			
मै० एसोसियेटिड सीमेंट कं० लिमिटेड बम्बई।	मदुक्कराई	121,910	पर्याप्त विस्तार

पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता (मी० टन)	नया कारखाना/ पर्याप्त विस्तार
इंडिया सीमेंट लि०, मद्रास	शंकरीदुर्ग	200,000+600,000	पर्याप्त विस्तार
वही	शंकरनगर	400,000	,,
मद्रास सीमेंट्स लिमिटेड	तुलुक्कापट्टी	200,000	,,
छेटीनाड सीमेंट कारपोरेशन लि० मद्रास ।	करूर	400,000	नया
मद्रास राज्य	श्रीविल्लीपुत्तूर	400,000	नया
डा० बी० नटराजन	नानगुनेरी	52,000	नया
श्री एस० नालापैरुमल	अम्बसापुन्दरम्	60,000	नया
श्री सी० हनुमन्थ राव	चुन्नाम्बुर	60,000	नया
देहरादून घाटी हिन्द कन्सट्रक्शन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लिमिटेड ।	देहरादून**	200,000	नया

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कृषकों का कल्याण

1962. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कृषकों के कल्याण के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी और वास्तव में कितनी धन राशि खर्च की गई ; और

(ख) वर्ष 1966–67 में इसी कार्य के लिये कितनी धन राशि देने का विचार किया गया है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के किसानों के कल्याण के लिये 1965–66 में 4.50 लाख रुपये की कुल राशि नियत की गई है। इस साल के दौरान किये गये खर्च की वास्तविक राशि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही ज्ञात होगी ।

(ख) 1966–67 के लिये 5.00 लाख रुपये की राशि देने का विचार किया गया है ।

सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

1963. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने दिसम्बर, 1965 में कराची में सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के शाखा कार्यालय को बन्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान सरकार से जोरदार विरोध किया गया है । परन्तु उससे कोई उत्तर नहीं मिला है ।

**स्वीकृति पत्र की वैधता अवधि इस मामले में अब समाप्ति हो गई है ।

केरल में सूक्ष्म माप यंत्र बनाने का कारखाना

1964. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री प० कुन्हन :**

क्या **उद्योग** मंत्री 19 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 921 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में सूक्ष्म माप यंत्र बनाने का कारखाना स्थापित करने की दिशा में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : भूमि प्राप्त कर ली गई है। योजना आयोग ने इस योजना को वार्षिक आयोजना में सम्मिलित कर लिया है और इसके लिये बजट में व्यवस्था कर ली गई है। तकनीक समिति द्वारा विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है थी और इस बारे में शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है।

बड़ौदा में फ्लुओर-स्पार के निक्षेप

1965. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खान** तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा जिले (गुजरात) के छोटा उदयपुर ताल्लुक के अम्बाडूंगर क्षेत्रों में लाखों टन फ्लुओर-स्पार के निक्षेप हैं जो देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कृ० ड) : (क) 1964 वर्ष में भारतीय भौमिकी विभाग ने बड़ौदा जिले के अम्बाडूंगर के फ्लोराइट निक्षेपों के अन्वेषणों को पूरा कर लिया है। निक्षेपों के संचेंयों का अनुमान 11.6 मिलियन मीटरी टन है जिसमें कैलशियम फ्लोराइट की कुल औसत 30 प्रतिशत होगी। देश की वर्तमान मांग को पूरा करने की लिये ये निक्षेप पर्याप्त समझे गये हैं।

(ख) गुजरात मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि० (सरकारी क्षेत्र निकाय) ने अम्बाडूगर गांव में इन निक्षेपों के विदोहन के लिये 619.17 हैक्टा एकड़ के लिये खनन पट्टा लिया है और कारपोरेशन ने अप्रैल, 1964 से शुरू में एक सीमित पैमाने पर फ्लोरस्पर का प्रवर (Selective) खनन आरम्भ कर दिया है।

कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन

1966. **श्री बालकृष्णन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर व्यय होने वाली राशि मंजूर कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब शुरू किय जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन के लिये कोई अनुमानित खर्च मंजूर नहीं किया गया है। लेकिन इस स्टेशन पर तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय और ऊंचे दर्जे का एक प्रतीक्षालय बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव अनुमोदित हो गया है और जैसे ही इसके लिये धन उपलब्ध होगा, निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी जायेगी तथा काम शुरू कर दिया जायेगा।

5—34 L. S./66

उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल बांध सक्शन के कर्मचारी

1967. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल बांध सेक्शन में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को रहने के लिये क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ग) उनमें से वर्ष 1966 में इस सेक्शन के कितने कर्मचारियों को रहने के लिये क्वार्टर दे दिये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

	तीसरे दर्जे के कर्मचारियों की संख्या	चौथे दर्जे के कर्मचारियों की संख्या
(क)	66	170
(ख)	35	114

(ग) कर्मचारियों के रहने के लिये 1966 में इस खण्ड पर मकान बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

उत्तर रेलवे पर कैन्टीनों का आगे किराये पर दिया जाना

1968. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर कैंटीनों के आगे किराये पर दिये जाने की आम शिकायत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग): 1965 में उत्तर रेलवे की कैंटीनें शिकमी पट्टे पर देने की 17 शिकायतें मिली हैं। जांच पड़ताल के फलस्वरूप 7 ठेकेदारों के विरुद्ध कैंटीनें शिकमी पट्टे पर देने का आरोप साबित हुआ और उनके ठेके समाप्त कर दिये गये। 8 ठेकेदारों के मामले में आरोप प्रमाणित नहीं किये जा सके और बाकी दो मामलों में जांच पड़ताल का काम अभी पूरा नहीं हुआ है ।

पंजाब के लिये औद्योगिक लाइसेंस

1969. **श्री दलजीत सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 और 1966 में अब तक पंजाब सरकार से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उनमें से कितने प्रार्थनापत्र मंजूर किये गये है तथा कितने अस्वीकार कर दिये गये है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख): 1965 और 1966 में अब तक एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये जाने के लिये पंजाब सरकार से केवल एक आवेदन पत्र मिला है। इस आवेदन पत्र पर, जो बिजली के उपकरण बनाये जाने के बारे में है, अभी विचार किया जा रहा है ।

किरतपुर साहिब स्टेशन में रेलवे गोदाम

1970. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल बांध सेक्शन पर किरतपुर साहिब स्टेशन पर एक रेलवे गोदाम बनाने के लिये मंजूरी दी गई थी किन्तु इसका निर्माण कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर गोदाम का निर्माण-कार्य बन्द करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह काम जुलाई, 1965 में पूरा किया जा चुका है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पंजाब में अनसूचित जातियों का कल्याण

1971. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार किया गया है ;

(ख) यह धनराशि किन किन मदों पर खर्च की जायेंगी ; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये और क्या व्यवस्था की गई है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) 47.10 लाख रुपये ।

(ख) योजनाओं की एक सूचि सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5757/66 ।**]

(ग) 1966-67 में पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण पर खर्च किये जाने वाले 47.10 लाख रुपयों के अतिरिक्त अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम के अधीन लाहौल और स्पीति में आदिम जाति विकास खण्डों की योजना के वास्ते 1966-67 के लिये 3.00 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं ।

Manufacture of Utensils

1972. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have directed the manufacturers of utensils in the country to use aluminium for the manufacture of utensils and not to use copper and brass for this purpose;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is a fact that the preparation and taking food in the aluminium utensils is harmful for health?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) and (b). Under the Scarce Industrial Material Control Order, the conversion of copper and brass into circles from which utensils are primarily made has been banned. Though no specific instructions have been issued in regard to the use of aluminium for the manufacture of utensils, the industry generally has been advised to use alternative material for copper and brass.

(c) The Indian Standards Institution have drawn up two specifications one for Cast Aluminium and Aluminium Alloy (IS : 20-1959) and for Wrought Aluminium for utensils (IS : 21-1959) the use of which will not be harmful for health. All State Governments/Administrations have been requested to exercise strict control over small scale utensil manufacturers through their Director of Industries and ensure that the manufacturers use the right type of raw material.

Gorakhpur-Motihari Rail Link

1973. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a long time back there was a direct route from Gorakhpur to Motihari through the Narainpur bridge ;

(b) if so, whether it is also a fact that 43 years have passed since the Narainpur bridge (North Eastern Railway) gave way;

(c) whether it is also a fact that this bridge has not been reconstructed so far; and

(d) if so, whether Government are formulating a scheme to construct a bridge across the river Gandak either near Dumariya or Bhainsalotan to connect this area?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) Yes, the bridge was washed away in 1924.

(c) Yes.

(d) There is no proposal at present to construct a rail bridge either at Dumaria or Bhainsalotan.

Death due to Collision with Railway engine at New Delhi Station

1974. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have enquired into the causes of the death of a 70 year old person who collided with an engine at the New Delhi Railway station on the 19th December, 1965; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, but the incident took place on 18-12-1965.

(b) The matter was enquired into by the Government Railway Police and it was revealed that the deceased had been ailing for the last 4-5 years and was reported to be tired of his life. He lived with his son close to the New Delhi Railway Station. On 18-12-1965, all of a sudden he threw himself before a shunting engine, resulting in his death. It appeared to be a case of suicide.

जलपाइगुड़ी जोगीघोपा नई रेलवे लाइन

1975. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये जलपाईगुडी से जोगीघोपा तक बिछाई गई नई बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस बड़ी लाइन को गोहाटी तक ले जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : सिलीगुड़ी-जोगीघोपा नयी बड़ी लाइन माल यातायात के लिये नीचे लिखे चरणों में खोली गयी थी :—

(1) न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू बंगाईगांव तक . . . 3-5-65

(2) न्यू बंगाईगांव से जोगीघोपा तक. . . . 15-6-65

1-1-1966 से यह सारी लाइन यात्री यातायात के लिये खोल दी गयी।

(ग) बंगाईगांव जोगीघोपा से आगे यातायात की निकासी अंशत: वर्तमान मीटर लाइन से, अंशत: सड़क के रास्ते और अंशत: नदी मार्ग से होनी है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क और नदी मार्ग का विस्तार करने की योजना बनायी है। केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण शुरू करके बंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच मौजूदा मीटर लाइन की क्षमता भी बढ़ायी जा रही है। आशा है कि इस प्रकार विकसित सुविधाएं राज्य की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को कम से कम सात-आठ वर्ष तक पर्याप्त रूप से पूरा कर सकेंगी। बड़ी लाइन को बंगाईगांव से आगे गुवाहाटी तक बढ़ाने के संबंध में विचार करने का सवाल तब उठेगा जब यातायात इतना बढ़ जाये कि इस समय पर्याप्तरूप से जो अतिरिक्त क्षमता पैदा की जा रही है वह खप जाये और यातायात इस गति से बढ़ने लगे कि उसके लिए परिवहन सुविधाओं को और बढ़ाने की जरूरत पड़े।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी के लिए विशेष इस्पात

1976. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कम्पनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिलाई में विशेष इस्पात का उत्पादन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिलाई इस्पात कारखानें में पहले ही विशेष इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। उसके 430 टन के आर्डर के मुकाबिले में 98 टन के लगभग माल भेजा जा चुका है और 22 टन का निरीक्षण किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही भेज दिया जाएगा। शेष माल तैयार किया जा रहा है।

विदेशी व्यापार

1977. **डा० रानेन सेन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान भारत के विदेशी व्यापार के रास्ते में कठिनाइयां उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की कठिनाइयां हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : पाकिस्तान से लड़ाई होने के कारण पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान का स्थल मार्ग बन्द हो गया था तथा अफगानिस्तान से भारत का व्यापार 10-9-65 से रुक गया था। फिर भी, यह व्यापार वायुयान द्वारा 7-10-65 से तथा कराची होकर स्थलमार्ग से 1-2-66 से पुनः प्रारम्भ हो गया। हाल ही में हुए पाकिस्तानी संघर्ष के दौरान, भारत की चाय, चाय की मशीनें तथा ज्यूट की कुछ खेपें जो पूर्वी पाकिस्तान होकर जा रही थीं, पाकिस्तान सरकार ने जब्त कर लीं। 1 तथा 2 मार्च, 1966 को मंत्रीस्तर के एक प्रतिनिधिमण्डल ने, अन्य बातों के साथ माल की जात की गयी खेपों को वापस कर देने के लिये वार्ता करने को पाकिस्तान का दौरा किया था। किन्तु, इस बैठक में इस विषय पर विचार नहीं हो सका। बाद में फिर कभी एक बैठक होने की आशा है।

मूंगफली के तेल के सम्बन्ध में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी (डिलीवरी) ठेके के लिये क्रेताओं तथा विक्रेताओं की तालिकाएं

1978. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार आयोगों द्वारा दिये गये इस सुझाव का कोई विरोध हुआ है कि मूंगफली के तेल की जनवरी में होने वाली सुपुर्दगी (डिलीवरी) के संबंध में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी (डिलीवरी) ठेके के आरम्भ होने से पहले क्रेताओं तथा विक्रेताओं की तालिकाएं बनाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

नारियल जटा की चटाइयों का निर्यात

1979. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा चटाइयों तथा नारियल जटा सामान के निर्माताओं ने भारत से निर्यात किये जाने वाले नारियल जटा सामान के लिये कर में अधिकतम छूट देने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्यातकों ने अभ्यावेदन किए हैं कि चूंकि नारियल जटा सामान को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य बदलों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है और चूंकि उत्पादन लागत, भाड़े आदि में वृद्धि हो गई है इसलिए नारियल जटा सामान तथा नारियल सूतली के क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत वर्तमान कर उधार में वृद्धि होनी चाहिए ।

(ग) नारियल जटा बोर्ड के परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है ।

नई दिल्ली स्टेशन पर पार्सल साईडिंग पर शैड

1980. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री गुलशन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल साइडिंग पर शेड नहीं बना हुआ है जिससे वर्षा तथा गरमी के मौसम में पार्सल चोरी हो जाते है या खराब हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नयी दिली स्टेशन पर पार्सल साइडिंग में कोई छतदार शेड नहीं है। लेकिन पार्सलों की हिफ़ाज़त के लिए उन्हें तिरपाल से ढक दिया जाता है ।

(ख) प्लेटफार्म नं० 1 की बगल में एक छतदार शेड बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है ।

दिल्ली मुख्य स्टेशन पर पार्सल कार्यालय

1981. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मुख्य स्टेशन पर पार्सल कार्यालय में कदाचार तथा अनियमितताओं के मामलों की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चौकसी निदेशालय द्वारा आरोपों की जांच-पड़ताल का काम पूरा कर लिया गया था और ये मामले, विभागीय कार्यवाही के लिए उत्तर रेल प्रशासन को भेज दिये गये थे ।

(ख) सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी ने चार पार्सल क्लर्कों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है और आरोप-पत्र जारी कर दिये गये हैं ।

तिरुर रेलवे स्टेशन से बुक किये गये पान

1982. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री गुलशन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्टेशन के रास्ते उत्तर रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को तिरुर रेलवे स्टेशन से पान के ऐसे कुल कितने बंडल बुक किये गये जो वर्षा 1965 में अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुचे हैं ;

(ख) इस प्रकार माल कम हो जाने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा कुल कितनी राशि के दावों का भूगतान किया गया अथवा किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस प्रकार माल कम हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिये रेलवे प्रशासन ने किसी जांच का आदेश दिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम नाथ) : (क) 2,178.

		रुपये
(ख)	(1) दावे की कुल रकम जिसका भूगतान किया गया . .	22,131
	(2) दावे की कुल रकम जिसका भूगतान किया जाना है . .	7,355

(ग) जी हां ।

रूरकेला और भिलाई के लिए माल डिब्बों की कमी

1983. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तैयार माल को भेजने के लिये पर्याप्त माल-डिब्बे न मिलने के कारण रुरकेल्ला और भिलाई इस्पात कारखा नों में उत्पादन में रुकावट पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में सीमेन्ट के कारखाने

1984. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 में उड़ीसा राज्य को वहां सीमेन्ट के कारखाने स्थापित करने के लिये कोई लाइसेंस दिये गय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में औद्योगिक एकक

1985. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966–67 में उड़ीसा में कितने औद्योगिक एकक स्थापित करने का विचार है तथा वे किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायगे ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : सूचना इकटठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

1986. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1965–66 में औद्योगिक विस्तार सेवा से छोटे पैमाने के कितने उद्योगों को लाभ पहुंचा है ; और

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा के लघु उद्योगों को कितनी राशि का ऋण दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क)

	1965–66 (दिसम्बर, 65 तक)
1. तकनीकी सहायता	
(1) कारखाना स्थल पर ही परामर्श देने के लिए तकनीकी अधिकारियों द्वारा सम्पर्क की गई पार्टियों और दौरा किये गए एककों की संख्या .	2,517
(2) तकनीकी सलाह दी गई पार्टियों की संख्या . . .	735
(3) नए उद्योग चलाने के लिए जानकारी दी गई पार्टियों की संख्या .	603
(4) किए गए प्रदर्शनों की संख्या (चलती फिरती वर्कशाप के अलावा) .	56
(5) अन्य सहायता दी गई पार्टियों की संख्या . .	1,214
2. चलती फिरती वर्कशाप	
(1) दौरा किये गये केन्द्रों की संख्या	38
(2) किए गए प्रदर्शनों की संख्या	41
(3) प्रशिक्षित किए गए कारीगरों की संख्या . . .	284
3. वर्कशापों के कार्य-क्लाप	
(1) उजरती काम करने के लिए जो पार्टियां विस्तार-केन्द्रों/वर्कशापों में आई उनकी संख्या	215
(2) वास्तव में सहायता की गई पार्टियों की संख्या . . .	203

(ख) राज्य सरकारों को उनकी, राज्य सहायता उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत लघु उद्योगों को ऋण देने की योजनाओं और औद्योगिक सहकारी समितियों, सामान्य सहायता सुविधा केन्द्र/वर्कशाप, तथा उत्पादन केन्द्रों का उपयोग करने के लिए केन्द्र द्वारा एकमुश्त ऋण दिए जाते हैं। उपरोक्त योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता वित्तीय वर्ष के अन्त में पहली तिमाही के वास्तविक खर्च और चौथी तिमाही के अनुमानित खर्च के आधार पर दी जाती है। राज्य सरकारें अपने खर्च को वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी स्वेच्छा पर छोड़े गए "अर्थोपाय अग्रिम ऋण" में से पूरा करती हैं। 1965–66 में उड़ीसा राज्य के लघु उद्योगों के विकास के लिए 16.60 लाख रु० के ऋण की केन्द्रीय सहायता का अस्थायी रूप में नियतन किया गया है।

उड़ीसा में आदिम जाति खण्ड

1987. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कितने आदिम जाति खण्ड हैं ;

(ख) वर्ष 1966–67 में कितने ऐसे खण्ड खोलने का विचार किया गया है ; और

(ग) वर्ष 1966–67 में उड़ीसा राज्य के कोरापूत और गंजम जिलों में, अलग-अलग कितने आदिमजाति खण्ड खोलने का विचार किया गया है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :–

(क) इस समय उड़ीसा राज्य में 62 आदिम जाति विकास खण्ड तथा 4 विशेष बहु-प्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड हैं।

(ख) राज्य सरकार का 1966–67 में 10 आदिम जाति खण्ड खोलने का विचार है।

(ग) 1966–67 में कोरापूत और गंजम ज़िलों में खोले जाने वाले आदिम जाति खण्डो की संख्या के बारे में राज्य सरकार ने अन्तिम निर्णय नही किया है।

राजस्थान मे दस्तकारी उद्योग

1988. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को उस राज्य में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिये वर्ष 1965–66 में कोई राशि दी है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : 1965–66 वर्ष के लिये राजस्थान को 60,000 रु० अनुदान तथा 25,000 रु० ऋण अर्थात् कुल 85,000 रु० दिये गये हैं।

राज्य सरकारें समय समय पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, उपाय एवं साधन के रूप में उनको दी गई अग्रिम धन-राशि में से धन निकालती हैं। व्यय के लिये मंजूरी, राज्य सरकारों द्वारा पहली तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक व्यय तथा अन्तिम तिमाही के अनुमानित व्यय के भेजे गये आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में दी जाती है। अधिक अथवा कम भुगतानों का समंजन अगले वित्तीय वर्ष में कर दिया जाता है।

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान

1989. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानो के कल्याण-कार्यों पर वर्ष। 1965–66 में वस्तुतः कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :(क) और (ख): सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संभरण विभाग द्वारा की गई खरीद

1990. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संभरण** तथा **तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण विभाग ने वर्ष 1965–66 में किन-किन देशों से माल खरीदा है, और

(ख) खरीदी गई वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा उनका मूल्य कितना है ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) जिन देशों से पूर्ति और तकनीकी विकास मन्त्रालय ने 1965–66 (अक्टूबर, 1965 तक) में माल खरीदा है उन के नामों को निर्देशित करते हुए विवरण को सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल टी 5758/66।**]

(ख) मदानुसारी सूची बहुत समय और मेहनत लेगी जो कि निष्पत परिणाम के समय नहीं होगी। फिर भी, विभिन्न देशों से 1965–66 (अक्टूबर) 1965 तक) में खरीदे गये माल का कुल मूल्य उस विवरण में दिखाया गया है जो प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में रखा गया है।

घड़ियों के पूर्जों का निर्माण

1991. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय-पृथक-पृथक ऐसे कितने कारखाने हैं जो घड़ियों के पुर्जे बनाते हैं तथा पुर्जे जोड़ कर घड़ियां बनाते है :

(ख) 1965–66 में कुल कितनी घड़ियां आयात की गई ; और

(ग) उक्त अवधि में इसके लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) पूरी घड़ियां बनाने का एक कारखाना है। बड़े उद्योग क्षेत्र में केवल घड़ियों के पुर्जे बनाने का कोई भी कारखाना नहीं है लेकिन लघु उद्योग क्षेत्र में घड़ियों के केस इत्यादि बनाने के कुछ एकक मौजूद है।

(ख) और (ग) : 1965–66 (अप्रैल-नवम्बर, 65) की अवधि में 2.85 लाख रु० के मूल्य की 19,930 घड़ियों का आयात किया गया था।

छोटे आविष्कार विकास बोर्ड

1992. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे आविष्कार विकास बोर्ड ने 1965–66 में कोई इनाम दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां, 1965–66 में आविष्कार सम्बर्द्धन बोर्ड द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं ।

(ख) पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है :—

आविष्कारकर्ता का नाम	आविष्कार का नाम	पुरस्कार की राशि
		रु०
1. डा० हर्षवर्द्धन	'हाई स्पीड ट्रेसिंग कैमरा'	5,000
2. श्री के० डी० शिंदे .	'महाराष्ट्र टोकन यंत्र डिबलिंग मशीन'	3,000
3. श्री इम्तियाज अहमद .	'रोप मेकिंग मशीन'	2,000
4. श्री पी० जी० भिडे .	'इम्प्रूवमैंटस रिलेटिंग कायन बाक्स'	2,000
5. श्री आर० एस० पिल्ले	'ग्राम फाइंग मशीन'	1,000
6. डा० सी० सी० जोन	'ए कम्पोजीशन फार दि इन्हीबिशन आफ मैरिन बोरर अटैक आन सब मर्जड टिम्बर स्ट्रक्चर्स'	1,000
7. डा० जी० एस० सेखोन	'ए रैसपिरेटर एण्ड एपरेटस इन कम्बीनेशन देयरविद फार आर्टिफिशियल रैसपिरेशन ड्यूरिंग एक्सपैरिमेंटल सर्जरी'	1,000
8. श्री जी० पी० शर्मा .	'एडाप्शन आफ डाई हैड आन सेंटर लेथ फार कटिंग स्क्रू ड्स क्विकली'	1,000
9. श्री जे० जे० मिस्त्री .	'एन इलैक्ट्रिकली आपरेटिड गीजर वाल्व (थ्री वे वाल्व)'	500
10. श्री जे० एन० सिंह .	'इम्प्रूव्ड काक आर वाटर टैप आफ पोलिथीन'	500
11. ब्रिगेडियर प्रीतम पाल सिंह	'थ्री इन वन डिगिंग टूल (एन्ट्रैंचिंग टूल)'	500
12. श्री एम० के० पटेल .	'इम्प्रूवमेंटस् प्रैशर स्टोव'	500
13. श्री इंद्रकिशन बहल	'इलैक्ट्रिक रिवाल्विंग मैकैनिज्म फार टेबिल फैन एण्ड टेबिल लैम्प एटसेटरट'	500
	कुल .	18,500

केरल में औद्योगिक उत्पादन केन्द्र

1993. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में 9 औद्योगिक उत्पादन केन्द्र आरम्भ करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने केन्द्र आरम्भ किये जा चुके हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों में अब तक कुल कितनी पूंजी लगी है तथा उनमें कितने लोक नियुक्त किये गये है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : दूसरी पंच वर्षीय योतजना के दौरान दो उत्पादन केन्द्र (एत्तुमन्नुर तथा तिरुवेल्ला) और कल्लाई (कालीकट) वनियमकुलम, शोरनपुर, त्रिचूर, मकलूपुजा, वल्लेपी तथा अतिंगल में 7 औद्योगिक विस्तार केन्द्रों की स्वीकृति दी गई थी। सभी नौ केन्द्र चालू कर दिये गए है लेकिन एक औद्योगिक विस्तार केन्द्रों (वनियमकुलम) को 1962 में त्रिचूर के जूता बनाने के औद्योगिक विस्तार केन्द्र के साथ मिला दिया गया था।

(ग) इन केन्द्रों पर अब तक कुल लगभग 35.84 लाख रु० की पूंजी लगाई गई है तथा इन केन्द्रों में (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) कर्मचारियों की संख्या 308 है।

व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों सम्बन्धी भारतीय परिषद्

1994. **श्री बसुमतारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों सम्बन्धी भारतीय परिषद् 31 मार्च, 1966 को समाप्त की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितने धन की बचत होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) परिषद् को 31 मार्च 1966 के आगे भी जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग की तकनीकी समस्याएं

1995. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सम्भरण** तथा **तकनीकी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग की तकनीकी समस्याओं पर निगरानी रखने के लिए एक स्थायी निकाय बचाने के सुझाव पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा आयोजन मंत्री (श्री कोल्ला रघुरामैया) : (क) और (ख) : सरकार को किसी ऐसे विशेष सुझाव का पता नहीं है। तकनीकी विकास महानिदेशालय जिन उद्योगों की देखभाल कर रहा है, उन के प्रति इस कार्य का पालन पहले ही कर रहा है।

मध्य रेलवे में माल डिब्बों का संभरण

1996. **श्री मा० ल० जाधव** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में महाराष्ट्र से बंगाल, बिहार तथा पंजाब के राज्यों को माल डिब्बे कम दिये जाते हैं ;

(ख) क्या मध्य रेलवे में महाराष्ट्र में आसाम के लिये माल डिब्बे भेजने में बड़ी कठिनाई हो गई है; और

(ग) क्या माल डिब्बों के न मिलने के कारण उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उन्हें अच्छे बाजार भाव नहीं मिलते तथा माल खराब हो जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

विदेशी सहयोग

1997. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सितम्बर-अक्तूबर, 1965 में 75 से अधिक परियोजनाओं को मंजूर किया है जो विदेशी सहयोग से चलाई जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में सहयोग की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं सितम्बर-अक्तूबर, 1965 की अवधि में विदशी सहयोग के लिए कुल 47 मामलों में स्वीकृति दी गई थी ।

(ख) इन 47 मामलों में से 17 मामलों में विदेशी पूंजी के सहयोग की आवश्यकता हुई तथा बाकी में केवल तकनीकी सहयोग रहा । ये सहयोग मुख्यत: मशीनी औजारों, बिजली के सामान, मोटरों के सहायक पुर्जों, रेडियो के पुर्जों, सूती कपड़ा तथा कागज की मशीनों, हाइड्रालिक उपकरण, स्विचगीयर कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों, डीज़िल इंजिनों, स्टिल कास्टिंग और वल्डिंग इलैक्ट्रोड्स के क्षेत्र में थे ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा रेलवे को सहयोग

1998. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के हेतु तथा प्रतिस्थापक धातु उत्पादों, बैटरियों के स्वदेशी पुर्जों तथा धातुओं के लिये बचाव लेप तथा आयात समाप्त करने हेतु ऐसी अन्य चीजों के विकास के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् से और अधिक सहयोग देने के लिये कहा है; और

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् इस सम्बन्ध में रेलवे की सहायता करने में समर्थ रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : रेलवे अनुसंधान का केन्द्रीय बोर्ड 1960 में स्थापित किया गया था। उसका उद्देश्य यह था कि रेलवे के अनुसन्धान संगठन और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा विश्वविद्यालयों आदि के अधीन कार्य करने वाले अनुसंधान संगठनों के बीच कारगर समन्वय बना रहे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक, विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं के निदेशक और अन्य विभिन्न संगठनों के प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इस केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करते हैं। आयात होने वाले सामान की जगह इस्तेमाल के लिए देशी सामान का विकास करने के प्रयास में भारतीय रेलों ने इस केन्द्रीय बोर्ड और इसके अधीन नियुक्त विभिन्न उपसमितियों के ज़रिये, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं से सहायता ली है।

भोपाल में जौ की शराब बनाना

1999. श्री रामपुरे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भोपाल ताल के पानी से, जो पीने योग्य नहीं रहा है, जौ की शराब (बीअर) बनाने के उद्देश्य से विदेशी तकनीकी जानकारी से भोपाल में एक शराब का कारखाना स्थापित किया जायेगा;

(ख) विदेशी जानकारी प्राप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कारखाने में कितना उत्पादन होगा?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) चूंकि शराब बनाने की और] अधिक क्षमता स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिये भोपाल में शराब बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Import of T. V. Sets

2000. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any scheme for the import of television sets is at present under the consideration of Government; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes Sir. The sets are, however, as a rule imported only from those countries with whom Government have Rupee Payment Arrangements or under other arrangements where no free foreign exchange expenditure is involved.

(b) The following receivers have been received so far :

(i) 23" Hungarian make TV receivers, 2,000 in number;

(ii) IEC 23" TV receivers, 400 in number; and

(iii) SANYO 16" receivers, 600 in number.

Arrangements have been made for import of 2,000 TV receivers from Yugoslavia also.

The receivers at items (i) to (iii) above are being distributed.

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

2001. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Mohammad Elias :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a report regarding the theft of machines worth Rs. 1.5 lakhs from the Central Training Centre of Heavy Engineering Corporation, Ranchi, was lodged at the Hatia Police Station; and

(b) if so, the particulars of the machines stolen?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). Welding equipments and tools worth Rs. 8,016 were stolen from the Central Training Institute of Heavy Engineering Corporation Ltd. Ranchi on the 22nd November, 1965 and this was reported to the Hatia Police Station.

आदिवासी

2002. श्री मधु लिमये : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों के आदिवासियों पर सरकार की अनाज वसूली सम्बन्धी नितियों के कारण पड़े प्रभाव के बारे मे सरकार ने कोई अध्ययन करवाया है ;

(ख) क्या इन नीतियों के फलस्वरूप रांची-बिहार, जगदलपुर–मध्य प्रदेश के आदिवासियों को हुई कठिनाइयों के कारण जनवरी-फरवरी 1966 में हुए दंगे-फिसादो की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित आदिम जातियों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही ी गई है?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) इस प्रकार के अध्ययन का कोई अवसर नहीं आया है ।

(ख) अभी तक इस प्रकार की किसी घटना की विशिष्ट रूप से सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Consumer Industries in the public Sector

2003. Shri Sidheshwar Prasad :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 830 on the 27th August, 1965 and state :

(a) whether the proposals for the establishment of consumer industries in the public sector have since been finalised; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) . Proposals for the establishment of consumer industries in the public sector are still under examination and no final decisions have yet been taken.

बोकारो कारखानें के लिए बिजली

2004. **श्री मुहम्मद इलियास :**

डा० रानेन सेन :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित बोकारो इस्पात कारखानें और चौथी योजना के अन्तर्गत दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रस्तावित अग्रेतर विस्तार के लिए कितनी बिजली चाहिए और उस की कब आवश्यकता होगी; और

(ख) इन कारखानों को कहां से बिजली दी जाती है और अतिरिक्त सेट लगाने तथा योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के साथ-साथ बिजली की सप्लाई के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : बोकारो इस्पात कारखाने को 1970-71 तक 1.7 मिलियन टन स्तर के प्रथम चरण के लिए 237 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी जिसमें से 97 मेगावाट कारखाने के अपने बिजली के कारखाने से पैदा की जाएगी। शेष 140 मेगावाट दामोदर घाटी निगम द्वारा दी जाएगी। दामोदर घाटी निगम बोकारो की उपरिलिखित बिजली की आवश्यकता की समय पर पूर्ति कर सकेगा। निर्माण कार्य के लिए दामोदर घाटी निगम ने पावर सप्लाई के लिए मेन्स लगा दिए हैं और कारखाने के निर्माण कार्य के लिए बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की चौथी योजना के विस्तार के लिए दिसम्बर 1969 तक 120 एम०वी०ए० बिजली की आवश्यकता होगी। उस समय इसकी कुल आवश्यकता 1.6 मिलियन टन के वर्तमान विस्तार को मिलाकर, 190 एस०वी०ए० की होगी। इसकी पूर्ति भी दामोदर घाटी निगम करेगा। विस्तार के लिए आवश्यकताओं की सूचना दामोदर घाटी निगम को पहले ही दी जा चुकी है जिसमें अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं और सिंचाई और बिजली मंत्रालय से अतिरिक्त बिजली पैदा करने और उसे ले जाने हेतु उपकरणों के लिए मंजूरी मांगी है।

Publication of Railway Statistical Reports in Hindi

2005. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1509 on the 3rd September, 1965 and state :

(a) the reasons as to why the details of statistical figures with titles pertaining to all Railway Administrations are not published in Hindi; and

(b) the nature of arrangements being made to publish such statistical reports in Hindi with Hindi titles as are now being brought out in English only?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) In accordance with existing orders, statistical reports issued by the Railway offices located in Hindi-speaking areas only are required to bear Hindi-English bilingual headings and the figures are to be indicated in the international form of numerals.

(b) The headings of statistical reports are being standardised in Hindi-English bilingual form.

कोयला खानों के लिये विश्व बैंक से ऋण

2006. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खान तथा धातु मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों को विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग किये जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : नई योजनाओं के लिये विशेष रूप से रखे गये श्रेणी 1 के अन्तर्गत आने वाले कुछ भाग के अतिरिक्त, विश्व बैंक ऋण के उपयोग की अन्तिम तिथि 31-12-65 को समाप्त हो गई है। 31-12-65 तक 13.78 करोड़ रु० की रकम की वापिसी का दावा किया गया है ।

खंड रेकों तथा खंडश: कोयले की ढुलाई

2007. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंड रेकों और खंडश: कोयले की धुलाई की प्रतिशतता कितनी कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि 1962 में तत्कालीन इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री इस बातके लिये सहमत हो गये थे कि बंगाल तथा बिहार से भेजे जाने वाले कोयले की 75 प्रति शत ढुलाई खंड रेकों में की जाए तथा शेष 25 प्रतिशत खंडश: की जाये;

(ग) क्या सरकार को कोयले के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं से इस संबंध में कोई शिकायते मिली है कि रेलवे द्वारा खंड रेकों में कोयले की ढुलाई पर आग्रह किया जाता है और खंडश: ढुलाई कम की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मार्ग में न पड़ने वाले स्थानों के छोटे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को हानि होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० क० डे) : (क) कोयले का आवागमन ब्लाकरेक्स में तथा खंडश: में निम्नलिखित अनुपात में हुआ :--

साल	ब्लाकरेक्स में गति	अंशत: में गति
1964	61%	39%
1965	65%	35%

(ख) हां, महोदय ।

(ग) और (घ): ब्लाकरेक्स की प्रगतिशील वृद्धि कोयले के लघु उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हित में निम्नलिखित कारणों से बाधक नहीं हुई है :--

(1) इससे अधिक परिवहन क्षमता तथा वैगनों का जल्दी वापस आना संभव होता है जिसे फलस्वरूप खंडश: गति के लिये अधिक वैगन प्राप्त होते है ।

(2) छोटी कोयला खाने अपने लदान कार्यक्रम को एकत्र करके ब्लाकरेक्स बनाती है जिसमें विभिन्न कोयला खानों में बाटे गये बाक्सनुमा तथा चार पहिये वाले वैगन शामिल है ।

(3) बाक्स वैगनों के ब्लाकरेक्स का लदान केवल बड़े उपभोक्ताओं के लिये ही नहीं है बल्कि उसी दिशा में छोटे उपभोक्ताओं के लिये भी है।

(4) चार पहिये वाले वैगनों के ब्लाकरेक्स आदेशित ब्लाकरेक्स के रूप में छोटे उपभोक्ताओं के लिये जो मुख्य मार्ग से हटकर स्टेशनों पर स्थित है तथा उसी समाप्त होने वाले यार्ड (टरमीनल यार्ड) द्वारा सेवित हैं भी दिये जा रहे है।

(5) ब्लाकरेक्स का जो कार्यक्रम उचित कारणों से पूरा नहीं हो पाता उसे खंडशः औसतन 2700 वैगन प्रतिदिन की सीमा के आधार पर पूरा किया जाता है जिसमें से 2000 वैगन बंगाल और बिहार कोयला खानों से होते है।

रेलवे यात्री-डिब्बों तथा माल डिब्बों का वर्कशाप

2008. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के यात्री-डिब्बों तथा माल डिब्बों के वर्कशापों में काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को अकुशल कर्मचारियों के रूप में वेतन दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन में से वस्तुतः बहुत से कर्मचारी अधिकांशतः फिटरों, मशीन-मैनों तथा वेल्डरों के कार्य करते हैं, परन्तु उन्हें सहायक "हैल्पर्स" ही कहा जाता है; और

(ग) उन्हें अर्ध-कुशल कारीगरों की श्रेणी में न रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेल कर्मचारी वर्गीकरण अधिकरण के निर्णय के अनुसार उनकी ड्यूटी अर्ध-कुशल प्रकार की नहीं है।

डाल्ली-राजहारा-दांतेवाडा रेलवे लाइन

2009. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री चांडक :

श्री पाराशर :

क्या **रेलवे** मंत्री डाल्ली-राजहारा-दांतेवाडा रेलवे लाइन के बारे में 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1019 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दण्डकारण्य प्रदेश की औद्योगिक खनन तथा कृषि सम्बन्धी संभाव्यता के समेकित विकास के लिये अपेक्षित परिवहन व्यवस्था के वकल्पिक विभिन्न साधनों का ब्यौरा क्या है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इस समय जिन अन्य वैकल्पिक रेल-सम्पर्कों के बारे में विचार किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं :—

(1) भद्राचलम रोड-दांतेवाड़ा;

(2) अम्बागुडा-लांजीगढ़ रोड; और

(3) भद्राचलम रोड-कोब्बुर।

भारतीय संवेष्टन (पैकिंग) संस्था

2010. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए संवेष्टन तथा मालबन्द करने (पैकेजिंग) से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार का विचार एक भारतीय संवेष्टन संस्था स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक संवेष्टन संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर व्यापार तथा उद्योग की सलाह से विचार किया जा रहा है।

(ख) स्थापित होने पर यह संस्था निर्यात-अभिमुख होगी और संवर्धनात्मक विकासपरक और गवेषणात्मक कार्य आदि करेगी। प्रस्तावित संस्था का ब्यौरा अब भी विचाराधीन है।

बाल कल्याण

2011. **श्री म० रं० कृष्ण :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल कल्याण संबंधी भारतीय परिषद द्वारा अपने वार्षिक सम्मेलन में असंतोष व्यक्त किये जाने के पश्चात् बाल कल्याण के लिए तयार की गई योजनाओं को सक्रिय रुपसे कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग ने क्या अतिरिक्त कायवाही की है;

(ख) तब से बाल कल्याण के लिए कितनी योजनाएं अपनाई गई है और कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई है;

(ग) बाल कल्याण कार्यक्रमों पर अब तक कुल कितनी धनराशि खच की गई है; और

(घ) इन योजनाओं से कुल कितने बच्चों को लाभ पहुंचा है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) और (ख) : यह वर्ष तृतीय आयोजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण केवल वर्तमान योजनाओं को ही शक्तिशाली बनाया गया। कोई नई योजनायें आरम्भ नहीं की जा सकी।

(ग) और (घ) : यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा दे दी जायेगी।

Harijan Welfare Committee, Delhi

2012. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any educational institutions are also being run by the Harijan Welfare Committee, Delhi;

(b) if so, the number and names thereof and the number of students in each class;

(c) whether all the educational institutions run by the Committee have been recognised or there are some institutions which are still to be recognised; and

(d) whether any complaints have been received that some of these educational institutions are bogus and if so, the action being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

अखबारी कागज बनाने वाले कारखाने

2013. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री महेश्वर नायक :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के तीन अखबारी कागज बनाने के विशेषज्ञों ने अखबारी कागज बनाने वाले कारखाने स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ स्थानों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों की सिफारिश की है; और

(ग) सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : जी, हां। ब्रिटेन के मेसर्स साइमन इंजीनियरिंग तथा मेक्सिको के "सिया इण्डस्ट्रियल डी सान क्रिस्टोबाल" के विशेषज्ञों के एक दल को इस मंत्रालय, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा तकनीकी विकास के महा-निदेशालय के सहयोगस उत्तर प्रदेश/बिहार के क्षेत्रों में गन्ने की खोई पर आधारित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार करने का काम सौंपा गया है। यह दल राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन का प्रयोग आधारभूत आंकड़ों के रूप में कर रहा है। उनकी रिपोर्ट अप्रैल-मई, 1966 तक मिल जाने की संभावना है।

मसूर में सरकारी क्षेत्र का थोक औद्योगिक सार्थ

2014. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हाल ही में मैसूर सरकार से मंजूरी के निमित्त एक योजना प्राप्त हुई है, जिस का उद्देश्य जी० ई० एफ० नाम के सरकारी क्षेत्र के उसके थोक औद्योगिक सार्थ को ए० ई० जी० (इण्डिया) और जी० ई० एफ० लिमिटेड में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अंशधारी कौन-कौन हैं और उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या मसूर सरकार द्वारा अपने निजी काम के लिये अर्जित की गई भूमि तथा कुछ अन्य आस्तियां 1956 के मूल्यों पर नई जर्मन कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी गई हैं तथा क्या नय जर्मन प्रतिरूप सार्थ अर्थात ए० ई० एफ० आयात अभिकर्ता के रूप में काम करेगा; और

(घ) क्या नई फर्म वर्ष 1958-59 के नमूनों के अनुसार उपकरण बनायेगी तथा मैसूर सरकार ने किन परिस्थितियों के कारण अपनी निजी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को भंग कर दिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : मैसूर सरकार के एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का निर्माण करने के इस सुझाव पर, जिसमें राज्य सरकार, पश्चिम जर्मनी के मैसर्स ए० इ० जी०, वाशिंगटन के मसर्स इंटरनैशनल फाइनैंस कारपोरेशन तथा जनता के शेयर होंगे, अभी विचार किया जा रहा है। प्रश्न के भाग 'ख' 'ग' तथा 'घ' में उल्लिखित सभी ब्यौरा संबंधित पार्टियों द्वारा अन्तिम रूप से किए जाने वाले करार के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

नमक का निर्यात

2015. श्री म० प० स्वामी :

श्री काशीनाथ दुबे :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से नमक उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार नमक का विदेशों में निर्यात करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में एक नमक निगम स्थापित करने के लिये विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

Railway Codes and Rules and Regulations published in Diglot form

2016. Shri Rajdeo Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Codes and Rules and Regulations pertaining to all the Zonal Railways which have been published by the Ministry in the diglot form (Hindi-English) from 1955 till 1965;

(b) the names of the Codes not published in the diglot form and the extent to which their translation has been completed; and

(c) the Codes which would be published in the diglot form during 1966?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Decision to bring out rules, codes etc. in English-Hindi bilingual form was taken in 1961. Prior to 1961, Hindi translations of some 10 Rule-Books and pamphlets were supplied to the Railways.

(b) the following 7 codes are required to be brought out in the English-Hindi bilingual form :

1. Indian Railway General Code.
2. Indian Railway Establishment Code.
3. Indian Railway Code for Accounts Deptt.
4. Indian Railway Code for Mechanical Deptt. (Workshops).
5. Indian Railway Code for Stores Deptt.
6. Indian Railway Code for Engineering Deptt.
7. Indian Railway Code for Traffic Deptt. (Commercial).

In accordance with the Home Ministry's directive, statutory codes are required to be translated by the Ministry of Law and non-statutory codes by the Ministry of Education. Accordingly the Establishment Code, which is a statutory publication, was sent to the Ministry of Law and the remaining six-non-statutory codes, to the Ministry of Education for Hindi rendering and/or final vetting.

(c) Since these codes are still under translation, it is not possible to state at present whether they will be published in the bilingual form during the current year.

Purchase of Hindi and English typewriters by Railway Board

2017. Shri Rajdeo Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of typewriters purchased by the Railway Board and all Zonal Railways during 1965;

(b) the number of Hindi and English typewriters, separately;

(c) whether arrangements have been made to change the old keyboards by new ones in all the Hindi typewriters; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 846.

(b) Hindi typewriters . . 93

English typewriters . . 752

(c) & (d). It has not been possible to replace the old key-board of the existing Hindi typewriters by the new one mainly because of certain mechanical difficulties involved in carrying out such replacement. The matter is, however, being examined in consultation with the manufacturers.

रेलवे प्रशासन द्वारा हिन्दी में पत्र व्यवहार

2018. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय तथा उत्तर, पश्चिम और मध्य रेलवे के कार्यालय राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पंजाब के साथ, जो हिन्दी भाषी क्षेत्र ह, उनसे हिन्दी में आये हुए पत्रों के उत्तरों के अतिरिक्त, हिन्दी में पत्र-व्यवहार नहीं करते, जबकि राष्ट्रपति के आदेशानसार इन सब राज्यों को सभी पत्र सदा हिन्दी में भेज जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

रेलव मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) वर्तमान हिदायतों के अनुसार जनता और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना अपेक्षित है। हिन्दी पत्रों के उत्तर बहुधा हिन्दी में दिये जा रहे है। यदि रेल प्रशासन चाहें तो, वे हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार शुरू कर सकते है, लेकिन इस आशय का कोई आदेश नहीं है कि हिन्दी-भाषी राज्यों को जो पत्र भजे जायें, व अनिवार्यत: हिन्दी में हों।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, सवाल नहीं उठता।

कपास का मल्य

2020. श्री काजरोलकर :

श्री पाराशर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने, जिसने कपास का व्यापार करना आरम्भ कर दिया है, कपास की किस्म के आधार पर उचित अधिकतम मूल्य से 10 प्रतिशत कम मूल्य पर खरीदने का निश्चय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने "काटन बफर स्टाक एसोसियेशन" नाम की एक एजेसी बनाई है जो, यदि कपास का मूल्य कम हो जाये, तो कपास खरीदेगी; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम जिस किस्म की कपास खरीदेगा क्या उन पर कोई रोक लगी है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) "काटन बफर स्टाक एसोसियेशन" नामक एक ज्वायन्ट स्टाक कम्पनी बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। रूई के व्यापारी मिल मालिक उत्पादक और राज्य व्यापार निगम इसके हिस्सेदार होंगे, जिससे भविष्य में इस संगठन के द्वारा उत्पादकों के लिय उनकी रूई का उचित मूल्य तथा उद्योग को विभिन्न किस्म की रूई उसकी अधिकतम तथा न्यनतम मूल्यों के बीच उचित मूल्य पर कच्चे माल के रूप में मिलना सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके।

(ग) राज्य व्यापार निगम छोटे तथा मध्यम रेशे वाली ऐसी रूई को उपयुक्त अधिकतम मूल्य से 10 प्रतिशत कम पर खरीदता है जिसके मूल्य उस स्तर से नीचे चले गये हों।

ननचर्ला स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर रेलवे वैगन का लूटा जाना

2021. श्री काजरोलकर :

श्री पाराशर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 फरवरी, 1966 को कुरनूल जिले में ननचर्ला (दक्षिण रेलवे) स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के द्वारा आत्मरक्षा में 35 व्यक्तियों के एक गिरोह पर, जिसने एक रेलवे वैगन को लूटने से रोके जाने पर उस दल पर आक्रमण किया, गोली चलाय जाने से एक व्यक्ति मर गया;

(ख) गिरोह ने कितना माल लूटा;

(ग) क्या गिरोह से लूट का सामान बरामद हुआ था;

(घ) क्या इस संघर्ष में सुरक्षा दल का गार्ड जख्मी हुआ था; और

(ङ) क्या उस कोई पुरस्कार दिया गया था; यदि हां, तो क्या पुरस्कार दिया गया था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बदमाशों ने मूंगफली के दो बोरे चुरा लिये थे, जिनकी कीमत 160 रुपये थी।

(ग) जीं, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट मंजूर होने के बाद ही इनाम देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

तिलहर (उत्तर रेलवे) में रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

2022. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1966 को उत्तर रेलवे के बरेली-शाहजहांपुर सेक्शन पर मुरादाबाद से 53 मील की दूरी पर तिलहर में 52 डाउन पठानकोट-सियालदाह एक्सप्रस गाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जांच समिति की रिपोर्ट की छानबीन की जा रही है।

हंगरी के साथ व्यापार

2023. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी में कोई व्यापार तथा भुगतान समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) हंगरी के विदेश व्यापार मंत्री महामहिम जोजेफ बिरो और वाणिज्य मंत्री ने दिल्ली में 23 फरवरी, 1966 को भारत तथा हंगरी के बीच व्यापार तथा भगतान करार से सम्बद्ध एक संलेख पर हस्ताक्षर किये जिससे करार की वैध अवधि दो वर्ष बढ़ाकर 1970 के अन्त तक कर दी गयी। वस्तु विनिमय के प्रकार के बारे में भी निर्णय किये गये जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार परिमाण को बढ़ाकर 1966, 1967 और 1968 में क्रमशः 27 करोड़ रु०, 29 करोड़ रु० तथा 31 करोड़ रु० कर देना है।

2. भारत द्वारा हंगरी से इन वस्तुओं का आयात किया जायेगा :—मशीनें व उपकरण, डम्पर, मशीनी औजार, वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला संबंधी उपकरण, भारी रासायनिक पदार्थ, औषधीय मध्यवर्ती पदार्थ, थोक में भेषज और दवाइयां, एक्सरे-फिल्में, सिनेमा फिल्में (कोरी), बेल्लित इस्पात उत्पाद, विशेष इस्पात तथा औजारी इस्पात, मध्यवर्ती रंजक, एल्यमिनियम के पिण्ड और तार की छड़ें, उर्वरक आदि। भारत से उस देश को कई निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा, जिनमें ये शामिल हैं :—सूती वस्त्र, होजरी, बुने हुये वस्त्र, पहनने योग्य वस्त्र, चमड़े के जूते और विभिन्न इन्जीनियरी वस्तुएं जैसे प्रशीतन यंत्र, सम्पीडित्र, वातानकुलक, कैली फिल्टर, पैट्रोल पम्प, स्टोरेज बटरियां आदि और इनके अतिरिक्त परम्परागत वस्तुएं जैसे लौह अयस्क, चाय, काफी मसाले तेल रहित खली, अभ्रक आदि।

जापान द्वारा भेजा गया इस्पात

2024. श्री यशपाल सिंह :
श्री दी. चं. शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान द्वारा भेजा गया कुछ किस्मों का इस्पात दो करोड़ रुपये के करार के अन्तर्गत खान तथा खनिज विकास निगम द्वारा दिये गये भारतीय विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में हथकरघा उद्योग

2025. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में अब तक केरल में हथकरघा वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) यह उत्पादन अखिल भारतीय उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत है;

(ग) उक्त अवधि में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये केरल की कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) हथकरघा उद्योग के विकास के लिये राज्यों को मंजूर की गई राशि के, पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) अप्रैल 1965 से अगस्त 1965 तक 570 लाख मीटर।

(ख) 6 प्रतिशत।

(ग) तथा (घ) : एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5759।**]

लक्कादीव द्वीप समह के लोगों का कल्याण

2026. **श्री महम्मद कोया** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण बोर्ड ने लक्कादीव द्वीप समूह के लोगों के कल्याण के हेतु कोई योजनाएं पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरुप क्या है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : लक्काद्वीप के लिये कल्याण-उपायों के कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के विचाराधीन है।

छोटी कारों का निर्माण

2028. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मेसर्स अरविन्द आटोमोबाइल्स नामक त्रिवेन्द्रम की एक स्थानीय आटोमोबाइल फर्म ने देश में बने पुर्जों से एक छोटी कार बनाई है जिस का मूल्य मजूरी को छोड़ कर लगभग 9,600 रुपये है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी विशेषज्ञों ने कार का परीक्षण किया है कि इसकी उपयुक्तता और डिजाइन भारतीय दशाओं के अनुकूल है अथवा नहीं; और

(ग) क्या इस बात पर विचार कर लिया गया है कि ऐसी सस्ती कारें चौथी योजना में बनाना सम्भव है अथवा नहीं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : (क) इस प्रकार की कार का समाचार एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है।

(ख) जी नहीं, किन्तु कार का विस्तृत तकनीकी विवरण और जिस प्रकार उसे पुर्जे जोड़कर बनाया गया है उसके बारे में फर्म से पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है।

(ग) देश में चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की परियोजना स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला भोजन

2029. श्री दशरथ देव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे स्टेशनों के भोजनालयों में तथा रेलगाड़ियों में मिलने वाले भोजन का गुण, प्रकार हाल ही में खराब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे स्टेशनों के भोजनालयों में तथा रेलगाड़ियों में मिलने वाले भोजन के गुण, प्रकार को सुधारने और उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जो भोजन दिया जाता है उसके स्तर के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की समुचित जांच की गयी है और जहां ज़रूरी समझा गया है, भोजन के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गयी है। जहां तक भोजन की मात्रा का सम्बन्ध है, यात्रियों को निर्धारित मात्रा में भोजन दिया जाय यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जांच की जाती है।

Night Duty Allowance to Railway Employees

2030. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that only some of the Railway employees working at night get night duty allowance, while some others are not given that allowance; and

(b) if so, the reasons for this disparity?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) In terms of the Government's decision, weightage is to be given only to such staff rostered on night shift whose duty involves 'continuous application' to work and *not* to all staff performing night duty in general. The present list of eligible categories has been so framed as to include only those as are satisfying the above criterion.

स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING-ATTENTIONS NOTICES

पश्चिम बंगाल की स्थिती

अध्यक्ष महोदय : मुझे सात स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): मैं आप से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा था कि मंत्री इस मामले पर पुन: विचार करें परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि वह यह देखेंगे कि न्यायाधीश मुकर्जी ने क्या निर्णय दिया है। उसे सरकार ने नियुक्त किया था। इसका अर्थ यह है कि सरकार को उसमें कोई विश्वास नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह नहीं है ।

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में मेरे पास सात स्थगन प्रस्ताव तथा सोलह अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनायें प्राप्त हुई ह । यह सब जो वहां हुआं है बड़े दुःख और दुर्भाग्य की बात है । कुछ व्यक्ति मरे भी है ।

जहां तक स्थगन प्रस्तावों का प्रश्न है मुझे यह कहना पड़ता है कि उन्हें मंजूर नही किया जायेगा । परन्तु मंत्री महोदय को आज किसी समय एक वक्तव्य देना चा।हये ताकि सदस्य उस पर प्रश्न करस कें और सारा मामला साफ हो जावे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : जैसा कि आपने कहा है बहुत गम्भीर स्थिति वहां उत्पन्न हो गयी है ।

केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी इसलिये है क्योंकि वहां पश्चिमी बंगाल में संविधानिक अवस्था समाप्त हो गई है। वहां उत्तर में अलीपुर द्वार से लेकर कलकत्ता तक जनता उसके विरुद्ध भड़क उठी है और वे पश्चिमी बंगाल सरकार की दमन की नीति के विरुद्ध हैं। जिसके कारण 17 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। वेसे तो सभापति को भी हानि हुई है परन्तु उससे कहीं महत्वपूण व्यक्ति ों का मरना है । हमें यहां बैठ कर पता नहीं है कि वहां जनता के मन पर सारे सप्ताह क्या बीतती है । उन्हें हर प्रकार के दुःख तथा भूख सहनी पड़ती है। वहां स्थिति उससे भी खराब है जो 1959 में केरला में थी । संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिसके अनुसार केन्द्र निदेश दे सकता है । उदाहरण के रुप में जो विरोधी दल के नेता जेल में बन्द किये हैं उन्हें छोड़ा जा सकता है ताकि वे भी किसी वार्ता में भाग ले सकें और मामले को सुलझाया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी इसलिये है कि उन्होंने संधिवान के अंतर्गत निदेश नहीं दिया । क्या सरकार को कुछ कहना है ?

श्री नन्दा : जी हां, इस बात के पूरे प्रयत्न के बावजूद कि वहां सांविधानिक स्थिति समाप्त हो और बनावटी उभाड़ पदा करने का प्रयत्न किया है । परन्तु पश्चिमी बंगाल की सरकार ने . . .

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : यह उसे बनावटी उभाड़ कहते है । केरला में 1959 में क्या हुआ था ? उस समय भी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस के पीछे था ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार वहां शान्ति स्थापित करने तथा उन्हें निदेश देने में असफल रही है । मैं स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में नहीं अपितु इस मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । प्रधान मंत्री वहां गई और असफल हो कर वापस आ गयी । गृह-कार्य मंत्री ने इतनी तकलीफ भी नहीं की कि आपकी अनुमति भी नहीं मांगी कि अपना वक्तव्य देते । यह काम तो उन्हें हमारे यहां उठाने से पहले ही करना था । पता नहीं गृह-कार्य मंत्री बनने के पश्चात् उन्ह क्या हो गया ? न ही उन्होंने इतने व्यक्तियों के मरने का दुःख प्रकट किया है ।

श्री नन्दा : मैं स्वयं इस सदन के सम्मुख यह वक्तव्य देना चाहता था । खैर मै अब अपना वक्तव्य पढ़ता हूं । बड़े दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि कुछ अराजिकता की घटनायें जिनमें कि पुलिस द्वारा गोली चलाना भी शामिल है, वहां हुई हैं । यह बंगाल बंद संयुक्त वामपक्षी मोर्चे द्वारा संगठित किया गया था । यह सरकार की खाद्य नीति के विरुद्ध था और उस मामले की न्यायिक जांच के हक में था । जिन्होंने इसका आयोजन किया उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिये था कि चाहे वह इसे शान्तिपूर्ण रूप से करना चाहते थे , फिर भी यदि मामला काबू से बाहर हो जावे तो क्या होगा । हमने उन्हें इस बात का जतावा भी दिया था परन्तु इसकी उन्होंने परवाह नहीं की । हुगली जिले में तो उग्र भीड़ ने रेलवे स्टेशनों को और रेलों आदि को आग लगा दी । इसी प्रकार की घटनायें 24 परगने जिले तथा

बर्दवान जिले में आसनसोल पर भी हुए। पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप 12 व्यक्तियों की हत्या हो गई बतलाते है। एक पुलिस के सब-इंस्पैक्टर की भी भीड़ द्वारा हत्या हुई। इस सब के होते हुए मुझे पता लगा है कि बायें बाजू के समाजवादी दल ने आज भी आन्दोलन करने को कहा है। हम उन सब के लिये सहानुभूति प्रकट करते है जिनके आदमी इस आन्दोलन में मारे गये। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।क इस देश का सार्वजनिक जीवन इस प्रकार की कार्यवाहियों से दूषित होता जा रहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमने उन्हें कहते सुना है कि केन्द्र का इस पश्चिमी बंगाल की स्थिति के मामले में पड़ने का कोई विचार नहीं है। इसलिये यदि नियमों के अन्तर्गत आवश्यक सदस्यों को अपने साथ मिला सक तो हमें इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर दिया जावे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) **:** महोदय मैं अपना स्थगन प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 353 (क) तथा अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत करता हूं। मैं यह बताऊंगा कि केन्द्रीय सरकार को इसमें क्यों हस्तक्षप करना चाहिये। पहली बात तो यह है कि पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में विरोधी दल की संख्या केवल 25 के लगभग छोड़ी है। बहुत से तो निलम्बित कर दिये गये हैं। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल की सरकार को निदेश न देकर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। तीसरी बात यह है कि यद्यपि राज्यपाल ने 356 अनुच्छेद के अनुसार अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है तो भी वहां की स्थिति ऐसी है कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिये।

एक बार पहले भी भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्त शयनम आयंगर ने केरला के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री सेन विरोधी दल से बात भी नहीं कर रहे है। वह पागल है। गृह-कार्य मंत्री कातिलों का समर्थन कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव को मैंने रद्द कर दिया है। अब मैं उन्हें प्रश्न करने की अनुमति दे सकता हूं। यहि मैं केवल कर सकता हूं। यदि मैं एक एक कर के बुलाऊंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : महोदय, सामान्य तौर पर मैं प्रश्न करने के अवसर का उपयोग करता। परन्तु सरकार के रवैये से ऐसा पता चलता है कि वे कोई ठीक प्रकार की चर्चा करना नहीं चाहते। प्रश्न करके मेरे लिये वह सूचना प्राप्त करना असम्भव नहीं है जो म आवश्यक समझता हूं। मैं अपना दुःख केवल सदन को छोड़कर जाने से ही व्यक्त कर सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप उन्हें अनुमति देंगे कि सारे देश को कसाईघर बना दिया जावे ?

(श्री ही० ना० मुकर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य तत्पश्चात सभा छोड कर चले गये।)

(Shri H. N. Mukerjee and some other Hon. members then left the House.)

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार का विचार है कि सामान्य स्थिति कायम होने के बाद इस बात की जांच करे कि यह स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो गई तथा यह किसका दोष था ?

श्री नन्दा : यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की सहायता करे और वह हम करेंगे।

श्री रंगा : सरकार विरोधी दलों के प्रति बड़े शरमनाक तरीके से व्यवहार कर रही है। मैं तो चाहता था कि सरकार कुछ पश्चाताप प्रकट करेगी। मैं केवल यही कर सकता हूं कि इस चर्चा में भाग न लूं।

(श्री रंगा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य फिर सभा छोड कर चले गये।)

(Shri Ranga and some other Hon. members then left the House.)

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या सरकार यह विचार करेगी कि पश्चिमी सरकार को पदच्युत करेगी ?

श्री नन्दा : वहां सरकार ने लोगों का जीवन तथा सम्पत्ति बचाने का प्रयत्न किया है। उसे अपना कर्त्तव्य करना था और उन्होंने किया है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार विरोधी दल के नेताओं से मिलने को उद्यत् है ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकल सके और वहां राज्य में शान्ति स्थापित हो जावे या वह अपना वही रवैया रखेगी जो अब है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह बड़े दु:ख की बात है कि इतने व्यक्ति वहां मारे गये। परन्तु यह भी देखना है कि वहां रेल की पटड़ी तोड़ने का प्रयत्न किया गया है तब कुछ न कुछ कार्यवाही तो करनी ही पड़ती है ।

वह विरोधी दल का पूरा सहयोग चाहते है विशेष रूप से उनका जो बंगाल के है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मैं यह कह दूं कि इस मामले में कठोरता का कोई प्रश्न ही नहीं है। गृह-कार्य मंत्री स्वयं कलकत्ता जाने की योजना बना रहे हैं और हमने विरोधी दल के कुछ सदस्यों को भी वहां जाने को कहा है। हम वास्तव में इसका हल सोच रहे हैं। यह मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार के आन्दोलन प्रारम्भ करना आसान होता है परन्तु फिर यह शीघ्र ही काबू से बाहर हो जाती है। यह भी है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री भी कठोरता नहीं अपना रहे हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : प्रधान मंत्री के समझौता उत्पन्न करने वाले बयान के लिये धन्यवाद परन्तु यह समझ नहीं आता कि गृह-कार्य मंत्री क्यों क्षमा मांगे जब कि वहां लोगों ने हिंसात्मक कार्यवाही की। क्या इस प्रकार की कार्यवाही के समाचार सत्य हैं ?

श्री नन्दा : जी, हां ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जो कुछ वहां हुआ है उसे देख कर किसी भी व्यक्ति को निराशा होगी। राष्ट्रपति के कथानुसार हिंसा वायुमण्डल में उपस्थित दिखाई देती है। परन्तु इसे विचारक रूप से सुलझाया जा सकता है। सरकार इस हिंसा को कैसे रोकेगी। क्या गोली चलवा कर ? महोदय टोकियो से लेकर एंकरा तक भारत ही एक लोकतांत्रिक देश है। बाकी देशों में तो तानाशाही हो गयी है। हम चाहते हैं कि लोकतन्त्र समाप्त न किया जावे। प्रधान मंत्री ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि वहां के एक आदरणीय विरोधी नेता को जिसकी प्रधान मंत्री से मुलाकात निश्चित हो गयी थी उसे क्यों जेल में ठोस दिया गया। क्या प्रधान मंत्री इस घटना से इंकार कर सकती हैं। सरकार खाद्य समस्या को कैसे सुलझाना चाहती है। बंगाल में ही नहीं, यदि ऐसा रहा तो शायद सारे देश में इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसे राज्य का मामला कहने से काम नहीं चलेगा। मैं प्रधाम मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह विरोधी नेताओं को छोड़ने को तैयार हैं ? आखिर यह समस्या तभी हल होगी जब हम सब मिलकर बैठकर इस पर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker when the Prime Minister was speaking, I was surprised that * * *
She said that it is easy to start an agitation but difficult to control it.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : When I finish you will understand me.

Mr. Speaker : I have followed what you said. You have to withdraw these words.

***अध्यक्ष पीठके आदेशानसार निकाला गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

Shri Madhu Limaye : You please listen to me first.

Mr. Speaker : You first withdraw those words.

Shri Madhu Limaye : I have a point of order **(Interruptions)** ..... This is my right.

Mr. Speaker : I am saying you should withdraw those words. If you do not do that you will have to withdraw from the House.

Shri Madhu Limaye : I want to know the rule under which it is considered as unparliamentary. I want to say with all respect .....

Mr. Speaker : I do not want to argue. I name you and say that you are obstructing the proceedings of the House and flouting the authority of Speaker.

संसद् कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ] राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री मधु लिमये को, जिन्हें अध्यक्ष ने नाम से पुकारा है इस सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye : I have not been able to hear what he has said.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"श्री मधु लिमये को जिन्हें अध्यक्ष ने नाम से पुकारा है इस सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

कुछ माननीय सदस्य : यह दण्ड बहुत कड़ा है **(अन्तर्बाधाएं)** .....

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमान्, मेरा आप से अनुरोध है कि आप अपने निर्णय पर पुन: विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पहले ही स्वीकार किया जा चुका है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is injustice to suspend for the rest of the session.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरा सभा नेता से निवेदन है कि प्रतिपक्ष वालों को सरंक्षण करें । ऐसी चीजें यहां पर पहले भी हुई हैं परन्तु सदस्यों के विरुद्ध इतनी कड़ी कार्यवाही नहीं की गई है । मेरा सदन से निवेदन है कि इस पर फिर से विचार हो और उन्हें केवल एक सप्ताह के लिये निलम्बित किया जाये ।

श्री नाथ पाई : मैं सभा के नेता और प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें । क्या यह दण्ड उचित है ? मैं श्री लिमये द्वारा प्रयोग किये गये शब्द का समर्थन नहीं करता परन्तु वह कहते हैं कि वह उनको ऐसा ..... **(अन्तर्बाधा)** परन्तु मैं चाहता हूं कि उनको इतना सख्त दण्ड नहीं देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती । आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री नाथ पाई : मेरी तो केवल यही अपील है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार हो। हम में सहनशीलता की भावना होनी चाहिये ।

श्री कपूर सिंह : हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिस से बदला लेने की भावना का आभास हो ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है । मैंने उन्हें वे शब्द वापिस लेने को कहा । उन्होंने ऐसा न करने पर मैंने उन्हें बाहर जाने को कहा ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I did not hear that. I am prepared to obey your orders.

श्री हेम बरुआ : पिछली बार जब मैं निलम्बित किया गया था तो सभा के नेता ने मुझे टेलीफोन करने की कृपा की थी और कहा था कि पूरे मामले पर फिर विचार किया जायेगा ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : श्रीमन्, इस प्रकार की बात दुनियां भर में फैल जाती है । हमें आप से आशा नहीं थी कि आप हमें बात करने का अवसर नहीं देंगे । यह बहुत शर्म की बात है ।

(इसके बाद श्री नी० श्रीकान्तन नायर सदन से बाहर चले गये ।)

(Shri N. Sreekantan Nair then left the House.)

श्री सत्यनारायण सिंह : श्रीमान आपने स्पष्ट कह दिया है कि यह दण्ड किसी प्रकार के बदले की भावना के कारण नहीं है । यह तो आपके आदेश का उल्लंघन करने के कारण था और जब वह आपके कहने पर भी सदन से बाहर नहीं गये । हमें चिन्ता है कि इस प्रकार की चीजें एक सीमा तक बढ़ी जा रही है । यह बहुत खेद की बात है । इस अपील के बाद अब यदि माननीय सदस्य बिना शर्त के क्षमा मांगते हैं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि निर्णय पर फिर से विचार करें ।

Shri Madhu Limaye : If the hon. Leader of the House thinks that I have disobeyed you, I regret for that. I do not tell lies. So far as the withdrawing of words is concerned, I was discussing this with you. I never intended to disobey your orders. I obey your orders and leave the House.

(श्री मधु लिमये सदन से बाहर चले गये)

(Shri Madhu Limaye left the House)

श्री दी० चं० शर्मा : वे शब्द सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जायें ।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री मधु लिमये की क्षमा याचना को ध्यान में रखते हुये उन्हें इस सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवाओं से निलम्बित करने से सम्बन्धित आदेश को रद्द किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि श्री मधु लिमये की क्षमा याचना को ध्यान में रखते हुये उन्हइस सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवाओं से निलम्बित करने से सम्बन्धित आदेश को रद्द किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा कहे गये वे शब्द सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त से निकाल दिये जायेंगे ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : Sir, I do not like this type of happening. Lok Sabha has some traditions. They should be respected. We must show every respect to the hon. Prime Minister. She is a respectable lady. I request you kindly to take very severe action against indiscipline.

Mr. Speaker : I support your contention.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, 1966

1964-65 के विनियोग लेखे, रेलवे, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से मैं यह पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे 1966 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5744/66।]**

(2) 1964-65 के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 1—समीक्षा, की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5745/66।]**

(3) 1964-65 के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखे, की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल ०टी०-5746/66।]**

(4) 1964-65 के ब्लाक लेखे (जिनमें ऋण लेखे के पूंजीगत विवरण शामिल है), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे, रेलवे, की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-5747/66।]**

लवण विभाग का वर्ष 1964-65 का प्रतिवेदन आदि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : श्री संजीवय्या की ओर से मैं यह पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) लवण विभाग के वर्ष 1964-65 के प्रविवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी-5748/66।]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उदकमंडलम, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5749/66।]**

(3) (एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, 31 दिसम्बर, 1964, को समाप्त हुए वर्ष के लिए त्रावनकोर टिटेनियम प्रोड्क्ट्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[श्री विभुदेंद्र मिश्र]

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की केरल सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5750/66।**]

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मेहदी) : श्री सु० कु० डे की ओर से मैं ये पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दूस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर, के ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5751/66।**]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सिंगारेणी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोट्टागुड्म कोलियरीज (आंध्र प्रदेश), के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-5752/66।**]

पैरोल पर सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER ON PAROLE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे केन्द्रीय जेल, कुडलूर के अधीक्षक का दिनांक 8 मार्च, 1966 का एक संदेश प्राप्त हुआ है जिस में सूचना दी गई है कि लोक-सभा के सदस्य श्री नम्बियार को एक मास की अवधि के लिये पैरोल पर 7 मार्च, 1966 को रिहा कर दिया गया है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

कार्यवाही-सारांश

श्री दा० ना० तिवारी : मैं सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध एवं प्रशासन (परियोजनाओं का आयोजन) सम्बन्धी तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

सभा के नेता (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 14 मार्च, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) वर्ष 1966-67 के सामान्य बजट पर आगे चर्चा।

(2) वर्ष 1966-67 के सामान्य बजट संबंधी लेखानुदानों की मांगों का सभा के मतदान के लिये रखा जाना।

(3) वर्ष 1965–66 के लिये सामान्य बजट की अनुदानों की अनुपुरक मांगों तर चर्चा तथा मतदान ।

(4) सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक पर विचार तथा पास करना ।

(5) निम्न अनुदानों पर चर्चा तथा मतदान :—

वर्ष 1966–67 के लिये रेलवे अनुदानों की मांगें ।

वर्ष 1965–66 के लिये रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगें ।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : 24, फरवरी, 1966 को माननीय सदन-नेता ने कहा था कि एक ज्योतिषी के मकान पर छापे के बारे में उत्तर देते हुए कहा था कि सरकार या संबंधित मंत्री पूरा उत्तर देंगे। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। इस बारे में एक वक्तव्य होना चाहिये ।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस विषय पर अगले सप्ताह आधे घंटे की चर्चा होगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The question of reorganisation of Punjab is being discussed outside by Congress Working Committee. It is under consideration of the Parliamentary Committee and a Cabinet sub-committee. There is great tension in Punjab and the President of Punjab Jan Sangh has started hunger strike for indefinite period and a Sanyasi is also starting hunger strike from 15th instant. I want that Parliament should also discuss this.

Shri Rameshwaranand : It has been said here that the opposition Parties are responsible for the critical situation in West Bengal. I would say that Government on its part should not create such situations by taking some decisions.

Government has been saying during the last 19 years that the Punjabi Suba will not be formed. Now all of a sudden this demand has been acceded to. This decision has created a grave situation in the entire state. Govenment should give us an opportunity for discussing this.

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमान मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिये संसदीय समिति और मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्टें क्या सरकार को प्राप्त हो गई है ।

Shri Buta Singh : Sir, there is no question on motion before under which we can have this type of discussion. Two Committees are considering this. We should await their reports.

Shri Satya Narain Sinha : I think unless the reports of the Committees are received, we cannot discuss this subject properly.

1966-67 में गन्ने के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: FIXATION OF MINIMUM PRICE OF SUGARCANE DURING 1966-67

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सरकार ने 1966–67 की फसल जोकि अक्तूबर-नवम्बर, 1966 से शुरू होगी और जिसकी बुवाई इस समय प्रगति पर है, में शर्करा कारखानों द्वारा गन्ने का देय न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया है। सरकार ने यह निर्णय किया है कि चालू फसल

[श्री गोविन्द मेनन्]

में जो गन्ने का देय मूल न्यूनतम मूल्य चल रहा है वही चलता रहेगा। यह मूल्य 10.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 5.36 प्रति क्विन्टल (रु० 2 प्रति मन) का है। उपलब्धि में 10.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर गन्ने के मूल्य में 4 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की व्यवस्था भी है। अक्तूबर-नवम्बर, 1966 में गन्ना पेरने का आगामी मौसम शुरू होने से पूर्व प्रत्येक कारखाने द्वारा दिया जाने वाला मूल्य उपर्युक्त के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

सामान्य आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सामान्य बजट पर अग्रेतर चर्चा करेगी। श्री द्वा० ना० तिवारी अपना भाषण जारी रखें।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I was telling you that in spite of minerals being found in abundance in Bihar, there is so much of poverty there. Outsiders go and reap huge profits from the lands of Bihar but only clerical jobs or porterage are the lot of the local population.

The *per capita* income is the lowest in Bihar. In spite of three Plans, dependence on agriculture has increased and now 70% of the population is dependent on agriculture. Government has not paid any attention to north Bihar where the *per capita* income is Rs. 82 or 80 per annum and people are hard put to it to subsist. Neither the Planning Commission, nor the Finance Ministry, nor the Leader of the House nor the Prime Minister is concerned about them. If the Planning Commission and the Finance Ministry ignore this region of Bihar which is bigger than Kerala and almost double of the proposed Punjabi Suba, and still think that India as a whole will progress, it is a great folly on their part. If any part of the body is sick, the body as a whole cannot be said to be healthy. Similarly, if one part of the country is backward the country cannot be said to be progressing.

Except Sugar mills, there is no industry in North Bihar. Many a industry can be established but no attention has been paid to it. The rates of electric supply are double of what obtain in other parts of the country. The rates are 24 or 25 Paise there while in other places they are 10 or 11 paise. As to food availability, the economic survey says that it will be 15 or 16 ounces but, in Bihar, it is 11 ounces. In all respects, therefore, North Bihar is being discriminated against. No plan appears to have been made for that region; nothing has been done to ameliorate the lot of the backward people.

The land in North Bihar is very fertile but the means of greater production--water, power and fertilisers —all are very costly there. How can the peasants of Bihar be encouraged to produce more food?

I had said that taxes should be imposed after considering the burden of taxes that the budgets of the states and the Centre are going to put on the poor people. Taxes should be lifted from Kerosene and diesel oil, which are work man's and peasants' articles of daily use. The increased cost of these articles is an hindrance to grow more food.

There should be uniformity in the pay-scales and dearness allowances of the Central Govenrment employees and of the employees working under different State Governments. The State governments do not have means of meeting their employees' demand for higher pay scales and dearness allowance. There should be no discrimination in the State and Central government services, though there may be a slight difference between the two due to place and time. It should be ensured that the one does not give the impression of being favoured and the other that of being discriminated against. Except that there should be no taxation on kerosene oil and diesel oil, I support the budget proposals.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैंने सोचा था कि जयपुर के अधिवेशन के पश्चात् हम समाजवाद की स्थापना के लिये पुनः वचन-बद्ध हो गये हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना को बजट से समाजवाद की दिशामें मार्गदर्शन मिलेगा और हम आर्थिक क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो सकेंगे। मेरा यह भी विचार था कि इस बजेट द्वारा हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, पर्याप्त खाद्य सामग्री उत्पन्न करने तथा आर्थिक शक्ति तथा धन का संकेन्द्रन कम करने और देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के तीसरी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्री ने बताया है कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा सकी। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष चारों ओर बड़ा विकार रहा है। यह ठीक है कि उद्योगों से पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ है। यह भी ठीक है कि भुगतान शेष की स्थिति बहुत खराब थी। सरकार ने 10,000 पौंड उद्योगपतियों को विश्व की सैर करने के लिये दिये थे जबकि लोक सभा के अध्यक्ष को चिकित्सा के लिये 10 पौंड नहीं मिल सके।

पाकिस्तान के संघर्ष के कारण हमारे अनेक साधन नष्ट हो गये। ब्रिटेन ने सहायता देना बन्द कर दिया। ऋण सेवा प्रभार का भत्ता 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 120 करोड़ प्रतिवर्ष हो गया था। मूल्यों में बराबर वृद्धि होती रही है। इन सब कारणों से हमारी आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई है। वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य के प्रथम भाग में ठीक ही विश्लेषण किया है परन्तु इस गड़बड़ी को रोकने के लिये वित्त मंत्रीने क्या किया है? आजकल मंत्रियों की यह संगत नीति हो गई है कि वे मामलों का बड़ा निराशजनक चित्रण करते हैं ताकि विदेशों से बच्चे अपना जेब खर्च एकत्रित करके यहां भेजें और मंत्री महोदय अमरीका का दौरा कर के पी० एल० 480 के अन्तर्गत और अधिक सहायता ले सकें।

परन्तु मैं इतना उदासीन दृष्टिकोण नहीं अपनाता क्योंकि मुद्रा का परिचारण अब काफी बढ़ गया है हालांकि पूंजी बाज़ार में अभी कठोरता है। मुद्रा परिचारण 5.6 प्रतिशत अधिक बढ़ गया है। साम्या (इक्विटी) मूल्य कम हुये हैं और उद्योगों के लाभ कम नहीं हुये हैं।

प्रथम बार भारतीय बजट में पी० एल० 480 के अन्तर्गत मिली सहायता को बजट के लिये शक्ति का साधन माना गया है परन्तु यह बड़े शर्म की बात है। कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत मिलने वाली आकस्मिक सहायता देश के राज-कोष में वृद्धि कर रही है परन्तु वास्तव में इससे देश की अर्थ व्यवस्था अस्थिर हो रही है।

इस विश्लेषण से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या संकेत मिलते हैं? इस परस्पर से विरुद्ध संकेत—कुछ अच्छे और कुछ बुरे—मिलते हैं। परन्तु जिस निष्कर्ष पर वित्त मंत्री पहुंचे हैं, इन सब कारणों से वैसा नहीं होना चाहिये था। औद्योगिक उत्पादन में कमी आई

[श्री भागवत झा आज़ाद]

है परन्तु बुनियादी उद्योगों, जैसे सीमेन्ट, स्पात, तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है । प्रतिरक्षा पर व्यय में भी केवल '25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । ताशकन्द भावना के बावजूद व्यय कम नही हो सका है । इस पर भी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं । वित्त मंत्री ने कहा है कि विशिष्ट समीप लक्ष्यों की पूर्ति के लिये प्रयास प्रगति में वद्धि करने के साथ साथ आय तथा धन संबंधी विषयताओं को कम करने के सामाजिक लक्ष्य को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होना चाहिये । ठीक है, यह कांग्रेस के समाजवादी संकल्पों की भावना के अनुरूप है । वित्त मंत्री ने बजट के प्रथम भाग में घोषित किया है कि विकास के कार्यों के कारण कर बढ़ाना पड़ जाये परन्तु इस के अन्तर्गत वही लोग आयेंगे जो विकास कार्यों से लाभ उठाते हैं । यह भी ठीक है । उन्होने यह भी कहा है बजट एक आय व्ययक नहीं है बल्कि हमारी योजनाओं तथा नीतियों को कार्यान्वित करने का बड़ा साधन हैं ।

परन्तु यह सब विश्लेषण के पश्चात् बजट के दूसरे भाग में जिस में प्रस्ताव हैं, मैं देखता हूं कि उनके कहने और करने में भारी अन्तर है । चाय उद्योग तथा स्तोक विनिमय के कारण वित्त मंत्री देश की आर्थिक कठिनाइयों तथा खराबियों का सही अनुमान लगा कर उनके लिये उपाय नहीं कर सके हैं ।

उन्होंने केवल हिसाब किताब संबंधी प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने और आय-कर के आंकड़ो को पूर्ण करने का यत्न किया है । इन सब यत्नों का कारण यह है कि वह उन लोगों के लिये जो कठोर पूंजी बाज़ार तथा पूंजी लगाने के लिये प्रतिकूल स्थिति होने की शिकायत करते हैं सरलता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं । अतः वित्त मंत्री ने उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है जो उनके कथन के अनुसार आय बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण करने के लिये किया गया है । यदि ऐसी बात है तो कपड़े पर शुल्क क्यों लगाया गया है, रुई के आयात किय जाने पर नियंत्रण क्यों नहीं लगाया गया ? यह एक ऐसा तर्क है जो कि मुझे जैसे अर्थ-शास्त्र के विद्यार्थी द्वारा माना नहीं जा सकता । इस तर्क से कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं बनाया जा सकता ।

वित्त मंत्री ने बजट में कहा है कि स्फीति द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है परन्तु साथ साथ उन्होंने देश के लोगों पर अनेक अप्रत्यक्ष कर लगा कर स्फीति में कमी लाने का कोई प्रयास नहीं किया है । उत्पादन शुल्क लगा कर तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि मुद्रा स्फ़ीति के संबंध में जो व्याकुलता उन्होंने बजट के प्रथम भाग में दिखाई थी उसको त्याग दिया है जिससे स्फीति में और वृद्धि हुई है ।

मैं वित्त मंत्री को आर्थिक समीक्षा में उनके कथन के बारे में याद दिलाना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि वह उन्हीं लोगों पर कर लगायेंगे जिन्होंने विकास कार्यों से लाभ उठाया है । क्या ये अप्रत्यक्ष कर ऐसे ही लोगों पर हैं जिन्होंने वास्तव मे कोई लाभ उठाया है ?

तीनों योजनाओं ने गरीबों को और भी गरीब तथा अमीरों को और भी अमीर बना दिया है ।

हर वर्ष 3, 4 या 5 लाख उच्च वर्ज के लोगों को लाभ होता रहता है और शेष जहां हैं वहीं रहते हैं । राष्ट्रीय आय के चार हिस्सेदार हैं—भाड़ा, व्याज, मजूरी और लाभ । क्या सरकार इस संबंध मे आंकड़े दे सकती है कि इन सब वर्षो मे मूल्यों की वृद्धि की तुलना मे

भाड़ा, व्याज और मज़ूरी मे भी वृद्धि हुई है ? मूल्यों की वृद्धि की तुलना मे केवल लाभ की जो कि राष्ट्रीय आय मे चौथा वृद्धि हिस्सेदार है वृद्धि हुई है । अत: वित्त मंत्री ने प्रथम भाग मे जो कुछ कहा है वह उसको कार्यान्वित नहीं कर सके हैं ।

Shri Maurya (Aligarh) : There is a difference between speech and action.

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस से सहमत हूं । बजट के प्रथम और द्वितीय भाग मे उतना अन्तर क्यों है ? वित्त मंत्री के कथन और करनी मे अन्तर का क्या कारण है ? एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट की सहायता आप क्यों नहीं लेते जिसमे कहा गया है कि संकेन्द्रण जो है उससे देश की अर्थ व्यवस्था को लाभ हुआ है ? इस बजट मे केवल एक प्रकार का समायोजन है और ज़रुरतमन्द को कोई लाभ नहीं पहुचा है ।

निम्न आय वर्गों के लिये आय कर किसी हद तक कम कर दिया गया है परन्तु उत्पादन शुल्क का पूर्ण उपयोग किया गया है और प्रत्यक्ष करों में रियायतें दी गई हैं। प्रत्यक्ष करों में क्या रियायत दी गई हैं ? व्यय कर को समाप्त कर दिया गया है । मैं इसका विरोध करता हूं । इस कर को श्री कृष्णमाचारी ने लगाया था, फिर श्री देसाई ने हटा दिया था और इस के बाद श्री कृष्णमाचारी ने पुन: लगाया था। अब श्री शचीन्द्र चौधरी ने फिर हटा दिया है । इस से यह स्पष्ट है कि सरकार दबाव के कारण किसी भी अच्छे सिद्धान्त को त्याग सकती है ।

व्यय कर तथा उपहार कर के हटाने के लिये क्या तर्क दिये गये हैं । उपहार कर के हटाये जाने से उच्च वर्ग को ही लाभ होगा न कि निम्न वर्ग को । कहा जाता है कि व्यय कर तथा उपहार कर से आय कम हो रही थी इसलिये ये हटाये गये हैं ! यदि आय कम हो रही थी तो व्यापारी वर्ग उन को कष्टदायक किस प्रकार बता रहे थे ? बात यह नहीं है कि इन प्रत्यक्ष करों से आय कम हो रही थी । वास्तव मे बड़े बड़े व्यापारियों के जो कि देश के लोकतंत्र पर नियंत्रण किये हुये हैं और जो योजनाओं को सफल नहीं होने दे रहे हैं, दबाव के कारण इन करों को हटाया गया है ।

वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को देश में आने के लिये प्राथमिकता दी है । उर्वरक क़रार के संबंध मे मैं कहना चाहता हूं कि आप विदेशी कंपनियों को वितरण तथा मूल्य निर्धारण करने का अधिकार न देकर उनको उनकी पूंजी पर अधिक से अधिक लाभ दे ताकि हमारी प्रभुता के लिये खतरा न उत्पन्न हो जाये । हम सरकार की नीति का हर संभव विरोध करेंगे । सरकार को पुन: विचार करना चाहिये ।

मैं प्रधान मंत्री को याद दिलाता चाहता हूं कि उनके स्वर्गीय पिता ने भी वायस आफ अमरीका से किये हुये करार को भी हस्ताक्षर हो जाने के बाद रद्द कर दिया था । मैं भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह साहस से काम लेकर इस उर्वरक क़रार को समाप्त करें । विदेशी पूंजी आप अवश्य लायें परन्तु उसपर 20 से 25 प्रति शत का अधिक से अधिक लाभ दें न कि उन्हें वितरण तथा मूल्य नियंत्रण का अधिकार दे कर देश की प्रभुता को खतरे में डालें ।

अत: इस बजट में वित्त मंत्री की वह घोषणायें कहां हैं जिनमें कहा गया है कि यह बजट चौथी योजना का शुभ आरम्भ करेगा और हमारे विकास कार्यों की प्रगति करेगा ? वास्तव में देश की प्रगति ढीली हो रही और वित्त मंत्री ने भी माना है कि सरकारी क्षेत्र में योजना बद्ध विकास और भी कम हुये बिना नहीं रह सकता। एक ओर योजना के अतिरिक्त व्यय बढ़ जायेगा और दूसरी ओर विकास संबंधी व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि बजट में मितव्ययिता के संकेत कहां हैं ?

[श्री भागवत झा आज़ाद]

मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध लेबर सरकार का उल्लेख कर रहा हूं जिसने इन वर्षों में हमें धोखा ही दिया है । 1965 में विल्सन सरकार ने बजट में मितव्ययिता करने का निश्चय किया था । मंत्रिमंडल ने निश्चय किया था कि 1970 तक व्यय में 3½ प्रतिशत की सामान्य कटौती करेंगे । जब विल्सन सरकार चुनाव कराने जा रही है तो प्रतिरक्षा के अतिरिक्त व्यय में 3½ प्रतिशत की वार्षिक कटौती से काफ़ी भार पड़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि व्यय में कटौती के क्या संकेत हैं ?

कहा जाता है कि यह सरकार पार्किन्सन के नियम का पालन करती है । परन्तु सरकार की वर्तमान विस्तार योजना इस से भी आगे है । देश में कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा से निवृत नहीं होना चाहता । लोग सेवा में रहते हुये ही मरते हैं। किसी न किसी प्रकार सेवा में बने रहते हैं । गांधी, नेहरु तथा शास्त्री के बिना काम चल सकता है परन्तु विशषज्ञों के बिना जो हर जगह 58 वर्ष की आयु के बाद भी विद्यमान हैं काम नहीं चल सकता। मार्च 1965 में 132 ऐसे व्यक्ति थे जो 58 वर्ष से अधिक आयु के थे । इस में से 62 पुनः सेवा में आये हुये थे ।

फ़िज़ूल खर्चों का एक और उदाहरण है । समाज विकास खण्डों में जीप गाड़ियों, पिकअप, तथा स्टेशन वैगनों की संख्या 4,557 है । इनका कुल मूल्य 5,57,22,020 है और इन पर वार्षिक व्यय 1963–64 में 1,23,30,658 था और 1964–65 में 1,33,69,000 था । क्या यह सरकार की मितव्ययिता की योजना के अनुरूप है ?

इस बजट में आय तथा धन संबंधी असमताओं में कमी किये जाने का कोई संकेत नहीं है । विकास में अवश्य कमी है ।

उपसंहार में मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार स्वर्गीय विन्स्टन चर्चिल महान व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे; अच्छ राजनीतिज्ञ और नेता थे परन्तु वह नहीं जानते थे कि ग़रीब आदमी भी है इसी प्रकार हमारे वित्त मंत्री बड़े इमानदार व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं और वह भी नहीं जानते कि देश में कोई गरीब आदमी भी है ।

इतिहास में लिखा जायेगा कि कांग्रेस दल ने स्वाधीनता प्राप्त की परन्तु लोकतंत्र खो दिया । अतः सरकार को चाहिये कि जनता की इच्छाओं की पूर्ति करें । देश के 50 करोड़ लोग अभी तक समाजवाद की प्रतीक्षा में हैं । सरकार को उनके लिये कुछ तो करना चाहिये ।

श्री ईश्वर रेड्डी (कड़पा) : वित्त मंत्री के बजट भाषण से स्पष्ट हो गया है कि दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों तथा कमी वाले क्षेत्रों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार समस्या की गम्भीरता को नहीं समझती । देश के सात या अधिक राज्यों में अनावृष्टि के कारण ग्रामिणो को बड़े कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं । वहां न लोगों के खाने के लिये अन्न है और न पशुओं के लिये चारा । वे लोग अग्रेतर कृषि संबंधी कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं । परन्तु वित्त मंत्री ने यह नहीं बतलाया है कि वह इस गम्भीर समस्या का किस प्रकार समाधान करेंगे । शायद वह एकाधिकारियों के लिये पूंजी बाज़ार बनाने तथा विदेशी पूंजी पतियों के लिये पूंजी लगाने की अच्छी व्यवस्था करने में अधिक रूचि ले रहे हैं ।

श्री सुब्रहमण्यम ने कमी वाली स्थिति का मुक़ाबला करने के लिये कुछ प्रस्ताव रखे हैं । देखना है कि निम्न स्तर पर इनको किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा । मैं रायलसीमा के कड़पा ज़िले से आया हूं । वहां की जन संख्या 70 लाख है । दुर्भिक्ष के दृष्टिकोण से

यह भारत में सब से खराब क्षेत्र है । यहां की औसत वर्षा 15 से 30 इन्च है । यहां बार बार दुर्भिक्ष होते रहते हैं । स्वाधीनता के बाद 1952 में सब से यहां घोर दुर्भिक्ष पड़ा । सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वह अभूतपूर्व दुर्भिक्ष था । 1952 और 1966 के बीच चार और दुर्भिक्ष पड़े थे। अब इस वर्ष फिर हम दुर्भिक्ष के पंजे में हैं ।

दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र का मैंने दौरा किया है । मैं ने अपने सुझाव तथा प्रस्ताव प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री तथा सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को भेज दिये है । स्थानीय कर्मचारी जिस माप-दंड के अनुसार किसी क्षेत्र को कमी वाला क्षेत्र घोषित करते हैं वह बड़ा विसंगत है । वे एक "तालुक" को आधार मान कर चलते हैं । यदि वहां की कुल पैदावार 50 प्रतिशत से अधिक है तो वे उसे कमी वाला क्षेत्र घोषित नहीं करते चाहे उस तालुक में कई ऐसे गांव हों जो पूर्णतः दुर्भिक्ष ग्रस्त हैं । इस तरह उन ग्रामीणों को कोई सहायता नहीं मिल पाती । "किस्त परिहार" कोई सहायता-कार्य नही है । इसी प्रकार यदि किसी जिले, राज्य तथा पूरे राष्ट्र में यदी सामान्य उपज 50 प्रतिशत है तो वे कमीवाले क्षेत्र नहीं घोषित किय जायेंगे और समझा जायेगा कि वहां कोई दुर्भिक्ष या अनावृष्टि नहीं है । मैं चाहता हुं कि हर गांव को जिसको "किस्त परिहार" मिल रहा है, लघु सिंचाई योजना ऋण सड़क निर्माण चारे का प्रबंध, उचित मूल्य की दुकानों का खोले जाना इत्यादि की सहायता मिलनी चाहिये ।

जो क्षेत्र कमी वाले क्षेत्र घोषित कर दिये गये हैं वहां क्या हो रहा है ? पूरे रायलसीमा को जिसमें चार ज़िले हैं, सरकार ने 60 लाख रूपये दिये है । 70 लाख की जन संख्या में से कम से कम 30 से 40 लाख व्यक्ति दुर्भिक्ष-ग्रस्त हैं । यदि इस राशी को इन लोगों में बांटा जाये तो 2 रुपये प्रति व्यक्ति आता है । क्या यह सहायता है ? जब तक रायलसीमा में दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े, मध्यम, तथा लघु सिंचाई की परियोजनाओं को तुरन्त प्रारम्भ नहीं किया जाता और उन बिजली योजनाओं को जो मंजूर की जा चुकी हैं प्राथमिकता नहीं दी जाती तथा बड़े पैमाने पर कुओं का निर्माण नहीं किया जाता तो न अस्थायी सहायता और न भविष्य के लिये स्थायी सहायता की व्यवस्था हो सकती है । तुंगभद्रा उच्चस्तर परियोजना को तुरन्त शुरु किया जाना चाहिये ।

जहां तक मैं जानता हूं, कमी वाले क्षेत्रों के लिये श्री सुब्रमण्यम द्वारा बताये गये उपाय राज्यों के लिये केवल सुझाव हैं और राज्यों को कार्य पुरा करना है । लोक सभा में उन्होंने बताया है कि राज्यों के लिये 20 से 30 करोड़ की सहायता दिये जाने का प्रस्ताव क्या प्रस्ताव है । परन्तु समस्या की भीषणता को देखते हुय यह राशी पर्याप्त नहीं है। राज्यों के साधन ऐसे नही है कि वे समस्या का मुक़ाबला सफलता से कर सकें । यदि दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों के साथ न्याय किया जाता है तो केन्द्र को ही पूर्ण ज़िम्मेदारी लेनी है । अतः मेरा सुझाव है कि केन्द्र में एक दुर्भिक्ष नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाये और उसे पूरे योजना कराने के लिये 500 करोड़ रुपये दिये जाने चाहिये ताकि भारत में कमी वाले क्षेत्रों में सहायता कार्य तुरन्त शुरु किया जा सके ।

हमारा देश एक बड़ा देश है जहां विकसित, पिछड़े और दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र हैं । सरकार का कर्तव्य है कि वह सब से अधिक पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करे । जिस प्रकार समाज में असमताओं के कारण सरकार रियायतें दे रही है उसी प्रकार प्राकृतिक प्रकोपों के कारण यदि कुछ क्षेत्र रियायतें या प्राथमिकता मांगे तो इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अतः केन्द्र को ही लोगों की सहायता करनी चाहिये ।

अभी हाल में प्रांतीय किसान समिति ने अपनी बैठक में यह निश्चय किया है कि वह सरकार से लोगों की व्यथा के निवारण के लिये कहेगी । अतः यदि सरकार इस मसले पर विचार नहीं करेगी तो आंदोलन और असंतोष शुरु हो जायेगा । अतः केन्द्र को दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों की सहायता करनी चाहिये । राज्य सहायता नहीं कर सकते ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं । देश के सामने प्रतिरक्षा और विकास दोनों ही कार्य हैं । इस के अतिरिक्त इतने बड़े देश का बजट बनाना कोई सरल कार्य नहीं है ।

यह बजट न क्रान्तिकारी है और न प्रगतिगामी है । यह एक यथार्थिक बजट है । कोई भी व्यक्ति करों का लगाया जाना पसंद नहीं करता है । कोई भी वित्त मंत्री संसद के समक्ष आ कर यह नहीं कह सकता कि वह जादू की छड़ी घुमा कर करों को हटा देगा ।

वित्त मंत्री को उन्हीं परिस्थितियों में रह कर कार्य करना पड़ा है जिन में हम आज हैं । वह उन आर्थिक स्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सके जो आज देश में है । वह देश के द्वारा अंगीकृत सामाजिक उद्देशों तथा उनके दल के द्वारा घोषित लक्ष्यों की भी उपेक्षा नहीं कर सके । वे लोकतंत्र के तरीकों की भी उपेक्षा नहीं कर सके । इसी प्रकार उनके लिये यह भी संभव नहीं था कि वह इस तथ्य की उपेक्षा करते कि हमारे यहां जो व्यवस्था है उसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को साथ साथ चलना है । इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने यह बजट बड़े परिश्रम से बनाया है ।

हम वित्त मंत्री से आशा रखते है कि वह इन परिस्थितियों में देश को समाजवाद के लक्ष्य की ओर ले जायेंगे । इस बजट में सरकारी क्षेत्र पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है और न गैर-सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिये कोई व्यवस्था है । इस बजट में थोड़े से लोगों के हाथों में धन के संकेन्द्रण अथवा स्वामित्व के लिये कोई सुविधा नहीं दी गई है ।

कल श्री मसानी ने जो पराजय तथा निवारण न किये गये दुःख का चित्रण किया था । उन्होंने सभा के सामने अपने पिछले भाषणों को पढ़ कर यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि अर्थ व्यवस्था में शिथिलता तथा खराबी की जो उनकी भविष्यवाणी थी वह सत्य सिद्ध हुई है । परन्तु जो चित्र उन्होंने पेश किया था वह यथार्थ नहीं है और न ही तथ्यों के आधार पर बिना पर समर्थन किया जा सकता है ।

प्रश्न का दूसरा पहलू भी है, वह यह कि कृषि उत्पादन इस वर्ष के दौरान गिरा है । परन्तु यदि सामुहिक तौर पर 1950-51 से लेकर सारा मामला देखा जाय तो उत्पादन 880 लाख टन बढा है । यह भी ठीक है कि आबादी भी बढी है । 1964-65 में कृषि उत्पादन 10.5 प्रतिशत बढा, 1963-64 में यह वृद्धि 3.7 प्रतिशत थी और 1962-63 में 5 प्रतिशत कम हुई । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि रूस जैसे देश में 1965 में केवल 1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है और 1964 में उनके यहां वृद्धि 1 प्रतिशत थी । इस तरह मेरा निवेदन यह है कि कुछ लोगों ने जो बहुत ही निराशा जनक चित्र प्रस्तुत किया है वह गलत और यथार्थ पर आधारित नहीं है । तथ्यों के आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता । हमें एक पहलू ही नहीं देखना चाहिए । दूसरा पक्ष भी देखा जाना चाहिए । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गत वर्ष कृषि उत्पादन कम हुआ है परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बराबर बढ रहा है और इस दिशा में काफी प्रगति होने की आशा है । दस वर्ष पूर्व हम 10 करोड़ रूपये की मशीनरी का उत्पादन कर रहे थे और अब हम 500 करोड़ रुपये की मशीनरी का उत्पादन करते हैं । विद्युत उत्पादन भी बढा है । इस्पात और पैट्रोलियम का उत्पादन भी बढा है ।

उत्पादन के बारे में विचार करते हुए हमें एक बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम इस दिशा में अपनी आकांक्षायें पूरी नहीं कर पाये तो इसका बहुत कुछ कारण सूखे का पड़ना है । बढती हुई सैनिक शक्ति भी इसका मुख्य कारण है ।

इसके अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि इसी वर्ष के दौरान हमें कई एक मित्र देशों ने जिन्हें कि हमें सहायता का पूर्ण आश्वासन दे रखा था हमें सहायता देना छोड़ दिया । गत वर्ष की सफलताओं का अनुमान करते हुए हमें इन बातों को सामने रखना चाहिए । किसी भी हालत में हम इन तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

यह ठीक है कि हमें विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये । वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट बात रूप से कह दी है कि हमें विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना है । हमें ऐसी कोई भी विदेशी सहायता स्वीकार नहीं जिसका हमारी प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ता हो। इसके विपरीत यह कहना भी निराधार है कि हम विदेशी सहायता पर बहुत अधिक आश्रित हो रहे हैं। हमें इस बात को देखना चाहिए कि हमने अपने समाज के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जितना धन खर्च किया है यह सब उसका 10 प्रतिशत भी नहीं है । सरकारी खर्चों के बारे में वित्त मंत्री ने विशेष तौर पर उल्लेख किया है । वह ठीक भी है । सरकार का यह कर्तव्य है कि उसे खर्च भी उन मदों को रोकना चाहिए जिन्हें कि रोका जा सकता है । खर्च में कटौती करके मित व्ययता का उदाहरण स्थापित करना चाहिए । इस बात से मैं सहमत नहीं कि 2 से 3 प्रतिशत की कमी कर देने से मित-व्ययता हो जायेगी । यह धारणा बड़ी खतरनाक है । सार्वजनिक कार्योंपर जो खर्च हुआ है उसका अपना महत्व है । सार्वजनिक कार्मों और समाज सेवा के कार्योंपर जो खर्च किया गया है उन्हें गैर-विकास और अनावश्यक खर्च कह देना ठीक नहीं कहा जा सकता । हमें खर्चें की प्रत्येक मद का विश्लेषण करना होगा । शिक्षा पर किये गये खर्चें को आप गैर-विकास पर किया गया खर्चा नहीं कह सकते हैं ।

श्री मसानी ने पुलिस पर किये गये अधिक खर्चे का उल्लेख किया है । इस खर्च की दृष्टि से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीमा सुरक्षा दल पर जो खर्च किया गया है, वह बहुत ही आवश्यक है । हमें प्रतिरक्षा की जरुरतों का तो ध्यान रखना ही है । यह खर्चा सेना द्वारा नहीं प्रत्युत पुलिस द्वारा वहन किया जाता है । उसी प्रकार राज्यों को ऋण देने की बात है । यदि इन मदों को देखा जाय तो पता चलेगा किये कम उत्पादन कारी ही है और उसके लिए राज्य केन्द्रीय सरकार से सहायता की आशा कर सकता है । कराधान प्रस्तावों के बारे में भी यह कहना तथ्यों के विपरीत है कि इससे निगमित क्षेत्र पर बोझ पड़ेगा । यह ठीक है कि उन्हें कुछ रियायतें दी गयी है ।

व्यय का अनुमान और उसके वास्तविक रूप में जो अन्तर है उसे कम करने की बहुत जरूरत है । इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि निर्धारित राशि को खर्च किये बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए । मूल्यों में वद्धि हो रही है । उस पर नियंत्रण रखना बड़ा ही आवश्यक है । रुपये के मूल्य कम करने की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं । मेरा निवेदन यह है कि रुपये का मूल्य बनाये रखा जाना चाहिए। इसके अतिरित यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि अप्रत्यक्ष करों का भार गरीब जनता को सहन न करना पड़े । इस तरह की कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे कुछ ही लोगों का एकाधिकार स्थापित न हो जाय । कुछ हाथों में पूंजी केन्द्रित नहीं होनी चाहिए । श्री मुकर्जी और श्री मसानी की अभिव्यक्ति को मैं उचित नहीं कह सकता ।

श्रीमती सावित्री निगम (बान्दा) : बजट का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह बड़ा सरल है । वित्त मंत्री ने न तो कोई लम्बे चौड़े दावे ही किये हैं और न कोई वित्तीय वीरता दिखाने ही उपक्रम किया है । काफी अच्छा बजट है और पिछले बजटों से इसे काफी उत्तम बजट कहा जा सकता है । अधिक उत्पादन के रास्ते में जो कठिनाइयां हैं उसे दूर करने का प्रयत्न किया गया है । निहित स्वार्थों की राय चाहे कुछ भी हो मेरे मत

[श्रीमती सावित्री निगम]

में इस बजट के अन्तर्गत काफी उत्साहजनक बातें की गयी हैं। वित्त मंत्री महोदय को अपने पुर्वाधिकारियों द्वारा छोड़ी गई अर्थ व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिये भारी प्रयास करना पड़ा है। सभी प्रकार के प्रयत्न करके उन्होंने इस बजट को उत्पादनोन्मुख समाजवादी बनाया है।

मेरे विचार में यह अच्छी बात है कि व्यय-कर समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इस से आय की तुलना में प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक हुआ है। बोनस पर पूंजीगत लाभ कर को समाप्त कर के तथा लाभांश कर के प्रभाव तथा अधिकार की दर को घटा कर वित्त मंत्री ने पूंजी बाज़ार को कुछ सीमा पक सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया है। आय-कर में छूट की सीमा बढाने का स्वागत है परन्तु इसे एक से अधिक बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति तक सीमित रखना उचित नहीं है क्योंकि यह परिवार नियोजन के कार्यक्रम के प्रतिकूल है।

[श्री श्याम लाल सराफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया गया है उसके बारे में मेरे विचार यह है कि वह मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रभावहीन हो गया है। वार्षिक जमा योजना को जारी रखना उचित नहीं है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये। अधिभार 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। चीनी, खण्डसारी और डीजल तेल पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव जनसाधारण के लिए ठीक नहीं है। यह बात सुज्ञात है कि ऐसे करों से मूल्यों में वृद्धि अनिवार्य है। योजना व्यय में कटौती ठीक नहीं है। इसकी बजाय योजना आयोग पर व्यय में कटौती करना स्वागत योग्य है। जब हमने आयोजित विकास का तरीका अपना लिया है तो इस प्रकार की कटौती अनुचित है और इसे पूरा किया जाना चाहिये। प्रशासनिक व्यय में बचत करने के उचित तरीके निकाले जाने चाहिये।

राज्यों में आज कल बड़ी अनुशासनहीनता चल रही है। मेरा निवेदन यह है यह अनुशासनहीनता अच्छी नहीं है। राज्यों को रक्षित बैंक से अनाधिकृत राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। विदेशी मुद्रा रिजर्व की स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मातृभूमि की सहायता करने की प्रार्थना करनी चाहिये। बेकारी, मूल्यों में वृद्धि और निर्वाह व्यय में वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा बोझ है और उन बुराइयों को दूर करने के लियें कुछ किया जाना चाहिये। सरकार छिपे धन का पता लगाने में बुरी तरह असफल रही है। धन को प्रकट करने की योजना को त्रुटिहीन बनाया जाना चाहिये। ताकि अधिकांश लोगों को छिपा धन बताने के लिए प्रोत्साहन मिलता। कुछ संशोधन प्रस्तुत करके उन योजनाओं में परिवर्तन करना चाहिये। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय को सदस्यों का परामर्श स्वीकार करके योजनाओं में कुछ संशोधन करने की बात स्वीकार कर लेनी चाहिये। लोग कुछ ही कहते रहे यह सत्य बात है कि इस बजट से हमारी सरकार के हाथ मजबूत हुए हैं।

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : Government should remove the disparities which exsist in the social fabric of our national existance. Government have not fulfilled the pledge given to the four crores of people belonging the backward and oppressed classes. Even after so many five year plans their lot remains unchanged.

Many areas remain unexplored, where people are not getting even elementary human facilities of mere existance. Constitution has special provision for it in the directive principles. The framers of the Constitution could see that difficulty of this type can arise any day.

According to the Constitution Dhaber Commission went into this problem, but it has not been able to do anything in this direction. Government have not implemented the recommendations of Dhaber Commission. Even the report of the Commissioner of deppressed Classes is not discussed in the House The depressed classes people are systematically deprived of their land and belongings.

A Backward classes Commission was appointed under the Chairmanship of Kaka Kalelkar. But nothing has been done in this direction by the Government so for, though eleven years have passed. I want to urge upon the Government that they should right their past mistakes committed in this direction. Government also seems to be yielding to pressure in the matter of Punjabi Suba. If our Government will not adopt a strong policy towards Mizoes and Nagas then it will have very bad reactions. Demand of separate province of Jharkhand will again come to the fore. Government should remain alert and try to do away with the separatist tendencies with all their might. Special attention should be paid to the condition of depressed classes as provided in the Constitution.

श्री हे० बी० कौजलगी (बलगांव) : वित्त मंत्री के पास बहुत ही अल्प समय था, इस पर भी उन्होंने जो कुछ भी उनसे प्रयास हो सका करके बजट प्रस्तुत किया है । सब के दृष्टिकोण को सन्तुष्ट करना तो सम्भव नहीं है । यह कहना गलत है कि उन्होंने कांग्रेस की नीति का पालन नहीं किया है । जो कुछ वित्त मंत्री समस्त कठिनाइयों के बावजूद कर पाये है उसके लिये मैं उन्हें मुबारक बात देता हूं । देश में व्यप बढ़ रहा है और आय कम हो रही है । यह अर्थव्यवस्था का स्वास्य अंग नहीं कहा जा सकता । सरकारी क्षेत्र में सरकार 30 निगम चला रहा है, जिस पर भारी राशि लगी है, परन्तु लाभ बहुत कम हो रहा है ।

मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि इन निगमों से उचित परिणाम निकले । लगता जाता है कि प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है परन्तु गांवों में जाकर देखे तो स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो रही है । वहां अब भी लोग फटे हाल रह रहे हैं । जो कुछ भी विकास कार्य हुआ उसका गरीबों को कोई लाभ हुवा नहीं है । और यह बात ठीक ही है कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर हो रहे हैं ।

देश के समक्ष बहुत समस्यायें है । खाद्य समस्या तो प्रायः स्थायी रूप धारण कर रही है । इसको लेकर कई राज्यों में आन्दोलन भी हुये है । इस दिशा में हमें आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए ताकि प्रत्येक देश से हमें खाद्यान्नों की मांग न करनी पड़े । देश में भी अनाज एक भाव में नहीं बिक रहा । एक जगह 50, 60 प्रति क्विंटल है तो दूसरे राज्य में उसी का भाव 100 से 150 प्रति क्विंटल है । और इससे भी बड़ी विडम्बना यह है कि उत्पादक को ठीक मूल्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा । कई जगह राज्य सरकारें भी मुनाफा खोरी कर रही है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अब भाषण समाप्त करना चाहिए, हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ले रहे हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संम्ल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

अस्सीवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 80 वें प्रतिवेदन से, जो 9 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 80 वें प्रतिवेदन से, जो 9 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adopted.*

प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी संकल्प

RESOLUTION RE : ADMINISTRATIVE REFORMS

सभापति महोदय : अब हम 25 फरवरी, 1966 को श्री विभूती मिश्र द्वारा प्रस्तुत निम्न संकल्प पर आगे विचार करेंगे :

"इस सभा की राय है कि देश में तत्काल समाजवाद लाने के लिए और पंच वर्षीय योजना के सफल निष्पादन के लिए सरकार को अपने प्रशासनिक ढ़ांचे में अविलम्ब आमूल परिवर्तन करने चाहिए"

Shri Bibhuti Misra (Motihari) : In bringing about the administrative reforms, we must take into consideration the views of American Expert. For the America is a Great democracy and their way of life may be useful for us. We have Central and State Governments and local bodies as well. We think they are independent of each other. Decentralization is also giving birth of independence. Government should give some consideration to this item. We must look at everything with the interest of the national economy and the national public.

This sentiment that States should be 'autonomous' will effect the administration very adversely. The reforms should be brought in such a way that thereby the position of the country should be strengthened. I urge upon the authorities concerned that these things should be kept in view while effecting the administrative reforms.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री लिमये का संशोधन संख्या 3 वह उपस्थित नहीं है। मूल संकल्प तथा उसका संशोधन सदन के समक्ष है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I support the views put forward by Shri Misra. We find today that difficulties are being felt everyday in the administrative matters. We raise slogans of socialism but we are doing everything against it. The Government are practically in the hands of the 'Capitalistic'. This is proper or not I cannot say. Let me submit that in order to have this dream socialism realized, there should be ceiling on urban property. This should also be settled the amount of ceiling on wealth in private sector. There is a necessity of bringing radical change in the administration to this effect. But until and unless there is some picture of that revolution, how can we do anything practical in this direction.

Ceiling of rural property has been fixed at 300 rupees and ceiling on rural property has been placed. In the urban areas people are earning lakhs, we are not paying any attention to that. If the disparity continues to exist in the country, how will be have socialism. The voice was raised regarding the nationalization of Rice Mills, but nothing has been done. There is no definite picture before you. Struggle between the various political parties are going on, without any benefit for the nation. Somebody thinks right while the other leaves to the left. I wonder what will be the basis of the radical reforms in the administrative system. I don't think any effective steps can be taken in the coming thirty years.

What are the reasons that it has not been able to eradicate the evil of corruption. The answer is very clear that we have no clear policy on any items. We allow as a matter of fact, by our policy to the Government employees to indulge in black market. Who does not know the magnitude of corruption going on in Delhi. It is not possible for anybody to control. Same is the State of Corporate sector. People are taking political capital out of everything. I am of the opinion that looking seriously the state of affairs that we find in the country today, it does not seem easy to bring about any radical change in the administrative set up. Before you think of that you must bring change in fundamental things. The word Welfare State is a big misnomer.

Recently a committee has been set up under the chairmanship of Shri Morarji Bhai. What directives you can give to that committee. Whether committee will do anything other than fixing the grade. Will you call this administrative reform. We must understand one thing that it is not possible today to exist in isolation, we have to adopt collective attitude.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (आडोनी) : इस संकल्प के लिए मैं प्रस्तावक महोदय को मुबारक बात देता हूं। प्रस्तावक महोदय, श्री मिश्र समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं। सभी कांग्रेस के सदस्य समाजवाद के समर्थक है। कांग्रेस ने पुन: अपना विश्वास इस विचारधारा में व्यक्त किया है। चुनाव घोषणा में भी यह ही कहा गया है। समाजवादी समाज की रचना से हमने समाजवाद को लक्ष्य बनाया है। जिस प्रकार हमारा समाजवाद चल रहा है उस तरह हम देश को समृद्ध बनाने में सफल नहीं हो सकते। आज जो असमानता इस समाज में पाई जाती है उसे दूर करना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी प्रशासनिक मशीनरी का ढांचा भी उसी प्रकार से होना चाहिए।

स्वतन्त्रता के बाद से भी हमारा नौकरशाही ढांचा उसी प्रकार ही चल रहा है जैसा पहले था। हमारे प्रशासन में जो लोग थे वे प्रशासक तो थे ही परन्तु उनमें मानवीय अंश का अभाव था। हमारे कर्णधारों ने उस दृष्टि से समस्या पर विचार नहीं किया। उसमें नय विचार के प्रवश की आवश्यकता थी। योजनाओं का निर्माण करते हुए भी हमने इस महत्वपूण दिशा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। गांव पंचायत से लेकर कन्दीय सरकार तक प्रशासन के सुधार के बारे में नितान्त

[श्री पे० वेंकटासुब्बया]

अपेक्षा का भाव रहा। हमने बड़ी इमानदारी से योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास किया। हमने सामान्य व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया परंतु इस दिशा में नितान्त असफल रहे। यह इस विषय की सब से बड़ी कमजोरी थी।

अत: प्रशासन के मामलें को राज्य के स्तर पर लिया जाना चाहिए। अभी तक हमारे अधिकारियों में नया उत्साह नहीं निर्माण हुआ है। ऐसा वातावरण निर्माण नहीं हूआ कि इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जा सके। यह एक मानवीय प्रश्न है और इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। हमारी कई एक परियोजनाओं पर बहुत भारी व्यय किया जा रहा है। बहुत सा व्यय तो प्रशासन पर ही हो जाता है। इस दृष्टि से हमें प्रशासनिक सुधारों का महत्व महसूस होगा। यह सन्तोष की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की है। इसके निर्देश पद क्या है, मैं नहीं जानता परन्तु यह इच्छा है कि इसकी अध्यक्षता श्री मोरारजीभाई कर रहे हैं। उन्हें लोगों के सम्पर्क का पूरा अनुभव है। आशा करनी चाहिए यह आयोग हमारी समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेगा।

जो भी हो हमारा प्रत्येक कार्य सामान्य जन कल्याण की भावना से होना चाहिए। आज हमारे प्रशासन पर कई दिशाओं से कुप्रभाव पड़ते रहते हैं। बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रशासन पर प्रभाव है। राजनीतिक दबाव भी पड़ते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति लाभ से प्राय: वंचित रहते हैं। इसी दृष्टि से मैं मिश्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मिश्र जी के संकल्प का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरा विचार नहीं कि इन संकल्पों से देश में समाजवाद की स्थापना हो जायेगी? इसके लिए देश में एक सामाजिक क्रांति का निर्माण करना बड़ा जरूरी है। देश की स्वतन्त्रता के बाद से हम समाज वाद पर भाषण सुन रहे हैं परन्तु इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। आज तो देश में उथल पुथल मची हुई है। यह अच्छा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कर दी गयी है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि श्री मोरारजीभाई सारी समस्या पर विस्तार से विचार करेंगे। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 25 फरवरी, 1966 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी कि गये एक पत्र में 10,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी हो रही है। इससे पूर्व एक अवसर पर गृह मंत्री महोदय ने इस सभा को आस्वासन दिया था कि नई योजना के परिणाम स्वरूप कोई छटनी नहीं की जायेगी। इस लिए जो कुछ हो रहा है बड़ा आश्चर्यजनक है।

आश्चर्य की बात है कि इसी प्रशासनिक सुधार समिति ने काम करना शुरू भी नहीं किया कि 10,000 लोग रोजगार से वंचित हो गये हैं। कहा गया है कि यह लाल फीता शाही को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। परन्तु मंत्रियों की संख्या तो कम नहीं की जा रही। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आयोग के काम आरम्भ करने से पूर्व ही उपरोक्त पत्र के अनुसार कार्य किया जायेगा। इन शब्दों से मैं मिश्र जी की सफलता की कामना करता हूं।

श्री खाडिलकर (खेड) : यह हर्ष की बात है कि हम प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान दे रहे हैं। कई बार मैं गम्भीरता से सोचता हूं कि किस प्रकार हमारा प्रशासन चल रहा है। ईश्वर ही कुछ सहायता कर रहा है। आज श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो नियुक्त किया गया है, वह एक अच्छा पग है। इससे आशा बंधी है कि प्रशासन पद्धति के सुधार की दिशा में कोई ठोस पग उठाये जा सके। परन्तु यदि हम इसके निर्देश पद देखते हैं तो मालूम होता है कि शायद इससे हमारी समस्याओं का कोई ठीक हल निकल पाये। मेरा विचार है कि इसे कुछ स्वतन्त्रता से काम करने दिया जाय।

प्रशासन में सुधार के लिए यह जरूरी है कि उपरोक्त आयोग को योजना आयोग की तरह स्वतन्त्र तालिकायें बनाने की अनुमति होनी चाहिए। उनको हमारी सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि इन तालिकाओं का समर्थन इस आयोग को प्राप्त हो जाय तो इस दिशा में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पंजाब, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में इस प्रकार की समितियां है। समाजवाद की बातें की जा रही है, कुछ उसे भी तो प्रशासन ने ही तो कार्यान्वित करना है।

इस समय सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था सरकार की नीतियों के अनुकुल हो और उसके विचारों को अभिव्यक्त करने की स्थिति में हो। और ऐसा वातावरण निर्माण हो कि सामान्य व्यक्ति को कुछ लाभ पहुंच सके। आज स्थिति यह नहीं है। प्रशासन आजकल काफी ढीला ढाला चल रहा है। काम के कागजात काफी इकठ्ठे हो जाते हैं। और समस्यायें नये नये रूपों में उपस्थित होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त सब से बड़ी कठिनाई यह है कि राजनीतिक प्रशासन में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इससे प्रशासन का कार्य स्वतन्त्रता से चल नहीं पाता। प्रशासन को इस बात से भी बचाना होगा। जब तक यह ठीक नहीं हो जायेगा, इस दिशा में किसी प्रकार के भी अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती।

इस संदर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि हमने जो पद्धति अपनाई वह हमारे अनुरूप नहीं है। यह प्रणाली विदेशी उपनिवेशवादी शासन के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। हमें इसमें सुधार तो करना ही है, परन्तु सुधार करते समय उस पर पूरी गम्भीरता से विचार करना है। हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए। और सारी बातों को व्यापक आधार पर देखना चाहिए। फ्रांस में हर तीसरे दिन मंत्रिमंडल बदल जाता है, परन्तु प्रशासन की मान्यता के आधार पर सरकार का काम चलता रहता है। प्रधान डी गाल ने यह सारा ढांचा ही बदल दिया है।

प्रशासन राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे परेशानी और हस्तक्षेप की मशीन नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही इस दिशा में हम कुछ सुधार कर सकेंगे।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं इस संकल्प पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरा कहना है कि इस संकल्प का आधार कुछ भाँति है जो कि प्रस्तावक महोदय को दिखाई देती हैं। उस आधार पर समाजवाद के नारों से गलत धारणायें बन सकती है। मेरा विचार यह है कि समाजवाद एक नारा ही है इसे सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता है। इस संकल्प में समाजवाद को पंच वर्षीय योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया गया है। अब इन योजनाओं का सिद्धान्त रूप में समाजवाद से क्या सम्बन्ध है। केवल इन योजनाओं को चलाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो कि योग्यता से प्रबन्ध करने का कार्य कर सके। यह एक केन्द्रीय समस्या है।

[श्री कपूर सिंह]

यह इस संकल्प का सार है। प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य का सम्बन्ध एक व्यवस्था होती है। एक दूसरे को उसी व्यवस्था से चलना होता है। सभी लोग सेवा प्रणालियों का सार यही है। मेरे विचार में यह कार्यपालिका का काम है। उसे जो काम सौंपा गया हो उसे उसके अनुरूप ही अपनी व्यवस्था बना कर उसे प्रशिक्षित करना चाहिए यह भी स्पष्ट ही है कि सभी लोक सेवाओं में और सभी परिस्थितियों में राज्यों ने इस सिद्धान्त पर अपनी लोक सेवाओं का गठन किया है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद और पंच वर्षीय योजनायें इस सिद्धान्त को बदल नहीं सकती। यह तो सरल बात है, इस सिद्धान्त में किसी तरह के बड़े परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा मत यह है कि यदि संकल्प की ठीक तरह छानबीन की जाय तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलता। मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हू कि इसे वापिस ले लिया जाय।

श्री वारियर (त्रिचुर) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। यह बहुत ही क्रांतिकारी और साहसी संकल्प है। आज जो हमारे प्रशासन का ढांचा है वह हमें अंग्रेजों से प्राप्त हुआ है। आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि सचिवालय जो चाहता है करता है। मंत्रिगण भी उसकी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, और आज के सारे रोग की जड़ यह ही एक चीज है। मेरा निवेदन यह है कि जब हमारी सरकार सचिवालय के अधिकारों को समाप्त करने की दिशा में कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं करती तब तक इस दिशा में कुछ हो पाना सम्भव नहीं है।

इस मामले में मेरा यह भी मत है कि यदि प्राधिकार और जिम्मेदारी, क्षेत्रीय कर्मचारियों को और प्रशासन संगठनों को दे दी जाती तो इससे काम अच्छी प्रकार आरम्भ हो सकता था। राज्य के किसी छोटी सी प्रायोजना की स्वीकृति के लिए लोग यहां आते हैं और उन सचिवों के आस पास घुमते है जिन का कोई उत्तर-दायित्व ही नहीं है। इस तरह के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं रहनी चाहिए उन लोगों के हाथ में अधिकार रहने चाहिए जो कि क्षेत्र में काम करते हैं।

Shri Onkar Lal Berva (**Kotah**) : This resolution has been put forward by an urgent supporter of socialism. He has faith in socialism and wants the administration be reformed accordingly. We have seen that all the cases of corruption have gone and no inquiries were made into it. I am of the opinion that until and unless corruption goes from the top it will not be eradicated from the lower level. Without the remedy of this corruption you cannot think of any worth while reform in the administrative set up.

Government are not taking any action against those who are dishonest. And thereby the mentality of corruption is increasing. Government is not looking to this corruption at all. I also want to urge that both at the centre and the State level members of the Opposition should be associated in the Administratives Reforms Committees. If you really want administrative reform, we shall have to move strongly and I would be urging Shri Misra the move of the resolution that he should not withdraw it.

श्री मं० रं० कठग (पेद्दपल्लि) : समाजवाद का शब्द हमारे लिए नया नहीं है। तीसरी योजना के दौरान जब समाजवादी समाज की रचना के बारे में चर्चा हुई थी तो हमने समाजवाद पर चर्चा की थी। जब से भी कांग्रेस के हाथ में

सत्ता आई है हम समाजवाद के अतिरिक्त और कोई बात कांग्रेस की ओर से सुन नहीं रहे हैं। सदन ने इस सम्बन्ध में निति को स्वीकृति भी दे दी थी। जब राज्यों और सरकारों का निर्माण हो गया, उसके बाद भी पदासीन दल के पास समाजवाद के अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम नहीं हैं। आज हमें यह बताया जा रहा है कि हमारे पास वह अपेक्षित मशीनरी नहीं है जिससे समाजवाद के कार्यक्रम को लागू किया जाय।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने जो समाजवाद के सिद्धान्त और कार्यक्रम बनाये हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक देश की सरकार जिन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहतीं है; सर्वप्रथम उनको कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था करती है। ऐसी आशा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग सब बुराइयों और त्रुटियों को दूर करेगा और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये प्रभावशाली व्यवस्था करेगा।

इस समय भी देश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वह समाजवाद के अनुरुप नहीं है। सार्वजनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा केवल धनी वर्गों को ही उपलब्ध है। चिकित्सा की सुविधावों के बारे में भी यही बात सच है। ये बुराइयां हैं जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिये। प्रशासनिक सुधार आयोग ऐसा निकाय नहीं है जो ऐसा परिवर्तन कर सके।

जिस प्रकार का संकल्प हमारे सम्मुख है इसको पारित करने से हम देश में समाजवाद नहीं ला सकते। आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिये कुछ ठोस और प्रभावशाली कदम उठाये जायें। कृषि क्षेत्र में भी गरीब आदमी को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। आज भी अधिकतम लाभ जमीदारों को ही प्राप्त हो रहा है। यदि इस क्षेत्र की सहायता करने के लिये कोई व्यवस्था कर दी जाती है तो यह एक बहुत अच्छी सफलता होगी।

मेरी सरकार से अपील है कि यदि वह सचमुच समाजवादी समाज की रचना चाहती है तो उसे वर्तमान नियमों को बदल कर उसके लिए वातावरण तैयार करना चाहिए।

श्री कन्डप्पन (तिरूचेंगोड) : आज का हमारा प्रशासन सम्बन्धी ढांचा अंग्रेज का बनाया हुआ है। यह कहना ही पड़ेगा कि अंग्रेजों का प्रशासन ढांचा काफी मजबूत था। जब वे गये तो यह देश के शासन को सम्भालने के योग्य था। उन्होंने जो नियम और संहितायें बनाई थी उसका बड़ा सक्ती से पालन किया जाता था। वे काफी ईमानदार थे और अधिक प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। परन्तु अब ऐसी स्थिति नहीं है प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कठिनाई यह है कि इसमें 'राजनैतिक कार्यपालिका' द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण तथा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक बात के सत्तारुढ़ दल के लोगों द्वारा स्थानीय कार्यपालिका पर दबाव डाला जाता है। इस प्रशासन में एक और बुराई यह है कि केन्द्रीय प्रशासन तथा राज्य प्रशासन के वेतन-क्रमों में बहुत अन्तर है जिसे दूर किया जाना चाहिये। तीसरी बात यह है कि राज्यों में दोहरा कार्य किया जा रहा है। यहां कई विभाग ऐसे हैं जो लगभग वही कार्य कर रहे हैं जो राज्यों में किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रशासनिक विभागों में भाषाओं के अध्ययन को अनुचित महत्व दिया जा रहा है। इस बारे में सरकार को यह देखना चाहिये कि किसी पद विशेष के लिये चुने गये लोग उस पद विशेष के लिए अर्हता वाले और उसके योग्य हों। इस बात

[श्री कन्डप्पान]

से इतना अन्तर नहीं पड़ता कि वे प्रशासन किस भाषा विशेष में चलाते हैं। अब समय आ गया है जब सरकार को कम से कम इन बातों को ठीक करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : This seems to be a very beautiful resolution. It demands the reforming of administrative machinery. I want to draw the attention of the mover to this fact that those who are presiding over our destiny today are not implementing socialism correctly. If they had correctly implemented their policies and programme then there would have been no difficulties at all. Automatically the administration would have been geared up. It would have become very effective and efficient.

I am of the opinion that adequate steps have not been taken to implement the programme by which we would have established socialism in this country. Indian National Congress had passed several resolutions on socialism but nothing worth the name has been done to implement it.

Let we also recall that in order to bring about administrative reforms committees were appointed. And these committees submitted their reports also. But all the issues up to this day remain unsettled. No action has been taken so far on these issues. One thing should be very clearly understood that until and unless the policy framers are not determind to carry out their policies, the influence of bureaucracy will last and the programmes and policies of socialism will not be implemented effectively. I shall be happy if this resolution is implemented but I have no hope that it will be properly done.

मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा कहना है कि समाजवाद लाने की दृष्टि से सब से पहला कार्य भूमि सुधार लाने का है। इस दिशा में 1955 में एक तालिका प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है। हमें इस संदर्भ में यह समझ लेना चाहिए कि धनी लोग ही प्रशासन को भ्रष्टाचार फैलाने पर बात करते हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि देश में विदेशी पुँजी का विनियोजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विदेशी पुँजी के कारण जो शोषण हो रहा है उसे समाप्त किया जाना बड़ा आवश्यक है। मेरा मत यह है कि देश में समाजवाद लाने के लिए इन सब कार्यों को करना होगा। केवल नारें लगाने से कुछ परिणाम निकलने वाला नहीं है।

श्री रानेन सेन (कलकत्ता–पूर्व) : केवल प्रशासनिक सुधार लाने से ही देश में समाज वाद की स्थापना हो जायगी, यह बहुत बड़ी भ्रांति है। हमारे संविधान में तो समाजवाद को लक्ष्य रखा है परन्तु व्यवहारिक क्षेत्र में हम पूंजीवाद का निर्माण कर रहे हैं। यह बात तो मैं स्वीकार करता हू कि देश का कल्याण केवल समाजवाद से ही है। प्रशासन में सुधार हो यह भी ठीक है, परन्तु समाजवाद लाने के रास्ते और ह। समाजवाद लाने के लिए आज जो इन्सान इन्सान का शोषण कर रहा है उसे समाप्त करना होगा। राष्ट्रों के परस्पर शोषण को रोकने का रास्ता भी निकालना होगा। भारत में तो यह शोषण बन्द हो नहीं हो रहा है। एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट ही इसका प्रमाण है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : हमने अपने संविधान के अन्तर्गत लोगों को राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का आश्वासन दिया हुआ है। समानता और

स्वतन्त्रता भी रक्षित है। हमारे संविधान और लोकतंत्र को काफी सफलता प्राप्त हुई है। हमारे देश में एक महिला को प्रधान मंत्री का पद दिया गया है। इस प्रकार कि समानता का व्यवहार तो अमरीका में भी नहीं दिया जाता।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुये।
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

मैं इस संकल्प का स्वागत करती हूं जिसमें समाजवाद को प्रशासनिक सुधारों से मिलाया गया है। हम समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी आम आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरा विचार है कि योजनाओं में समाजवाद को उचित स्थान नहीं दिया गया है। यदि हम अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी योजनाओं में समाजवाद को अच्छा स्थान देना चाहिये।

यह खेद का विषय है कि जहां तक प्रशासनिक सुधारों का संबंध है तीन पंचवर्षीय योजनाओं के होते हुये भी हमने अधिक प्रगति नहीं की है। इस उच्च शक्ति प्राप्त आयोग को अपना काम तेजी से करना चाहिये और शीघ्र ही कुछ निर्णय करने चाहिये। यदि आयोग के कार्य की प्रगति कुछ धीमी है तो इससे देश के विकास में भी देर लगेगी। यह आवश्यक है कि हम अधिकरियों में तेजी से काम करने की भावना पैदा करने के लिये प्रयत्न करें।

समाजवाद पर आधारित कार्यक्रम के लिये यह आवश्यक है कि इसकी क्रियान्विती तेजी से हो। जब तक प्रशासन इस बात को नहीं समझेगा, योजना सफल नहीं हो सकती। योजना की सफलता को सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है और यह कि इसको एक ऐसे अभिकरण को सौंपा जाये जो सरकार के कार्यक्रमों की क्रियान्विति से सच्चा और ईमानदार हो।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : यदि समाजवाद एक मन्दिर है तो मंत्री उसके पुजारी है। खेद की बात है कि हमारे मंत्रियों की समाजवाद में आस्था नहीं है। इनमें बहुत से ऐसे है जिनका समाजवाद में विश्वास नही है। ऐसे सभी मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से निकाल देना चाहिये और उन्हें देशसेवा के किसी अन्य कार्य पर लगा देना चाहिये।

मैं यह नहीं मानता कि समाजवाद की स्थापना प्रशासन द्वारा की जा सकती है। प्रशासक लोग तो मंत्रियों के दास होते हैं। उन्हें तो केवल आदेशों का पालन करना होता है। प्रशासनिक सुधारों द्वारा कोई विशेष प्रगति नहीं होगी। सरकार ने जिस आयोग की स्थापना की है उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करन तक प्रशासन में और कई खराब बातें खड़ी हो जायगी।

इस देश में समाजवाद की स्थापना के लिये हमें अपने स्कूलों और कालेजों में समाजवाद के मुख्य सिद्धान्तों की शिक्षा देनी होगी। हमें अपने विद्यार्थियों को आर्थिक तथा सामाजिक विषमता समाप्त करने, जमींदारी समाप्त करने और एकाधिकारों समाप्त करने की शिक्षा देनी होगी। इस प्रकार ही देश में समाजवाद स्थापित किया जा सकता है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता महसूस की गई थी। अंग्रेजों ने तो एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा स्थापित करा था कि जिस के अनुसार उन्हें इस देश पर अपना नियन्त्रण कायम

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

रखने में सुविधा रहे । परन्तु स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद जब हमने अपना संविधान लागू किया तो प्रशासनिक सुधारों को लाने पर विचार किया जाने लगा । इस कार्य के लिये बहुत सी समितियां भी नियुक्त की गई थी और उनकी सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किये गये । उनसे हमें पर्याप्त लाभ भी हुआ परन्तु मुख्य प्रणालियों में अन्तर नहीं हुआ है ।

पंचवर्षीय योजनाओं और विकास तथा कल्याण सम्बन्धी कार्यों के फलस्वरूप काम बहुत बढ़ गया है । सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में भी बहुत विस्तार हो गया है । प्रशासनिक सुधारों का काम बहुत महत्व का काम है । इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने होंगे । इसके लिये एक सशक्त आयोग की स्थापना कर दी गई है और श्री मुरारजी देसाई इसके अध्यक्ष है । उनके अतिरिक्त कुछ अनुभवी संसद सदस्यों को भी इस आयोग का सदस्य बनाया गया है । हमें आशा है कि यह आयोग वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार सुझाने में सफल होगा और देश के प्रशासन को इस से लाभ होगा ।

कुछ सदस्यों ने इस आयोग के निर्देश पदों पर आपत्ति की है । मेरा उनसे निवेदन है कि वे 5 जनवरी के भारत सरकार के राजपत्र को पढ़े तो पता चलेगा कि वे काफी व्यापक हैं । मैं बता रहा था कि पिछले 18 वर्षों में प्रशासनिक सुधारों के मामले में काफी कुछ किया गया है । इस बारे में मैं पंचायती राज के विकास का उल्लेख करना चाहता हूं ।

अब ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दे दिये गये हैं । इस से बहुत लाभ हुआ है ।

श्री बनर्जी ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की छंटनी का प्रश्न उठाया है । मैं कहना चाहता हूं कि उनकी शंकाएं निराधार हैं । हमारा किसी प्रकार की छंटनी का प्रस्ताव नहीं है । नई योजना के अनुसार फालत कर्मचरियों को एक केन्द्रीय पूल में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और उनकी केवल तभी छंटनी की जायेगी जब वे कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने को तैयार नहीं होंगे और जब नया काम नहीं करना चाहेंगे । श्री बनर्जी ने यह भी कहा है 10,000 व्यक्तियों को सेवा से निकाल दिया जायेगा । यह बिल्कुल गलत है । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । वास्तव में प्रतिरक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये लोगों की कमी होने का भय है ।

मुझ श्री वारियर का भाषण सुनकर बहुत निराशा हुई है । मैंने सोचा था कि वह कुछ रचनात्मक सुझाव देंगे । ऐसी बात नही है कि सरकार नौकरशाही पर निर्भर करती है और बड़े बड़े अधिकारियों की राय पर ही चलती है । हमें जनता की कठिनाइयों की पूरी जानकारी है और हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है । हां अधिकारियों को इस संसद् और सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करना होता है ।

हमें प्रसन्नता है कि यह संकल्प लाया गया है । हमें अपने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करना है । मैं आशा करता हूं कि सदन इस संकल्प को स्विकार कर लेगा ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I thank Shri Shukla for accepting this resolution. I request our Government to implement this and bring about socialism. I am thankful to all those hon. Members who have supported this resolution.

We are trying to raise the standard of masses. The Ministers do realise their responsibility. Every effort is being made to establish a socialistic pattern of society.

I want to pay my compliments to Government for accepting my resolution.

सभापति महोदय : अब श्री बसंत कुमार दास का संशोधन मैं सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ/*The Amendment was put and negatived*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि देश में तत्काल समाजवाद लाने के लिये और पंचवर्षीय योजना के सफल निष्पादन के लिये सरकार को अपने प्रशासनिक ढांचे में अविलम्ब आमूल परिवर्तन करने चाहियें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

देश में खाद्यान्नों के निर्बाध रूपसे लाने ले जाने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : FREE MOVEMENT OF FOODGRAINS IN THE COUNTRY

Shri Tan Singh (Barmer) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"इस सभा की राय है कि अनिवार्य एकाधिकार वसूली पद्धति और देश भर में खाद्यान्नों के निर्बाध रूप से लाने ले जाने के मार्ग में समस्त क्षत्रीय तथा अन्य प्रतिबन्धों को तत्काल समाप्त किया जाये ।"

The food situation in our country has deteriorated. It is due to faulty distribution policy of Government. The prices are rising higher and higher and there is no check.

During the last 18 years we have been talking too much about increase in food production and attaining self-sufficiency in it. Out former Prime Minister late Shri Nehru had said in 1948 that we would achieve self-sufficiency in the matter of foodgrains by 1950. It is a pity that we have not been successful in achieving it even now.

It is said that in our country the rains are uncertain and the result is that we have serious droughts and sometimes there are flood also. But we should know that such conditions have been there in the past also and will be there in future. The remedy for this is scientific measures. We should control water in such a way that maximum use is made of water that is available.

The increase in our population is also considered to be one of the reasons for our food shortage. We should also see that we have brought more land under cultivation now. The real cause for this is that the productive capacity of our land has gone down. It is time that we use better seeds and fertilisers. The irrigation facilities should be increased.

[Shri Tan Singh]

I hold Planning Commission resposible for the failure of our plans in the matter of agricultural production. The members of the Commission are to a great extent guilty of irresponsibility. They should be punished. We should take advantage of our past experience and avoid mistakes in future.

Our Government is adopting wrong policy in regard to rural areas. People do not like to live in villages. They prefer to live in cities. The result is that agriculture has to suffer due to this. Government is neglecting agriculture. We find persons who have done graduation in Agriculture are doing other jobs. There is no scope of farmer's income going up. It is all due to the policy of Government. There is no incentive scheme for the farmers.

On account of monoply procurement, the farmers have been put to great difficulty. Government purchases foodgrains at very low rates and sells at high rates.

If a trader charges a little more or stocks certain commodity, severe action is taken against him under D. I. R. and other laws. There is no check on Government if it fails in its duty.

Government should give highest priority to Agriculture. Conditions should be so modified that agriculture becomes a lucrative profession and more people should adopt it as their profession.

In our country the rates vary from State to State. The difference is also great. It is due to zonal restrictions. The country has been divided into various Zones. This scheme has been criticised severely. Governments' reaction to this has been very unsatisfactory.

Government is procuring foodgrains in the country and huge quantities are being imported. In spite of all this, scarcity conditions are prevailing. It is due to restrictions on free movement of foodgrains. We have seen food riots in Kerala and West Bengal. We find that foodgrains are rotting in some States while it is not available in other States. Government's wrong policy is the root cause of all this. Government policy was criticised by Congressmen at Jaipur.

I can say that this shortage is artificial. Last year's statistics would show that we had record production last year. In such circumstances, there should not have been any shortage but it is Government's wrong policy regarding distribution on account of which this situation has developed.

Government should change its policy. I introduce my resolution.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मणियंगाडन (कोट्टायम) : मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले की बात ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया हूं । वह वसूली तथा क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त कराना चाहते हैं । एकाधिकार वाली वसूली कहीं भी नहीं की जा रही है । राज्य सरकारें स्थिति पर विचार करने के पश्चात नीति निर्धारित करती है ।

में मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी उपाय करने चाहिये । सरकार की आलोचना करते समय हमें उसकी कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिये । हाल में देश पर दो देशों ने आक्रमण किया है । हमारी आर्थिक स्थिति भी संतोषजनक नही है । इस वर्ष हमें अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ा है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सरकार को दोषी नही कह सकते ।

सरकार के लिये आवश्यक है कि राशन व्यवस्था लागू करे और कुछ और प्रतिबन्ध लगाये । मैं भी क्षेत्रीय योजना का समर्थन नहीं करता परन्तु हमें देखना होगा कि इसके हटाने से समाज के किसी वर्ग पर अत्याधिक बोझ न पड़े । फिर किसी क्षेत्र में कुछ अनाजों की अधिक मांग होती है और कुछ की कम । इसको देखते हुए भी क्षेत्रीय व्यवस्था जरुरी है । सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिये और जहां वांछनीय हो, आवश्यक परिवर्तन करने चाहियें ।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : The mover of this resolution has been speaking only about this shortage of foodgrains. He does not know that Government has to care for all interest. He wants that big business men should control the entire foodgrains business. They would exploit the poor masses. They would pile up stocks and would charge exhorbitant prices. Government cannot allow this.

Government has taken right steps and has started procurement. It has ensured remunerative prices to the farmer. Government has to take into cosideration many aspects before coming to a decision.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 14 मार्च, 1966/23 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lak Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday March 14, 1966/*Phalguna* 23, 1887 (*Saka*).

GIPN—S2— 34 Lok Sabha/66—30-6-67—600